ऐक्ट नम्बर २

बाबत सन् १९०१ ईसवी

ऐक्ट क़ब्ज़ा अराज़ी ममालिक मग़रबी व शिमाली सन् १९०१ ईसवी

मज़ामीन

तमहीद

बाब १

शुरू

दफ़ात

१—छोटा नाम—कहां कहां जारी होगा—कब से जारी होगा ॥

२—मनसूखी ॥

३—क़ैदें निस्बत पट्टों और इक़रारनामों मुतअल्लिक़े क़ब्ज़ा हाय अराज़ी के ॥

४—दफ़ा तारीफ़ी ॥

५—ज़मींदार का इख़्तियार एजन्ट (कारिन्दा) के ज़रिये से कार्रवाई करने का ॥

बाब २

असामियों की क़िस्में

६—असामियों की क़िस्में ॥

Price, 8 annas (9d.)]

दफ़ात

हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल और असामियान शरह मुअय्यन

७—हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल ॥

८—असामी शरह मुअय्यन ॥

९—क़यास ऐसे इन्दराज से जो इस ऐक्ट के जारी होने से पहिले सब से पिछले तरमीम काग़ज़ात हक़ूक़ के वक़्त हुआ हो ॥

असामियान साक़ितुल मिल्कियत

१०—असामियान साक़ितुल मिल्कियत ॥

असामियान दख़ीलकार

११—हासिल होना हक़्क़ दख़ीलकारी का ॥

१२—वक़्त जब से बारह बरस की मुद्दत शुरू होती है ॥

१३—"बराबर क़ब्ज़ा रखने" की तशरीह ॥

१४—"उसी (या वही) अराज़ी" की तशरीह ॥

१५—बाज़ अहकाम का असर उस ज़माने पर न होगा जो माह जोलाई सन् १९०० ई० के पहिले हो ॥

१६—असामियान दख़ीलकार ॥

१७—बदली हुई जोतों की निस्बत हक़ ॥

१८—हक़ दख़ीलकारी का मिट जाना ॥

असामियान ग़ैर दख़ीलकार

१९—असामियान ग़ैर दख़ीलकार ॥

दफ़ात :

बाब ३

विरासत के ज़रिये से पहुंचना और मुन्तक़िल किया जाना और तक़सीम किया जाना हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी का

विरासत से पाना और मुन्तक़िल किया जाना हक़ूक़ क़ब्ज़े अराज़ी का ॥

२०—हक़ूक़ इन्तक़ाल व विरासत ॥

२१—हक़ूक़ ऐसे क़ब्ज़ा हाय अराज़ी में जो मुन्तक़िल नहीं किये जासक्ते ॥

२२—क़ब्ज़ा हाय अराज़ी का विरासतन पाना ॥

शिक्मी पट्टे

२३—मुस्तसना होना उन पट्टेजात का जो ठेकेदार दें ॥

२४—काश्त शिक्मी पर देने का हक़ ॥

२५—असामियान साक़ितुल मिल्कियत व दख़ीलकार व ग़ैर दख़ीलकार की तरफ़ से शिक्मी पट्टे ॥

२६—असामियान शिक्मी की तरफ़ से शिक्मी पट्टे ॥

२७—काश्त शिक्मी पर देने वाले का जानशीन पट्टे शिक्मी का पाबन्द होगा ॥

२८—हक़ूक़ जो काश्त शिक्मी पर देने वाले के इस्तेहक़ाक़ के मिट जाने पर उस हालत में होंगे जब पट्टा शिक्मी ऐक्ट से पहिले या उस के मुताबिक़ दिया गया हो ॥

दफ़ात

हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल और असामियान शरह मुअय्यन

७—हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल ॥

८—असामी शरह मुअय्यन ॥

९—क़यास ऐसे इन्दराज से जो इस ऐक्ट के जारी होने से पहिले सब से पिछले तरमीम काग़ज़ात हक़ूक़ के वक़्त हुआ हो ॥

असामियान साक़ितुल मिल्कियत

१०—असामियान साक़ितुल मिल्कियत ॥

असामियान दख़ीलकार

११—हासिल होना हक़्क़ दख़ीलकारी का ॥

१२—वक़्त जब से बारह बरस की मुद्दत शुरू होती है ॥

१३—"बराबर क़ब्ज़ा रखने" की तशरीह ॥

१४—"उसी (या वही) अराज़ी" की तशरीह ॥

१५—बाज़ अहकाम का असर उस ज़माने पर न होगा जो माह जोलाई सन् १९०० ई० के पहिले हो ॥

१६—असामियान दख़ीलकार ॥

१७—बदली हुई जोतों की निस्बत हक़ ॥

१८—हक़ दख़ीलकारी का मिट जाना ॥

असामियान ग़ैर दख़ीलकार

१९—असामियान ग़ैर दख़ीलकार ॥

दफ़ात

२६—हक़ूक़ जो काश्त शिक्मी पर देने वाले के इस्तेहक़ाक़ मिट जाने पर उस हालत में होंगे जब पट्टा शिक्मी ऐक्ट मुताबिक़ न दिया गया हो ॥

३०—शिक्मी पट्टों का मिट जाना ॥

नाजायज़ शिक्मी पट्टों और दूसरे ना जायज़ इन्तक़ालों की निस्बत चारह कार

३१—नाजायज़ शिक्मी पट्टों और दूसरे ना जायज़ इन्तक़ालों की निस्बत चारह्न कार ॥

हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की बांट

३२—हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की बांट और लगान की फांट ना... फ़िज़ कराने के क़ाबिल न होगी ॥

बाब ४

तक़र्रुर और इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़ लगान

अहकाम आम

३३—इब्तिदाई लगान असामी का ॥

३४—लगान जो बहालत न होने इक़रारनामा के क़ाबिल अदा होगा ॥

३५—क़यास निस्बत लगान के ॥

३६—मुआविज़ा बाबत ऐसे लगान के जो ज़बरदस्ती से ज़ियादा ले लिया गया हो ॥

दफ़ात

दफ़ात

२९—हक़ूक़ जो काश्त शिक्मी पर देने वाले के इस्तेहक़ाक़ के मिट जाने पर उस हालत में होंगे जब पट्टा शिक्मी ऐक्ट के मुताबिक़ न दिया गया हो ॥

३०—शिक्मी पट्टों का मिट जाना ॥

नाजायज़ शिक्मी पट्टों और दूसरे ना जायज़ इन्तक़ालों की निस्बत चारह कार

३१—नाजायज़ शिक्मी पट्टों और दूसरे ना जायज़ इन्तक़ालों की की निस्बत चारह कार ॥

हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की बांट

३२—हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की बांट और लगान की फांट ना-फ़िज़ कराने के क़ाबिल न होगी ॥

बाब ४

तक़र्रुर और इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़ लगान

अहकाम आम

३३—इब्तिदाई लगान असामी का ॥

३४—लगान जो बदालत न होने इक़रारनामा के क़ाबिल अदा होगा ॥

३५—क़याम निस्बत लगान के ॥

३६—मुआविज़ा बाबत ऐसे लगान के जो ज़ा-
[illegible] लिया गया हो ॥

दफ़ात

दफ़ात

बाब ५

बेदख़ली और इस्तेफ़ा और छोड़ देना (जोत का)

बेदख़ली की वजूह

५६—बेदख़ली क़ानून के मुताबिक़ होनी चाहिये ॥

५७—बेदख़ली किये जाने की वजूह ॥

५८—ख़ास वजूह असामियान ग़ैर दख़ीलकार के बेदख़ल किये जाने की ॥

ज़ाबिता

(क) दरबारह बेदख़ली बक़ाया की इल्लत में

५६—कार्रवाई दरबारह बेदख़ली उस बक़ाया की इल्लत में जिसकी डिगरी हो गई हो ॥

६०—असामी पर इत्तलानामा जारी किया जायगा ॥

६१—बक़ाया के अदा न किये जाने की हालत में बेदख़ली ॥

६२—दफ़ात ७१ से ७८ तक ऐसी कार्रवाइयों से लगाई जा सकेंगी ॥

(ख) दूसरी वजूह की बिनाय पर बेदख़ली के बारह में

६३—बेदख़ली की नालिशें कब दायर की जायगी ॥

६४—क़ाश्त शिकमी पर रखने वाले और दूसरी इन्तक़ाल के लेने वाले कब मुद्दालेयह बनाये जायगे ॥

६५—शर्तों के तोड़ने की सूरत में बेदख़ली की कार्रवाई ॥

६६—कार्रवाई बेदख़ली व वजह ना जायज़ पट्टा शिकमी के या दूसरे इन्तक़ाल ना जायज़ के ॥

दफ़ात

६७—कार्रवाई व सूरत नालिश वेदख़ली ऐसे असामी के जो व-मूजिब रजिस्टरी किये हुए पट्टा के जिसकी मियाद सात साल से कम न हो काविज़ हो ॥

६८—ऐसी नालिश में डिगरी का असर ॥

६९—कार्रवाई वेदख़ली व वजह न क़बूल करने पट्टा और न हवालह करने क़बूलियत के ॥

७०—तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी का दावा वेदख़ली से पहिले फ़ैसल किया जायगा ॥

वेदख़ली का किया जाना

७१—क़ब्ज़ा का दिलाया जाना ॥

७२—डिगरी किस सूरत में जारी नहीं की जायगी ॥

७३—वेदख़ली का किस वक़्त से असर होगा ॥

७४—असामी का हक़ जोत के इस्तेमाल की बाबत ॥

७५—हक़ निस्वत फ़स्ल के जब वेदख़ली होजाय ॥

७६—फ़स्ल की क़ीमत की बाबत तनाज़ा का फ़ैसला ॥

७७—लगान क़ाबिल अदा की निस्वत तनाज़ा किस तरह ते किया जायगा ॥

७८—वेदख़ली के वाद की मुद्दत हक़्क़ दख़ीलकारी के वास्ते जोड़ी न जायगी ॥

नाजायज़ वेदख़ली की निस्वत चारहकार ॥

७९—नाजायज़ वेदख़ली की निस्वत चारहकार ॥

दफ़ात

८०—चारहकार उस सूरत मे जब डिगरी या हुक्म बेदख़ली उलट दी जाय या उलट दिया जाय ॥

८१—दफ़ा ७३ की नालिश मे किस को शामिल करना चाहिये ॥

८२—क़ब्ज़ा दिलाया जाना चाहिये ॥

इस्तेफ़ा

८३—असामी का जोत से इस्तेफ़ा देना ॥

८४—इज़ाफ़ा लगान होने पर इस्तेफ़ा देना ॥

८५—इस्तेफ़ा के इत्तलानामा की तामील मारफ़त तहसीलदार के ॥

८६—ज़मींदार की नालिश वास्ते मन्सूखी इत्तलानामा के ॥

जोत का छोड़ देना

८७—असामी का जोत को छोड़ देना ॥

बाब ६।

तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी

८८—असामियान हक़दार दख़ीलकारी का हक़ तरक़्क़ी करने की निस्वत ॥

८६—असामियान ग़ैर दख़ीलकार का हक़ कूंये बनाने की निस्वत ॥

६०—मुआवज़ा बाबत तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी के ॥

६१—मुआविज़ा की तादाद का क़रार दिया जाना ॥

६२—ऐसी तरक़्क़ी जिस का नफ़ा उस अराज़ी को पहुंचे जिस्मे असामी बेदख़ल न किया जाय ॥

दफ़ात

९३—ज़मींदार का हक़्क़ ऐसे मुआवज़ा के देने का जो ज़र नक़द न हो ॥

९४—तरक़्क़ी करने के हक़्क़ वग़ैर: की निस्बत तनाज़ा ॥

बाब ७।

मुतफ़र्रिक़ अहकाम निस्बत क़ब्ज़ाहाय अराज़ी के

९५—नालिशात निस्बत हक़ूक़ मुतअल्लिक़ह क़ब्ज़ाहाय अराज़ी के ॥

९६—हक़्क़ वास्ते लिखे हुए पट्टों और क़बूलियतों के ॥

९७—तसदीक़ बजाय रजिस्टरी के ॥

९८—ज़मींदार का हक़्क़ बाबत पैमायश अराज़ी के ॥

बाब ८।

दिया जाना और वसूल किया जाना लगान का

दिया जाना लगान का और बक़ाया लगान ॥

९९—लगान की क़िस्तें ॥

१००—लगान किस तरह क़ाबिल अदा होगा ॥

१०१—लगान किस वक़्त बक़ाया लगान हो जायगा ॥

१०२—सूद लिया जाना बक़ाया का ॥

१०३—[illegible] लगान वसूल करने [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

दफ़ात

१०५—दरख़ास्त वास्ते तईनात किये जाने ओहदेदार के वगरज़ बटाई या तख़मीना या कनकूत के ॥

१०६—ज़ाबिता ऐसी दरख़ास्त के गुज़रने पर ॥

लगान की बाबत रसीदें

१०७—असामी का हक़ लगान की बाबत रसीद पाने का ॥

१०८—जायज़ रसीद के मज़ामीन ॥

१०९—अदा किया जाना बाबत् क़िस्तों के ॥

११०—रसीद देने में या दरख़ास्त के मुताबिक़ जमा करने में इनकार करने की बाबत मुआविज़ा ॥

दाख़िल किया जाना लगान का अदालत में

१११—दरख़ास्त वास्ते जमा करने लगान के अदालत में ॥

११२—दरख़ास्त का मज़मून ॥

११३—रसीद दी जायगी ॥

११४—रसीद एक जायज़ फ़ारिग़ख़ती होगी ॥

११५—ज़र अमानत के दाख़िल होने का इश्तिहार ॥

११६—इत्तिलानामा किसके पास भेजा जायगा ॥

११७—अदा किया जाना या वापस किया जाना ज़र अमानत का॥

११८—नालिशों की रोक ॥

बाब ९

कुर्क़ी हासिलात

ज़मींदार का हक़ कुर्क़ी हासिलात का

११९—वसूल किया जाना बक़ाया का बज़रिये कुर्क़ी हासिलात के ॥

दफ़ात

१२०—किस सूरत में क़ुर्क़ी इख़्तियारी की इजाज़त नहीं है॥

१२१—क्या क्या चीज़ क़ुर्क़ की जा सकी है॥

ज़ाबिता

१२२—मुतालिबा तहरीरी और हिसाब की तामील बाक़ीदार पर की जायगी॥

१२३—क़ुर्क़ी इख़्तियारी बलिहाज़ मुनासिबत तादाद बक़ाया के होगी और माल की फ़ेहरिस्त की तामील मालिक पर की जायगी और नक़ल तहसील में दाख़िल की जायगी॥

१२४—खड़ी फ़सल वग़ैरः जब क़ुर्क़ हो गई हो काटी और भरी जा सकी है॥

१२५—ऐसे पैदावारों का नीलाम जो इकट्ठे न किये जा सकें॥

१२६—मुक़ाबिला के या रोक टोक के डर की हालत में क़ुर्क़ी करने वाले की मदद॥

१२७—नीलाम से पहिले बक़ाया और ख़र्चा पेश होने पर क़ुर्क़ी इख़्तियारी उठा ली जायगी॥

१२८—नीलाम का इश्तहार॥

१२९—इश्तहार का मज़मून॥

१३०—तामील इश्तहारात की फ़ीस॥

१३१—[illegible] इश्तहार के पहुँचने पर॥

१३२—[illegible] हालत में नीलाम की कार्रवाई की जा सकती है॥

१३३—[illegible] नीलाम का॥

१३४—[illegible] नीलाम [illegible]

[illegible]

[illegible]

दफ़ात

१३५—अदा किया जाना क़ीमत का ॥

१३६—क़ीमत न अदा होने की सूरत में फिर नीलाम किया जाना॥

१३७—ख़रीदार को सार्टीफ़िकट दिया जायगा ॥

१३८—क़ीमत क्या की जायगी ॥

१३६—ओहदेदारान नीलाम और मुलाज़िमान नीलाम को ख़री-
दने की मुमानिअत है ॥

१४०—नीलाम को रोक रखना और अदालत को रपोर्ट का किया
जाना जब कि मालिक के पास ज़ाबिता की इत्तिला न
पहुंची हो ॥

१४१—जब ओहदेदार नीलाम मौक़ा पर पहुंच जाय और नीलाम
न हो तो ख़र्चा का आयद किया जाना ॥

नालिशें जिनका तअल्लुक़ कुर्क़ी इख़्तियारी से है

१४२—नालिश उज़ुरदारी कुर्क़ी इख़्तियारी की नीलाम के पहिले॥

१४३—ज़मानत देने की सूरत में कुर्क़ी इख़्तियारी का उठा
लिया जाना ॥

१४४—माल का नीलाम जब यह तजवीज़ किया जाय कि मता-
लिबा वाजिब है ॥

१४५—जो लोग ऐसे वक़्त पर नालिश न करें कि माल नीलाम से
बच जाता उनको जायज़ है कि मुआविज़ा के वास्ते
नालिश करें ॥

१४६—क़ुर्क़ी करने वाले के ख़िलाफ़ क़ानून काम ॥

ख़ास अहकाम

१४७—हक़ूक़ निस्बत काश्तहाय शिकमी के ॥

दफ़ात

१४८—झगड़ा दर्मियान हक़्क़ बाबत् कुर्क़ी इख़्तियारी और कुर्क़ी बज़रिये डिगरी के ॥

तावानात

१४६—तावानात बाबत् बददियानती से कुर्क़ी इख़्तियारी करने या कुर्क़ी इख़्तियारी में रोक टोक करने के ॥

बाब १०

वापसी माफ़ियात लगान को

१५०—अराज़ी जिस पर बतौर माफ़ी लगान के क़ब्ज़ा हो इस क़ाबिल होगी कि उसका क़ब्ज़ा वापस ले लिया जावे या उस पर लगान बांधा जाय या उसकी बाबत मालगुज़ारी अदा को जाय ॥

१५१—बचा रहना बाज़ अराज़ियात का जिन पर क़ब्ज़ा बतौर माफ़ी के हो ॥

१५२—ज़ाबिता जब ज़िले में बन्दोबस्त हो रहा हो ॥

१५३—ज़ाबिता वापसी क़ब्ज़ा की नालिश में ॥

१५४—अराज़ी माफ़ी लगान किस सूरत में क़ाबिल वापसी होगी ॥

१५५—हुक्म बेदख़ली का जब अराज़ी की वापसी का हुक्म दिया जाय ॥

१५६—अराज़ी माफ़ी लगान किस हालत में क़ाबिल बांधने लगान के होगी ॥

१५७—क़ब्ज़ा अराज़ी की क़िस्म का और लगान का तजवीज़ किया जाना ॥

दफ़ात

१५८—किस हालत में क़ब्ज़ा अराज़ी बतौर माफ़ी लगान से हक़्क़ मिल्कियत हासिल होता है ॥

बाब ११

वक़ाया मालगुज़ारी मुनाफ़ा वग़ैरः

१५६—नालिश वक़ाया मालगुज़ारी वग़ैरः की लम्बरदार की तरफ़ से ॥

१६०—नालिश बाबत वक़ाया मालगुज़ारी के हिस्सेदार की तरफ़ से ॥

१६१—नालिश वक़ाया मालगुज़ारी माफ़ीदार वग़ैरः की तरफ़ से ॥

१६२—नालिश बाबत वक़ाया मालगुज़ारी या लगान के तअल्लुक़ेदार वग़ैरः की तरफ़ से ॥

१६३—मुनाफ़ा कब तक़सीम होगा ॥

१६४—नालिश बाबत मुनाफ़ा के लम्बरदार पर ॥

१६५—नालिश बाबत मुनाफ़ा के हिस्सेदार पर ॥

१६६—अलफ़ाज़ "लम्बरदार" वग़ैरः में वुरसा वग़ैरः दाख़िल हैं ॥

बाब १२

अदालतों का इख़्तियार समाअत

नालिशें और दरख़्वास्तें

१६७—नालिशें और दरख़्वास्तें सिर्फ़ अदालतहाय माल के क़ाबिल समाअत होंगी ॥

दफ़ात

१६८—मुतअल्लिक़ किया जाना ऐक्ट मियाद समाअत का ॥

१६९—मियाद समाअत मुक़द्दमात हस्ब ऐक्ट हाज़ा में ॥

१७०—रसूम अदालत जो नालिशों और दरख़्वास्तों की बाबत वाजिबुल अदा होगी ॥

अदालतों के दर्जे

१७१—इख़्तियारात असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जह दोम ॥

१७२—इख़्तियारात असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जा अव्वल ॥

१७३—इख़्तियारात कलेक्टर ॥

१७४—अदालतें जिनमें कार्रवाइयां दायर की जांयगी ॥

अदालतों का अपील सुनने का इख़्तियार

१७५—अपील उस तौर पर होना चाहिये जिसकी इस ऐक्ट में इजाज़त है ॥

अपील व नाराज़ी (डिगरियात या अहकाम) असिस्टेन्ट कलेक्टरान दर्जह दोम

१७६—अपील व नाराज़ी डिगरियात या अहकाम असिस्टेन्ट कलेक्टरान दर्जह दोम ॥

अपील व नाराज़ी (डिगरियात या अहकाम) असिस्टेन्ट कलेक्टरान दर्जह अव्वल

१७७—अपील व [illegible] ॥

१७८—अपील व [illegible]

१७९—अपील व [illegible]

दफ़ात

अपील व नाराज़ी (डिगरियात व अहकाम) कलेक्टरान

१८०—अपील व नाराज़ी डिगरियात व अहकाम कलेक्टर

अपील व नाराज़ी (डिगरियात) कमिश्नरान

१८१—अपील व नाराज़ी डिगरियात कमिश्नर ॥

अपील व नाराज़ी (डिगरियात) साहिबान जज ज़िला के

१८२—अपील व नाराज़ी डिगरियात जज ज़िला के ॥

नज़रसानी

१८३—बोर्ड का नज़रसानी करना ॥

१८४—दीगर अदालतों का नज़रसानी करना ॥

निगरानी

१८५—बोर्ड का इख़्तियार निस्बत तलब करने मुक़द्दमात के ॥

मुक़द्दमात का मुन्तक़िल किया जाना

१८६—हाईकोर्ट का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना ॥

१८७—बोर्ड का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना ॥

१८८—कमिश्नर का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना ॥

१८६—कमिश्नर का अपील को कलेक्टर के पास मुन्तक़िल करदेना ॥

१६०—कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना ॥

१६१—कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर का मुक़द्दमात को उठा मंगाना ॥

दफ़ात

१६८—मुतअल्लिक़ किया जाना ऐक्ट मियाद समाअत का॥
१६९- मियाद समाअत मुक़द्दमात हस्ब ऐक्ट हाज़ा में॥
१७०—रसूम अदालत जो नालिशों और दरख़ास्तों की बाबत वाजिबुल अदा होगी॥

अदालतों के दर्जे

१७१—इख़्तियारात असिस्टेन्ट कालेक्टर दर्जह दोम॥
१७२—इख़्तियारात असिस्टेन्ट कालेक्टर दर्जा अव्वल॥
१७३—इख़्तियारात कालेक्टर॥
१७४—अदालतें जिनमें कार्रवाइयां दायर की जायगी॥

अदालतों का अपील सुनने का इख़्तियार

१७५—अपील उस तौर पर होना चाहिये जिसकी इस ऐक्ट में इजाज़त है॥

अपील व नाराज़ी (डिगरियात या अह[illegible] असिस्टेन्ट कालेक्टरान दर्जह दोम

१७६—अपील व नाराज़ी डिगरीयात [illegible] असिस्टेन्ट कालेक्टरान दर्जह दोम॥

अपील व नाराज़ी (डिगरियात [illegible]
कालेक्टरान द[illegible]

१७७—अपील व [illegible]
१७८—अपील व [illegible]
१७९—अपील व [illegible]

दफ़ात

२०१—ज़ाबिता जब मुद्दई के इस्तहक़ाक़ से नालिश हसब बाब
११ में इनकार किया गया हो ॥

असामी के हक़ की बहस अदालत दीवानी में

२०२—किस हालत में अदालत दीवानी फ़रीक़ (मुक़द्दमा) को
अदालत माल से रुजू करने की हिदायत करेगी ॥

बाब १५

क़ायदे बनाने का इख़्तियार

२०३—क़ायदे बनाने की निस्बत लोकल गवर्नमेन्ट का इख़्तियार ॥
२०४—क़ायदे बनाने की निस्बत बोर्ड का इख़्तियार ॥

पहिली फ़ेहरिस्त

रक़बे जो पहिले पहल इस ऐक्ट के जारी होने से
छोड़ दिये गये हैं—

दूसरी फ़ेहरिस्त

ऐक्ट जो मंसूख़ हो गये

तीसरी फ़ेहरिस्त

नमूना (फ़ार्म) पट्टा या क़बूलियत का—

चौथी फ़ेहरिस्त

नालिशें और दरख़्वास्तें और अपील—

दफ़ात

बाब १३

ज़ाबिता

बाब १४

इख़्तियारात समाअत का तनाज़ा और बहसें निसबत इस्तहक़ाक़ (मिल्कियत) के

इख़्तियार समाअत का तनाज़ा

इस्तहक़ाक़ मिल्कियत की बहस अदालत माल में

दफ़ात

२०१—ज़ाबिता जब मुद्दई के इस्तहक़ाक़ से नालिश हसब बाब
११ में इनकार किया गया हो ॥

असामी के हक़ की बहस अदालत दीवानी में

२०२—किस हालत में अदालत दीवानी फ़रीक़ (मुक़द्दमा) को
अदालत माल से रुजू करने की हिदायत करेगी ॥

बाब १५

क़ायदे बनाने का इख़्तियार

२०३—क़ायदे बनाने की निस्बत लोकल गवर्नमेन्ट का इख़्तियार॥
२०४—क़ायदे बनाने की निस्बत बोर्ड का इख़्तियार॥

पहिली फ़ेहरिस्त

रक़बे जो पहिले पहल इस ऐक्ट के जारी होने से
छोड़ दिये गये हैं—

दूसरी फ़ेहरिस्त

ऐक्ट जो मंसूख़ हो गये

तीसरी फ़ेहरिस्त

नमूना (फ़ार्म) पट्टा या क़बूलियत का—

ऐक्ट नम्बर २

बाबत सन् १६०१ ई०

ऐक्ट वास्ते इकट्ठा करने व दुरुस्त करने क़ानून काश्तकारान: क़ब्ज़ा अराज़ी और चन्द दूसरी बातों के ममालिक मग़रबी व शिमाली मे

चूंकि यह ज़रूरी मालूम होता है कि ममालिक मग़रबी व शिमाली के क़ानून काश्तकारान: क़ब्ज़ा अराज़ी और चन्द दूसरी बातो को इकट्ठा और दुरुस्त किया जाय—इस लिये इस तहरीर की रू से नीचे लिखा हुआ हुक्म दिया जाता है—

बाब १

मरातिब इब्तिदाई

दफ़ा १—(१) जायज़ है कि यह ऐक्ट ऐक्ट क़ब्ज़ा अराज़ी ममालिक मग़रबी व शिमाली सन् १६०१ ई० के नाम से कहा जाय ॥

छोटा नाम

(२) यह ऐक्ट पहिली पहल उस सारे मुल्क से मुतअल्लिक़ है जो इस वक़्त नव्वाब लफ़्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर ममालिक मग़रबी व शिमाली के इन्तिज़ाम में हो उन रक़बों को छोड़कर जिनकी सराहत पहिली फ़िहरिस्त में की गई है ।

कहां कहां जारी होगा

लेकिन—उन हुक्कों को मानकर जो क़ानून बंगाल नम्बर ० सन् १८२८ ई० में है लोकल गवर्नमेन्ट को जायज़ है कि गज़ट में इश्तिहार छापकर इस रेगू को पूरा पूरा या इसके किसी हिस्से को उन सब या किसी रक़बों से जो इस तरह छोड़ दिये गये हैं मुतअल्लिक़ कर दे—और

कबसे जारी होगा (३) यह रेगू पहिली जनवरी सन् १६०२ ईस्वी से जारी होगा।

दफ़ा २—(१) जो क़ानून और रेगू दूसरी फ़ेहरिस्त में दर्ज हैं वहां तक मनसूख़ किये जाते हैं जिसकी सराहत उस फ़ेहरिस्त के तीसरे ख़ाना में की गई है—

मनसूख़ी

(२) जब यह रेगू या उसका कोई हिस्सा किसी ऐसे रक़बे से मुतअल्लिक़ किया जायगा जो पहिली फ़ेहरिस्त में छोड़ दिये गये हैं तो किसी ऐसे रेगू या क़ानून का जो उस रक़बा में जारी हो उस क़दर हिस्सा इस रेगू के रू से मनसूख़ हो जायगा [illegible] उस हिस्से के जो इस तरह मुतअल्लिक़ [illegible] ख़िलाफ़ हो।

[illegible] किसी क़ानून या रेगू के मनसूख़ [illegible] कार्रवाई [illegible]

तक़र्रुर जो किये गये हों और इश्तिहारात और एलानात जो जारी किये हों और मंज़ूर और इख़्तियारात और पट्टे जो दिये गये हों और लगान जो तजवीज़ किये गये हों और हुक़ूक़ जो हासिल हुये हों और ज़िम्मेदारियां जो पैदा हुई हों और जगहें जो मुक़र्रर की गई हों—जहां तक हो सके और सिवाय इसके कि ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध के ऐक्ट इबारात आम्मः सन् १८८७ ई० के हुक्मों में कुछ ख़लल पड़े-ऐसे समझे जायेंगे कि वह इस ऐक्ट के मुताबिक़ बनाये गये और किये गये और जारी किये गये और दिये गये और तजवीज़ किये गये और हासिल हुये और पैदा हुई और मुक़र्रर की गई—

ममालिक मग़रबी व शिमालीव अवध ऐक्ट नम्बर १ सन् १८८७ ईस्वी

(४) हर ऐसे क़ानून या ऐक्ट या दस्तावेज़ में जिसमें किसी ऐसे क़ानून या ऐक्ट का हवाला हो जो इस ऐक्ट की रू से मनसूख किया गया है यह समझा जायगा कि उसमें इस ऐक्ट का या उसके उस हिस्से का जिसका मज़मून मिलता हो हवाला है—

दफ़ा ३—(१) चाहे कुछ ही दफ़ा २ में लिखा हो कोई बात किसी ऐसे पट्टे या इक़रार को जो किसी ज़मींदार और असामी के दर्मियान तारीख़ पहिली अपरैल सन् १९०० ई० को या उसके पीछे हो उस असामी के किसी ऐसे हक़ को ज़ायल या महदूद न करेगी जो इस ऐक्ट की रू से दिया गया या माना गया है—

क़ैदें निसबत पट्टों और इक़रारनामों मुतअल्लिक़े क़ब्ज़ा हाय अराज़ी के

(२) ख़ासकर और बग़ैर इसके कि दफ़ा ज़िमनी (१) के हुक्मों की अमूमियत में कुछ ख़लल पड़े कोई अमर किसी पट्टे या इक़रार को जो दर्मियान ज़मींदार और असामी के पहिली अपरैल सन् १९०० ईस्वी को या उसके बाद हो—

(क) असामी को इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल करने से न रोकेगा—

(ख) असामी के इस हक़ को दूर या महदूद न करेगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी करे और उनकी बाबत मुआविज़ा का दावा करे—

(ग) ज़मींदार को इस अमर का मुस्तहक़ न करेगा कि असामी को इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय और तौर पर बेदख़ल करे—

(घ) असामी के इस हक़ को दूर न करेगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ (अराज़ी को) काश्त शिकमी पर दे—

(ङ) ज़मींदार को यह इख़्तियार न देगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय और तरह कुर्क़ी इख़्तियार करे—

दफ़ा ४—इस ऐक्ट में सिवाय इस के कि मज़मून या इबारत के अन्दर कोई बात ख़िलाफ़ इस के हो—

दफ़ा तारीफ़ी

(१) कुल ऐसे लफ़्ज़ों या इबारतों की निस्बत जिनसे किसी हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मनाफ़िक़ बाक़ै अराज़ी का रखने वाला शख़्स ज़ाहिर किया गया हो—चाहे वह हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मनाफ़िक़ [illegible] या दूसरी किस्म का हो—यह समझा जायगा कि [illegible] शख़्स के पहिले उस [illegible] हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मनाफ़िक़ के रखने वाले थे [illegible]

(२) लफ़्ज़ "अराज़ी" मे मुराद वह अराज़ी है जो काश्तकारी के कामों के वास्ते उठा दी जाय या क़ब्ज़ा मे रक्खी जाय—

(३) लफ़्ज़ "लगान" से मुराद वह चीज़ है जो किसी असामी को बाबत ऐसी अराज़ी के जो उसके क़ब्ज़ा मे हो या बाबत बाग़ों या तालाबों के या हक़ूक़ चराई या पैदावार जमा करने के या हक़ूक़ जंगल या मछली की शिकारगाह के या आबपाशी के लिये पानी के इस्तेमाल करने के या मिस्ल इसके किसी और हक़ या शै के नक़्द या जिन्स मे अदा या हवाला करनी हो—

(४) लफ़्ज़ "अदा" में उन लफ़्ज़ों के साथ जो उस के मसदर से बने हो और उन लफ़्ज़ों के साथ जो उसी तरह के मानी रखते हैं जहां यह लगान के तअल्लुक़ मे इस्तेमाल किये गये हैं लफ़्ज़ "हवाला" और दूसरे लफ़्ज़ जो उसके मस्दर से बने हैं और जो उसी तरह के मानी रखते हैं दाख़िल हैं—

(५) लफ़्ज़ "ज़मींदार" से वह शख़्स मुराद है जिसको—और लफ़्ज़ "असामी" मे वह शख़्स मुराद है जिस से—लगान क़ाबिल अदा होता है या अगर कोई मुआहिदह साफ़ २ या गोल २ न होता तो क़ाबिल अदा होता—

और लफ़्ज़ "असामी" में ठेकेदार दाख़िल है मगर मुर्तहिन हक़ूक़ मिल्कियत या माफ़ीदार लगान दाख़िल नहीं है—

(६) लफ़्ज़ "ठेकेदार" में मुस्ताजर या और ठेका रखने वाला हक़ूक़ मिल्कियत का दाख़िल है—

(७) लफ़्ज़ "असामी शिकमी" मे मुराद ऐसा असामी है जिसको अराज़ी का क़ब्ज़ा किसी ऐसे शख़्स से मिला हो जो सिर्फ़ असामी का इस्तेहक़ाक़ उस अराज़ी में रखता हो मगर हक़दार क़ब्ज़ा मुस्तक़िल या ठेकेदार न हो—

(क) असामी को इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल करने से न रोकेगा—

(ख) असामी के इस हक़ को दूर या महदूद न करेगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी करे और उनकी बाबत मुआविज़ा का दावा करे—

(ग) ज़मींदार को इस अमर का मुस्तहक़ न करेगा कि असामी को इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय और तौर पर बेदख़ल करे—

(घ) असामी के इस हक़ को दूर न करेगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ (अराज़ी को) काश्त शिकमी पर दे—

(ङ) ज़मींदार को यह इख़्तियार न देगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय और तरह कुर्क़ी इख़्तियारी करे—

दफ़ा ४—इस ऐक्ट में सिवाय इस के कि मज़मून या इबारत के अन्दर कोई बात ख़िलाफ़ इस के हो—

दफ़ा तारीफ़ी

(१) कुल ऐसे लफ़्ज़ों या इबारतों की निस्बत जिनसे किसी हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मराफ़िक़ वाक़ै अराज़ी का रखने वाला शख़्स ज़ाहिर किया गया हो—चाहे वह हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मराफ़िक़ मिल्कियत या दूसरी क़िस्म का हो—यह समझा जायगा कि उनमें वह लोग भी शामिल हैं जो ऐसे शख़्स के पहिले उस शख़्स के हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मराफ़िक़ के रखने वाले थे और पीछे रखने वाले होंगे—

(२) लफ़्ज़ "अराज़ी" से मुराद वह अराज़ी है जो काश्तकारी के कामों के वास्ते उठा दी जाय या क़ब्ज़ा में रक्खी जाय—

(३) लफ़्ज़ "लगान" से मुराद वह चीज है जो किसी असामी को बाबत ऐसी अराज़ी के जो उसके क़ब्ज़ा मे हो या बाबत बाग़ों या तालावों के या हक़ूक़ चराई या पैदावार जमा करने के या हक़ूक़ जंगल या मछली को शिकारगाह के या आवपाशी के लिये पानी के इस्तेमाल करने के या मिस्ल इसके किसी और हक़ या शै के नक़्द या जिन्स मे अदा या हवाला करनी हो—

(४) लफ़्ज़ "अदा" मे उन लफ़्ज़ों के साथ जो उस के मसदर से बने हों और उन लफ़्ज़ों के साथ जो उसी तरह के मानी रखते हैं जहां यह लगान के तअल्लुक़ मे इस्तेमाल किये गये हैं लफ़्ज़ "हवाला" और दूसरे लफ़्ज़ जो उसके मस्दर से बने है और जो उसी तरह के मानी रखते हैं दाख़िल है—

(५) लफ़्ज़ "ज़मींदार" मे वह शख़्स मुराद है जिसको—और लफ़्ज़ "असामी" मे वह शख़्स मुराद है जिस से—लगान क़ाबिल अदा होता है या अगर कोई मुआहिदह साफ़ २ या गोल २ न होता तो क़ाबिल अदा होता—

और लफ़्ज़ "असामी" में ठेकेदार दाख़िल है मगर मुर्तहिन हक़ूक़ मिल्कियत या माफ़ीदार लगान दाख़िल नहीं है—

(६) लफ़्ज़ "ठेकेदार" में मुस्ताजर या और ठेका रखने वाला हक़ूक़ मिल्कियत का दाख़िल है—

(७) लफ़्ज़ "असामी शिकमी" से मुराद ऐसा असामी है जिसको अराज़ी का क़ब्ज़ा किसी ऐसे शख़्स से मिला हो जो सिर्फ़ असामी का इस्तेहक़ाक़ उस अराज़ी में रखता हो मगर हक़दार क़ब्ज़ा मुस्तक़िल या ठेकेदार न हो—

(क) असामी को इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल करने से न रोकेगा—

(ख) असामी के इस हक़ को दूर या महदूद न करेगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी करे और उनकी बाबत मुआविज़ा का दावा करे—

(ग) ज़मींदार को इस अमर का मुस्तहक़ न करेगा कि असामी को इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय और तौर पर बेदख़ल करे—

(घ) असामी के इस हक़ को दूर न करेगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ (अराज़ी को) काश्त शिकमी पर दे—

(ङ) ज़मींदार को यह इख़्तियार न देगा कि इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय और तरह कुर्क़ी इख़्तियारी करे—

दफ़ा ४—इस ऐक्ट में सिवाय इस के कि मज़मून या के अन्दर कोई बात ख़िलाफ़ इस के हो

दफ़ा तारीफ़ी

(१) कुल ऐसे लफ़्ज़ों या इबारतों की निस्बत [
हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मराफ़िक़ वाक़ै अराज़ी का
शख़्स ज़ाहिर किया गया हो—चाहे वह हक़ या
मराफ़िक़ मिल्कियत या दूसरी क़िस्म का हो—यह
कि उनमें वह लोग भी शामिल हैं जो ऐसे
शख़्स के हक़ या इस्तेहक़ाक़ या मराफ़िक़ के
जो उसके पीछे रखने वाले होंगे—

(ख) बनाना ऐसे कामों का जो अराज़ी से पानी के निकास के लिये या अराज़ी को पानी की बाढ़ या काट से या पानी से और तरह के नुक़सान से बचाने के लिये हों— और—

(ग) लगाना दरख़्तों का और बनाना (ज़िराअ़त के लायक़ करना) या साफ़ करना या घेरना या बराबर करना या ऊंचा करना या पुश्ता या बांध बांधना अराज़ी का—और—

(घ) जोत पर या उसके ठीक आस पास में सिवाय मुक़ाम आबादी देह के और जगह ऐसी इमारतों का बनाना जो उस जोत के इस्तेमाल या दख़ल में आसायश या फ़ायदा होने के लिये दरकार हों—और

(ङ) उन कामों में से जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ किसी को नये सर से बनाना या फिर से बनाना या उसमें तबदीली करना या बढ़ाना—

लेकिन इन अल्फ़ाज़ "तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी" में नीचे लिखे हुए काम दाख़िल नहीं हैं—

(च) ऐसे चन्द रोज़ा कुएं या पानी की नालियां या पुश्ते (या बांध) या अराज़ी को बराबर करने के या घेरने के काम या और काम या ऐसी ख़फ़ीफ़ तबदीलियां या मरम्मतें इन कामों की जो असामी मामूली तौर से काश्तकारी का काम करने में किया करते हैं —या

(छ) सिवाय इसके कि अराज़ी के मालिक की लिखी हुई रज़ामन्दी से बनाया या किया जाय हर ऐसा काम जिसकी वजह से किसी और ऐसी अराज़ी की मालियत में [illegible] लिहाज़ कमी होजाय जो उस मालिक

(८) अल्फ़ाज़ "माफ़ीदार लगान" में ऐसा शख़्स दाख़िल है जिसके क़ब्ज़ा में अराज़ी बग़रज़ ख़िदमत के हो—

(९) लफ़्ज़ "जोत" से मुराद एक क़िता या ज़ियादा क़िताअत अराज़ी हैं जो एकही नेाय्यत के क़ब्ज़ा या एकही पट्टा या क़रार को बिनाय पर क़ब्ज़ा में हो या हों—

(१०) अल्फ़ाज़ "साल ज़िराअती" से मुराद वह साल है जो तारीख़ पहिली जोलाई को शुरू होता है और तीसवीं जून को ख़तम होता है—

(११) अल्फ़ाज़ "रजिस्टरी शुदा" में दफ़ा ९० के हुक्मों की रू से जो तसदीक़ किया हुआ है दाख़िल है—

(१२) अल्फ़ाज़ "तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी" से मुराद बतअल्लुक़ असामी की जोत के हर ऐसा काम है जिसके सबब से उस जोत की मालियत लगान में क़ाबिल लिहाज़ इज़ाफ़ा हो जाय और जो उस जोत के मुनासिब और उस ग़रज़ के मुताबिक़ हो जिसके वास्ते वह अराज़ी उठाई गई और जो अगर उसी जोत पर किया या बनाया न गया हो तो या तो साफ़ साफ़ उसी के फ़ायदे के वास्ते किया या बनाया गया हो या वह किये या बनाये जाने के पीछे ऐसी हालत में कर दिया गया हो कि उस अराज़ी को साफ़ २ फ़ायदा उस से पहुंचे—और उन हुक्मों की पाबन्दी के साथ जो ऊपर लिखे गये हैं उन अल्फ़ाज़ में नीचे लिखी हुई बातें भी दाख़िल है—

(क) बनाना तालाबों और कुओं और पानी की नालियों और दूसरे कामों का वास्ते जमा करने या बहम पहुंचाने या तक़सीम करने पानी के काश्तकारी के कामों के लिये—और—

(ख) बनाना ऐसे कामों का जो अराज़ी से पानी के निकास के लिये या अराज़ी को पानी की बाढ़ या काट से या पानी से और तरह के नुक़सान से बचाने के लिये हों— और—

(ग) लगाना दरख़्तों का और बनाना (ज़िराअत के लायक़ करना) या साफ़ करना या घेरना या बराबर करना या ऊंचा करना या पुश्ता या बांध बांधना अराज़ी का—और—

(घ) जोत पर या उसके ठीक आस पास में सिवाय मुक़ाम आबादी देह के और जगह ऐसी इमारतों का बनाना जो उस जोत के इस्तेमाल या दख़ल में आसायश या फ़ायदा होने के लिये दरकार हो—और

(ङ) उन कामों में से जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ किसी को नये सर से बनाना या फिर से बनाना या उसमें तब्दीली करना या बढ़ाना—

लेकिन इन अल्फ़ाज़ "तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी" में नीचे लिखे हुए काम दाख़िल नहीं हैं—

(च) ऐसे चन्द रोज़ा कुएं या पानी की नालियां या पुश्ते (या बांध) या अराज़ी को बराबर करने के या घेरने के काम या और काम या ऐसी ख़फ़ीफ़ तब्दीलियां या मरम्मतें इन कामों की जो असामी मामूली तौर से काश्तकारी का काम करने में किया करते हैं —या

(छ) सिवाय इसके कि अराज़ी के मालिक की लिखी हुई रज़ामन्दी से बनाया या किया जाय हर ऐसा काम जिसकी वजह से किसी और ऐसी अराज़ी की मालियत में क़ाबिल लिहाज़ कमी होजाय जो उस मालिक की मिल्कियत हो—

(१६) अल्फ़ाज़ "बोर्ड" और "अदालत माल" और "ओहदेदार माल" और "मुहतमिम बंदोबस्त" और "असिस्टेन्ट कलेक्टर" और "तहसीलदार" और "मालगुज़ारी" और "महाल" और "सीर" और "नम्बरदार" और "नाबालिग़" के तर्तीबवार वही मानी हैं जो ऐक्ट मालगुज़ारी अराज़ी ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध सन् १९०१ ई० में मुक़र्रर किये गये हैं—

ऐक्ट नंबर ३ सन १९०१ ई०

ऐक्ट नंबर १४ सन १८८२ ई०

ज़मींदार का अख़्तियार एजेंट कारिन्दा के ज़रिये से कार्रवाई करने का

दफ़ा ५—सिवाय उस सूरत के कि इस ऐक्ट में साफ़ तौर पर दूसरी तरह का हुक्म हो और सिवाय उस सूरत के कि मजमूआ ज़ाबिता दीवानी में बहालत ऐसी कार्रवाईयों के जो उस मजमूआ के मुताबिक़ की जानी चाहियें दूसरी तरह का हुक्म हो—हर बात जिस के करने का ज़मींदार को हुक्म या इजाज़त इस ऐक्ट में है ज़मींदार का ऐसा एजन्ट (कारिन्दा) जिसको ज़मींदार ने इस बारे में इख़्तियार दिया हो कर सकता है—और ऐसे एजन्ट (कारिन्दा) पर हुक्मनामा की तामील या उसको इत्तिला (नोटिस) का दिया जाना सब कामों के लिये वैसाही असर रक्खेगा कि गोया उसकी तामील ज़मींदार की ज़ात पर की गई या वह ज़मींदार को ख़ुद दी गई—और कुल अहकाम इस ऐक्ट के जो किसी फ़रीक़ पर हुक्मनामा की तामील किये जाने या उसको [illegible]त्तिला (नोटिस) के दिये जाने की निस्बत हैं ऐसे एजन्ट [illegible]) पर हुक्मनामा की तामील किये जाने या उसको इत्तिला [illegible]स) के दिये जाने से मुतअ़ल्लिक़ होंगे—

बाब २

असामियों की क़िस्में

दफ़ा ६—इस ऐक्ट के कामों के वास्ते नीचे लिखी हुई क़िस्में असामियों की होंगी—यानी—

असामियों की क़िस्में

(क) हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल—और

(ख) असामियान शरह मुअय्यन—और

(ग) असामियान साक़ितुल मिल्कियत—और

(घ) असामियान दख़ीलकार—और

(ङ) असामियान ग़ैर दख़ीलकार ॥

हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल और असामियान शरह मुअय्यन ॥

हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल

दफ़ा ७—(१) जब किसी ज़िला या हिस्सा ज़िला में जिसका बन्दोबस्त इस्तिमरारी हो कोई इस्तेहक़ाक़ मुस्तक़िल और क़ाबिल इन्तक़ाल वाक़े अराज़ी सिवाय बज़रिये पट्टा मियादी के किसी और तौर पर किसी ऐसे आदमी को हासिल रहा हो जिसकी हैसियत मालिक महाल और उसके क़ाबिज़ों के दर्मियान में हो और यह इस्तेहक़ाक़ एकही शरह लगान पर बन्दोबस्त इस्तिमरारी के वक़्त से उसको हासिल चला आता हो तो वह शख़्स मुस्तहक़ होगा कि उसको वह इस्तेहक़ाक़ उसी शरह पर हासिल रहे ॥

चाहे बज़रिये नीलाम बदूलत इजराय डिगरी या हुक्म किसी अदालत दीवानी या माल के या बतौर ऐसे इन्तक़ाल के जो अपनी ख़ाहिश से किया जाय और जो हिबा के ज़रिये से या महाल के हिस्सेदारान के दर्मियान बदले के ज़रिये से न किया जाय—अपनी अराज़ी सीर और उस अराज़ी का जिसको वह तारीख़ इन्तक़ाल पर बराबर बारह बरस में काश्त करता रहा हो असामी हक़दार दख़ीलकारी हो जायगा और वह मुस्तहक़ इसका होगा कि ऐसे लगान पर उसका क़ब्ज़ा रक्खे जो उस शरह में बहिसाब फ़ी रुपया चार आना कम होगा जो असामियान ग़ैर दख़ीलकार से आस पास की वैसे ही क़िस्म को और वैसीही फ़ायदों की अराज़ी की बाबत आम तौर पर क़ाबिल अदा हो—

(२) रहन भोगबंधक (रहन इन्तफ़ाई) इस दफ़ा के मंशाय के मुताबिक़ इन्तक़ाल समझा जायगा ॥

(३) अगर किसी मालिक के हिस्सा बाक़ै महाल या हिस्सा महाल का सिर्फ़ कोई टुकड़ा इस तरह मुंतक़िल किया जाय तो वह मालिक अपनी अराज़ी सीर की और उस अराज़ी की जिस की वह तारीख़ इन्तक़ाल पर बराबर बारह बरस में काश्त करता रहा हो सिर्फ़ उतनी अराज़ी का असामी हक़दार दख़ीलकार होजायगा जितनी उसके हिस्से के ऐसे टुकड़े से मुतअल्लिक़ हो या बहिसाब रसदी उसके बराबर हो ॥

(४) हर ऐसा असामी और हर असामी जिसको यही हक़ूक़ बमूजिब इसी क़िस्म के अहकाम मुन्दर्जा ऐक्ट १८ सन् १८७३ ई० या ऐक्ट १२ सन् १८८१ ई० या किसी और क़ानून या ऐक्ट के जो उस वक़्त जारी हो हासिल हों—असामी साक़ितुलमिल्कियत कहलायगा और उन बातों को छोड़कर जिनकी निसबत दूसरी तरह पर

साफ़ अहकाम दर्ज हों उसको वह कुल हक़ूक़ हासिल होंगे—और वह उन कुल ज़िम्मेदारियों का पाबन्द होगा जो असामियान दख़ीलकार को बज़रिये इस ऐक्ट के दी गई और उनपर क़ायम की गई हैं ॥

लक़ ...ी व ...ली ...वध ... सं· ...१ ई०

(५) कलेक्टर को लाज़िम होगा कि मुताबिक़ दफ़ा ३६ ऐक्ट मा· लगुज़ारी अराज़ी ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध सन् १९०१ ई० उस अराज़ी को जिसमें ऐसा हक़ दख़ीलकारी हासिल हो जाय सराहत करदे और वह लगान जो उसकी बाबत क़ा· बिल अदा हो मुक़र्रर कर दे ॥

(६) इस दफ़ा के किसी अमर से किसी ऐसी अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल न होगा जो किसी ऐसे सरकारी या ख़ानगी काम के लिये मुन्तक़िल कीजाय—जो इस क़िस्म का हो कि उसकी वजह से उस अराज़ी में हक़ काश्त क़ायम न रह सकता हो ॥

असामियान दख़ीलकार

हासिल होना हक़ दख़ीलकारी का

दफ़ा ११—हर असामी को जो उसी अराज़ी पर बारह बरस की मुद्दत तक क़ाबिज़ रहा हो उस अ· राज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल होगा ॥

मगर शर्त यह है कि किसी असामी को इस दफ़ा की रू से किसी ऐसी अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल न होगा जिस पर वह—

(क) बहैसियत ऐसे पट्टेदार के जो रजिस्टरी किये हुये पट्टे के ज़रिये से जिसकी मियाद ७ बरस से कम न हो·या

(ख) बहैसियत ठेकेदार के—या

(ग) बहैसियत असामो शिकमी के—

क़ाबिज़ रहे—

और कोई हक़ दख़ीलकारी हासिल न होगा—

(घ) अराज़ी सीर में—या—

(ङ) किसी ऐसी अराज़ी में जो फ़ौजी पड़ाव या और ऐसा रक़बा हो जो किसी सरकारी काम या आम फ़ायदा के किसी काम के लिये हासिल किया गया या क़ब्ज़ा मे रक्खा गया हो या जो ऐसे पड़ाव या और रक़बा का एक हिस्सा हो ॥

यह भी शर्त है कि बारह साल की मुद्दत गिनने मे ऐसी मुद्दत जिसमे अराज़ी इस ऐक्ट के हुक्मों के ख़िलाफ़ काश्त शिकमी पर दी गई या दूसरी तरह मुन्तक़िल की गई हो हिसाब से ख़ारिज कर दी जायगी मगर उसमे यह नहीं समझा जायगा कि अ-सामी की जोत का सिलसिला टूट गया ॥

तमसीलात

(क) ज़ैद एक असामी ग़ैर दख़ीलकार ने उसी (एकही) अ-राज़ी की बराबर पांच साल तक काश्त की और फिर उसको दो साल की मुद्दत के लिये काश्त शिकमी पर दिया और इसके बाद फिर उसको बराबर पांच साल तक काश्त की—पस ज़ैद को उस अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल नहीं हुआ है लेकिन अगर वह उस अराज़ी की और दो साल तक सिवाय उन हैसियतों के जिनकी तसरीह इस दफ़ा की पहिली इबारत शर्तिया फ़िक़रात (क) लग़ायत (ग) में की गई है और तरह

बराबर काश्त करे तो उस वक़्त उस को उस अराज़ी में हक़ दख़ीलकारी हासिल हो जायगा ॥

(ख) ज़ैद एक असामी ग़ैर दख़ीलकार ने उसी (एकही) अराज़ी की बराबर चार साल तक काश्त की और फिर उस को एक साल के लिये बतौर जायज़ काश्त शिकमी पर दिया इसके बाद फिर उसकी दो साल तक काश्त की फिर उसको दफ़ा ज़िम्नी (३) दफ़ा २५ के हुक्मों के ख़िलाफ़ एक साल के लिये काश्त शिकमी पर दिया फिर उसकी चार साल तक काश्तकी–पस हक़ दख़ीलकारी के हासिल करने के लिये ज़ैद को और एक साल तक उस अराज़ी की काश्त करनी होगी ॥

वक़्त जब से १२ बरस की मुद्दत शुरू होती है

दफ़ा १२—दफ़ा ११ की ग़रज़ों के लिये यह क़ाबिल लिहाज़ न होगा कि आया बारह बरस की मुद्दत इस ऐक्ट के शुरू होने से पहिले या उसके पीछे शुरू हुई ॥

मगर शर्त यह है कि जब इस ऐक्ट के शुरू होने से पहिले या बर वक़्त शुरू होने इस ऐक्ट के कोई असामी ऐसे लिखे हुये पट्टे के ज़रिये से जो किसी मुक़र्ररा मियाद के लिये हो क़ाबिज़ रहा हो या क़ाबिज़ हो—

या जब किसी सूरत में कोई असामी उस हैसियत से क़ाबिज़ हो जिसकी तसरीह फ़िक़रा (क) या (ख) या (ग) दफ़ा ११ में की गई है—

तो यह बारह बरस की मुद्दत उस मियाद (पट्टा) के ख़तम होने से या उस वक़्त से जब असामी का कब्ज़ा उस हैसियत से न रहे शुरू होगी ॥

दफ़ा १३—दफ़ा ११ की ग़रज़ों के लिये असामी की निस्बत यह समझा जायगा कि उसका क़ब्ज़ा बराबर रहा—

बराबर क़ब्ज़ा रखने की तशरीह

(क) जो उसके ज़मींदार ने बेजा तौर से उसका क़ब्ज़ा उठा दिया हो या वह बज़रिये ऐसी डिगरी या हुक्म अदालत के बेदख़ल कर दिया गया हो जो आख़िर को अपील मे या और तरह मंसूख़ की गई या किया गया हो—

बशर्ते कि उस अराज़ी पर उस को क़ब्ज़ा फिर दिला दिया गया हो या उसने किसी और तरह उसका क़ब्ज़ा फिर हासिल कर लिया हो—या

(ख) जो वह मुताबिक़ दफ़ा ४०—ऐक्ट १२ सन् १८८१ ईस्वी या फ़िक़रा (क) या (ख) दफ़ा ७८ इस ऐक्ट के उस अराज़ी से बेदख़ल कर दिया गया हो—

बशर्ते कि उसके ऐसे बेदख़ल किये जाने की तारीख़ से एक साल के अन्दर उसको उसके ज़मींदार ने उस अराज़ी का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी फिर दे दिया हो जिस से वह इस तरह बेद- ख़ल किया गया था—या

(ग) जो उस ने उस अराज़ी से इस्तेफ़ा दूसरी अराज़ी के लेने के साफ़ २ या गोल गोल इक़रार पर दे दिया हो—

बशर्ते कि ऐसे इस्तेफ़ा की तारीख़ से एक साल के अन्दर उसको वह दूसरी अराज़ी न मिली हो और उसको उसके ज़मींदार ने उस अराज़ी का जिससे इस तरह इस्तेफ़ा दिया गया था क़ब्ज़ा बहैसियत असामी फिर दे दिया हो—या

(घ) गो उसका क़ब्ज़ा उस अराज़ी से जाता रहा हो—बशर्ते कि उन हालात पर जिनकी तसरीह ठीक अगली दफ़ा में की गई है उसको और अराज़ी का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दे दिया गया हो—

"उसी (या वही) अराज़ी" की तशरीह

दफ़ा १४—(१) अगर किसी असामी का क़ब्ज़ा किसी अराज़ी से जाता रहे ख़्वाह—

(क) बवजह इसके कि उसका क़ब्ज़ा उस अराज़ी से बेजा तौर से उठा दिया गया हो—या

(ख) बज़रिये किसी ऐसी डिगरी या हुक्म अदालत के जो आख़िर को अपील में या और तरह मंसूख़ की गई या किया गया हो—या

(ग) बवजह बेदख़ली मुताबिक़ दफ़ा ४० ऐक्ट १२ सन् १८८१ ईस्वी या फ़िक़रा (क) या (ख) दफ़ा ५८ इस ऐक्ट के—या

(घ) बवजह इसके कि उसने उस अराज़ी से इस्तेफ़ा दूसरी अराज़ी लेने के साफ़ २ या गोल २ इक़रार पर दे दिया हो—

और इस तरह क़ब्ज़ा के जाते रहने की तारीख़ से एक साल के अन्दर उसको उसका ज़मींदार किसी दूसरे अराज़ी का—जो चाहे उसी मौज़ा में हो या न हो—क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दे दे—

तो उस दूसरी अराज़ी की निस्बत—उस सूरत में कि उसकी [illegible] लगान उस अराज़ी की मालियत लगान से ज़ियादह

नहीं जिसपर से उसका क़ब्ज़ा इस तरह जाता रहा हो यह समका जायगा कि वह उसके बदले में मिली है और दफ़ा ११ की ग़रज़ों के लिये वह वही अराज़ी समझी जायगी जो उसके क़ब्ज़ा में इस बदले से पहिले थी ॥

(२) अगर मालियत लगान उस अराज़ी को जिसका क़ब्ज़ा बहै-सियत असामी किसी असामी को उसके ज़मींदार ने इस तरह दिया हो उस अराज़ी की मालियत लगान से ज़ियादह हो जिस पर से उस असामी का क़ब्ज़ा जाता रहा हो तो उस अराज़ी के जिसका पहिले ज़िक्र हुआ उस क़दर रक़बा की निस्बत जिसकी मालियत लगान उस अराज़ी के जिसका ज़िक्र पीछे हुआ मालि-यत लगान के बराबर हो यह समका जायगा कि वह उसके बदले में मिली है और दफ़ा ११ की ग़रज़ों के लिये वह वही अराज़ी समझी जायगी ॥

(३) अगर मुताबिक़ दफ़ा ज़िम्नी (२) कोई बहस इस बात की निस्बत पैदा हो कि वह ख़ास रक़बा कौनसा है जिसमें हक़ दख़ीलकारी पैदा हुआ तो अदालत को लाज़िम होगा कि यक रक़बा मुअय्यन करदे जिसकी मालियत लगान जहां तक मुम-किन हो उस अराज़ी की मालियत लगान के क़रीब २ बराबर हो जो पहिले उस असामी के क़ब्ज़ा में थी—और उस रक़बा की निस्बत यह क़रार दे कि वह वह अराज़ी है जो उस अराज़ी (पहिली) के बदले में मिली है ॥

मगर शर्त यह है कि अगर इस तरह अराज़ी के क़ब्ज़ा का जाता रहना और दूसरी अराज़ी पर क़ब्ज़ा बहैसियत असामी के दिया जाना उस मुद्दत बारह बरस में यक बार से ज़ियादा हुआ हो तो यह काफ़ी होगा कि अदालत उस अराज़ी के कुल

(घ) गो उसका क़ब्ज़ा उस अराज़ी से जाता रहा हो—बशर्ते कि उन हालात पर जिनकी तशरीह ठीक अगली दफ़ा में की गई है उसको और अराज़ी का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दे दिया गया हो—

दफ़ा १४—(१) अगर किसी असामी का क़ब्ज़ा किसी अराज़ी से जाता रहे ख़्वाह—

"उसी (या वही) अराज़ी" की तशरीह

(क) बवजह इसके कि उसका क़ब्ज़ा उस अराज़ी से बेजा तौर से उठा दिया गया हो—या

(ख) बज़रिये किसी ऐसी डिगरी या हुक्म अदालत के जो आख़िर को अपील में या और तरह मंसूख़ की गई या किया गया हो—या

(ग) बवजह बेदख़ली मुताबिक़ दफ़ा ४० ऐक्ट १२ सन् १८८१ ईस्वी या फ़िक़रा (क) या (ख) दफ़ा ५८ इस ऐक्ट के—या

(घ) बवजह इसके कि उसने उस अराज़ी से इस्तफ़ा दूसरी अराज़ी लेने के साफ़ २ या गोल २ इक़रार पर दे दिया हो—

और इस तरह क़ब्ज़ा के जाते रहने की तारीख़ से एक साल के अन्दर उसको उसका ज़मींदार किसी दूसरे अराज़ी का—जो चाहे उसी मौज़ा में हो या न हो—क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दे दे—

तो उस दूसरी अराज़ी की निस्बत—उस सूरत में कि उसकी मालियत लगान उस अराज़ी की मालियत लगान से ज़ियादह

रिये नीलाम बइल्लत इजराय डिगरी या हुक्म किसी
नी या माल के या बतौर ऐसे इन्तक़ाल के जो
ग से किया जाय और जो हिबा के ज़रिये से या
स्सेदारान के दर्मियान बदले के ज़रिये में न किया
अराज़ी सीर और उस अराज़ी का जिसको वह
क़ाल पर बराबर बारह बरस से काश्त करता रहा
हक़दार दख़ीलकारी हो जायगा और वह मुस्तहक़
कि ऐसे लगान पर उसका क़ब्ज़ा रक्खे जो उस शरह
फ़ी रुपया चार आना कम होगा जो असामियान
रार में आस पास की वैसे ही किस्म को और वैसीही
अराज़ी की बाबत आम तौर पर क़ाबिल अदा हो—

हन भोगबंधक (रहन इन्तफ़ाई) इस दफ़ा के मंशाय के
इन्तक़ाल समझा जायगा ॥

अगर किसी मालिक के हिस्सा वाक़े महाल या हिस्सा
सिर्फ़ कोई टुकड़ा इस तरह मुंतक़िल किया जाय तो
क अपनी अराज़ी सीर की और उस अराज़ी की जिस
तारीख़ इन्तक़ाल पर बराबर बारह बरस से काश्त
ा हो सिर्फ़ उतनी अराज़ी का असामी हक़दार दख़ीलकार
ा जितनी उसके हिस्से के ऐसे टुकड़े से मुतअल्लिक़ हो
साथ रसदी उसके बराबर हो ॥

हर ऐसा असामी और हर असामी जिसको यही हक़ूक़
इसी [illegible] के अहकाम मुन्दर्जा ऐक्ट १८ सन् १८७३ ई०
[illegible] और क़ानून या ऐक्ट के जो उस
[illegible] मक़्बूज़ियत कहलायगा
[illegible] बाबत दूसरी तरह पर

रक़बा में से जिसका क़ब्ज़ा बहैसियत असामी उस असामी को दिया गया हो एक रक़बा जो जहां तक होसके एकजाई हो और जिसकी मालियत लगान जहां तक मुमकिन हो उस अराज़ी के कुल रक़बा की मालियत लगान के क़रीब क़रीब बराबर हो जो पहिले उसके क़ब्ज़ा में थी—मुअय्यन कर दे ॥

(४) जब कोई रक़बा मुताबिक़ दफ़ा ज़िम्नी (३) मुअय्यन किया जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि अगर ज़रूरत हो उसी के मुताबिक़ उस जोत के लगान को फांट दे ॥

तमसीलात

(क) एक असामी का क़ब्ज़ा खेत (क) का उस तौर पर जिसकी तसरीह फ़िक़रा (क) या (ख) या (ग) या (घ) दफ़ा १४ (१) में है जाता रहा और उसको एक साल के अन्दर खेत (भ) का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दिया गया और वह इस खेत पर उस वक़्त क़ाबिज़ है जब उसके दावी एक दख़ीलकारी की तहक़ीक़ात हुई—अगर मालियत लगान खेत (भ) की मालियत लगान खेत (क) से ज़ियादा नहीं है तो खेत (भ) की निस्बत यह समझा जायगा कि वह खेत (क) के बदले में मिला है और दफ़ा ११ की ग़रज़ों के लिये उसकी अराज़ी वही अराज़ी समझी जायगी जो खेत (क) की है ॥

(ख) मगर उन हालात में जिनका ज़िक्र तमसील (क) में है खेत (भ) की मालियत लगान खेत (क) की मालियत लगान से ज़ियादा है तो खेत (भ) के उस क़दर रक़बा [illegible] जिसकी मालियत लगान खेत (क) की मालियत लगान के [illegible] हो समझा जायगा

कि वह खेत (क) के बदले में मिला और वह वही अ- राज़ी है जो खेत (क) की है और अदालत खेत (भ) का उस क़दर रक़बा मुअय्यन करदेगी जिसकी मालियत लगान खेत (क) की मालियत लगान के बराबर हो और असामी को रक़बा मज़कूर में हक़ दख़ीलकारी हा- सिल होगा ॥

(ग) एक असामी का क़ब्ज़ा खेत (क) का उस तौर पर जि- सकी तसरीह दफ़ा १४ (१) में है जाता रहा और एक साल के अन्दर उस को खेत (भ) का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दिया गया—उसके पीछे उसी तौर पर उसका क़ब्ज़ा खेत (भ) का जाता रहा और एक साल के उसको खेत (म) का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दिया गया— पस अदालत खेत (म) में से उस क़दर रक़बा मुअय्यन करदेगी जिसकी मालियत लगान खेत (क) या खेत (भ) की मालियत लगान के—यानी इन दोनों में से जिसकी मालियत लगान कम हो—बराबर हो—

(घ) एक असामी का क़ब्ज़ा जुदा जुदा वक़्तों पर खेत (क) व (ख) व (ग) से उस तौर पर जाता रहा जिसकी त- सरीह दफ़ा (१४) (१) के फ़िक़रा (क) या (ख) या (ग) या (घ) में है और हर खेत का क़ब्ज़ा जाते रहने से एक साल के अन्दर उसको तर्तीबवार खेत (भ) व (म) व (य) का क़ब्ज़ा बहैसियत असामी दिया गया जिनकी मालियत हाय लगान तर्तीबवार (क) और (ख) और (ग) की मालियत हाय लगान से कम नहीं हैं और असामी मज़कूर बवक़्त तहक़ीक़ात खेत हाय

(भ) व (म) व (य) पर क़ाबिज़ है यह काफ़ी होगा कि अदालत खेत (भ) व (म) व (य) में से ऐसा रक़बा मुअय्यन कर दे जो जहां तक होसके एकजाई हो और जिसकी मालियत लगान जहां तक क़रीब २ होसके खेत हाय (क) व (ख) व (ग) के कुल रक़बा की मालियत लगान के बराबर हो और इस बात की ज़रूरत न होगी कि खेत हाय (भ) व (म) व (य) में से ऐसे अलेहदा २ रक़बे मुअय्यन किये जायें जिनकी मालियत लगान तर्तीबवार खेत (क) व (ख) व (ग) की मालियत लगान के बराबर हो ॥

बाज़ अहकाम का असर उस ज़माना पर न होगा जो पहिली जौलाई सन् १९०० ई० के पहिले हो

दफ़ा १५—बावजूद किसी बात के जो इसमें पहिले इस ऐक्ट में दर्ज है अगर मुद्दत बारह बरस की तारीख़ पहिली जौलाई सन् १९०० ई० के पहिले शुरू हुई तो दफ़ा १३ के फ़िक़रात (ख) व (ग) व (घ) का या दफ़ा १४ का कोई मज़मून उस तारीख़ के पहिले (के ज़माना) की निसबत मुतअ़ल्लिक़ न समझा जायगा ॥

असामियान दख़ीलकार

दफ़ा १६—हर असामी जिसको दफ़ा ११ के बमूजिब या ऐक्ट १० सन् १८५९ ईस्वी या ऐक्ट १८ सन् १८७३ ई० या ऐक्ट १२ सन् १८८१ ईस्वी के उसी क़िस्म के हुक्मों के बमूजिब या किसी और ऐक्ट या क़ानून के बमूजिब जो उस वक़्त जारी हो हक़ दख़ीलकारी हासिल हो असामी दख़ीलकार कहलायेगा और उसको वह [illegible] होंगे और वह उन कुल ज़िम्मेदारियों का

पाबन्द होगा जो बज़रिये इस ऐक्ट के असामियान दखीलकार को दी गई और उन पर क़ायम की गई है ॥

दफ़ा १७—बावजूद किसी बात के जो फ़िक़रा (च) दफ़ा ११ में दर्ज है जो असामी हक़ दखीलकारी किसी अराज़ी मे रखता हो उसको हक़ दखीलकारी किसी ऐसी दूसरी अराज़ी में हासिल होगा जो उस को मालिक से उस अराज़ी के बदले में जिसका ज़िक्र पहिले हुआ मिले और उसके पीछे उस असामी को उस अराज़ी मे हक़ दखीलकारी हासिल न रहेगा जो उसने इस तौर पर बदल मे दी हो ॥

बदली हुई जोतों की निस्बत हक़

हक़ दखीलकारी का मिट जाना

दफ़ा १८—हक़ दखीलकारी मिट जायगा—

(क) जब कि असामी मर जाय और कोई ऐसा वारिस न छोड़े जो इस ऐक्ट के बमूजिब उस हक़ के विरासतन् पाने का मुस्तहक़ हो—

(ख) ऐसी अराज़ी में जिसमे असामी बज़रियै इजराय किसी डिगरी या हुक्म अदालत के बेदख़ल किया गया हो—

(ग) ऐसी जोत मे जिसको असामी ने छोड़ दिया हो या जिससे ज़मींदार पर इस्तैफ़ा के इत्तलानामा की तामील हो जाने के पीछे उसने इस्तैफ़ा दे दिया हो—

(घ)—ऐसी अराज़ी मे जो किसी सरकारी ग़रज़ या फ़ायदा आम के किसी काम के लिये हासिल की गई हो ॥

हक़ पहिले हासिल हुआ या जो बज़रिये विरासत उसमें हिस्सेदार होगये हों ॥

(३) इस्तेहक़ाक़ ठेकेदार का—उसके पट्टा (ठेका) की शर्तों की पाबन्दी के साथ—क़ाबिल विरासत है मगर क़ाबिल इन्तक़ाल नहीं है ॥

हुक़ूक़ ऐसे क़ब्ज़ादाय अराज़ी में जो मुन्तक़िल नहीं किये जा सकते

दफ़ा २१—जब असामी का इस्तेहक़ाक़ क़ाबिल इन्तक़ाल न हो तो उसको इख़्तियार इस बात का न होगा कि अपनी जोत या उसके किसी टुकड़े को—सिवाय ऐसे काश्त शिकमी पर देने के जिसकी निस्बत इस ऐक्ट में इसके पीछे हुक्म है—और तरह मुन्तक़िल करे ॥

क़ब्ज़ा दाय अराज़ी का विरासतन पाना

दफ़ा २२—जब कोई असामी साक़ितुल मिल्कियत या असामी दख़ीलकार या असामी ग़ैर दख़ीलकार (सिवाय ठेकेदार के) मर जाय तो उसका इस्तेहक़ाक़ उसकी जोत के निस्बत जैसा कि नीचे लिखा गया है विरासत के ज़रिये से पहुंचेगा—

(क) उसकी औलाद को जो मर्द हो और मर्दों की नसल के सिलसिले में हो—और

(ख) ऐसी औलाद के न होने की हालत में उसकी बेवा को उस वक़्त तक कि वह मर जाय या दूसरा ब्याह करे—और

(ग) ऐसी औलाद और बेवा के न होने की सूरत में उस मरे हुए असामी के भाई को जो उसी बाप का लड़का हो जिसका लड़का वह था जो मर गया ॥

और ऐसे वारिसों के न होने की सूरत में जिनका ऊपर ज़िक्र है—

(घ) असामी मुतवफ़्फ़ा के लड़की के लड़के को-और

(ङ) ऐसी लड़की के लड़के के न होने की सूरत में सब से क़रीब के रिश्तेदार तरफ़ी को जो मर्द हो और जो मर्दों के सिलसिला नसल में हो ॥

मगर शर्त यह है कि कोई ऐसा लड़की का लड़का या रिश्तेदार तरफ़ी विरास्तन् पाने का मुस्तहक़ न होगा जो असामी के मरजाने के वक़्त उसकी जोत (खाते) की काश्त में शरीक न था ॥

शिकमी पट्टे

मुस्तसना होना उन पट्टेजात का जो ठेकेदार दें

दफ़ा २३—दफ़ात २४ लग़ायत ३० की कोई बात उन पट्टों से मुतअ़ल्लिक़ न होगी जो ठेकेदार दें ॥

काश्त शिकमी पर देने का हक़

दफ़ा २४—असामी को जायज़ है कि अपनी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को उन क़ैदों के साथ जो इस ऐक्ट की रू से लगाई गई हैं काश्त शिकमी पर दे—

मगर शर्त यह है कि किसी ऐसे काश्त शिकमी पर देने से असामी किसी तरह अपनी उन ज़िम्मेदारियों से जो उसके ज़मींदार के हक़ में उस पर हैं बरी न होगा ॥

दफ़ा २७—(१) लाज़िम होगा कि कोई असामी साक़ितुलमिल्कियत या असामी दख़ीलकार अपनी कुल जोत या उसका कोई टुकड़ा किसी ऐसी मियाद के लिये जो पांच बरस से ज़ियादा हो काश्त शिकमी पर न दे और किसी ऐसे शिकमी पट्टे की मियाद गुज़र जाने से दो बरस के अन्दर फिर अपनी कुल जोत या उसके किसी टुकड़े को काश्त शिकमी पर न दे ॥

असामियान साक़ितुलमिल्कियत व दख़ीलकार व ग़ैरदख़ीलकार की तरफ़ से शिकमी पट्टे

(२) अगर शिकमी पट्टा ऐसी मियाद के लिये हो जो एक साल से ज़ियादा हो या साल बसाल के लिये हो तो लाज़िम होगा कि यह सिर्फ़ रजिस्टरी की हुई दस्तावेज़ के ज़रिये से दिया जावे ॥

(३) लाज़िम होगा कि कोई असामी ग़ैर दख़ीलकार एक साल से ज़ियादा मुद्दत के लिये (अराज़ी) काश्त शिकमी पर नदे और किसी ऐसे शिकमी पट्टे की मुद्दत गुज़रने से तीन साल के अन्दर फिर काश्त शिकमी पर नदे ॥

(४) इस दफ़ा की कोई बात ऐसी जोत से मुतअल्लिक़ न होगी जो किसी ऐसे शख़्स की हो जो गवर्नमेन्ट की फ़ौजी नौकरी में हो या जो किसी औरत या नाबालिग़ या पागल या बेअक़्ल की हो ॥

दफ़ा २८—लाज़िम है कि कोई असामी शिकमी अपने ज़मींदार की लिखी हुई रज़ामन्दी के सिवाय दूसरे तौर पर (अराज़ी) काश्त शिकमी पर न दे ॥

असामियान शिकमी की तरफ़ से शिकमी पट्टे

दफ़ा २७– जब किसी असामी ने (अराज़ी) काश्त शिकमी पर दी हो तो उस असामी का जानशीन हक़ीयत पट्टा शिकमी की शर्तों का उस हद तक पाबन्द होगा जहां तक कि वह ख़ुद उसके पट्टा की शर्तों के और इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ हों॥

काश्त शिकमी पर देने वाले का जानशीन पट्टा शिकमी का पाबन्द होगा

दफ़ा २८—जब किसी असामी ने इस ऐक्ट के शुरू होने से पहिले (अराज़ी) काश्त शिकमी पर दी हो या इस ऐक्ट के शुरू होने के पीछे इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ अराज़ी काश्त शिकमी पर दी हो और उस असामी का इस्तेहक़ाक़ इस पट्टा शिकमी की मियाद गुज़रने से पहिले मिटजाय—तो कुल क़ौल व क़रार जो असामी और असामी शिकमी के दर्मियान वाजिबुल तामील और क़ाबिल नफ़ाज़ हों उस असामी के ज़मींदार और उस असामी शिकमी के बाहम वाजिबुल तामील और क़ाबिल नफ़ाज़ होंगे॥

हक़ूक़ जो काश्त शिकमी पर देने वाले के इस्तेहक़ाक़ के मिटजाने पर उस हालत में होंगे जब पट्टा शिकमी ऐक्ट से पहिले या उसके मुताबिक़ दिया गया हो

मगर शर्त यह है कि अगर वह लगान जो असामी शिकमी से क़ाबिल अदा हो उस लगान से कम हो जो उस वक़्त तक असामी से क़ाबिल अदा था तो असामी शिकमी को जायज़ है कि अगर वह चाहे या तो उस जोत या उसके उस हिस्से को जो इस तरह काश्त शिकमी पर दी गई या दिया गया हो ख़ाली करदे या पट्टा शिकमी की बची हुई मियाद के वास्ते बपाबन्दी ज़िम्मे·

दारी अदा करने लगान के उस शरह से जो उस वक़्त तक असामी से क़ाबिल अदा रही हो—बदस्तूर क़ब्ज़ा रक्खे ॥

यह भी शर्त है कि अगर असामी उन वजहों में से जिनकी तसरीह दफ़ा ५० में है किसी वजह की बिनाय पर बे दखल किया जाय तो असामी शिकमी का इस्तेहक़ाक़ मिट जायगा ॥

दफ़ा २६—जब असामी ने इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवा किसी और तौर पर अराज़ी काश्त शिकमी पर दी हो और उस असामी का इस्तेहक़ाक़ उस शिकमी पट्टे की मियाद गुज़रने के पहिले मिटजाय—तो कुल क़ौल व क़रार जो दर्मियान असामी और असामी शिकमी के वाजिबुल तामील और क़ाबिल नफ़ाज़ हों वह—अगर उस असामी का ज़मींदार चाहे—ज़मींदार और असामी शिकमी के बाहम वाजिबुल-तामील और क़ाबिल नफ़ाज़ होंगे ॥

हक़ूक़ जो काश्त शि-कमी पर देने वाले के इस्तेहक़ाक़ के मिटजाने पर उस हालत मे होंगे जब पट्टा शिकमी ऐक्ट के मुताबिक़ नहो

दफ़ा ३०—जब असामी शिकमी का इस्तेहक़ाक़ उस असामी के इस्तेहक़ाक़ के मिटने के साथ मिट जाय जिसकी तरफ़ से यह क़ब्ज़ा रखता हो तो उस असामी शिकमी को लाज़िम होगा कि उसी के मुताबिक़ अपनी जोत को ख़ाली कर दे—लेकिन निसबत लेजाने खड़ी हुई फ़सल और ज़मीन के दूसरे पैदावारों के असामी शिकमी को वही हक़ूक़ हासिल होंगे जो बहालत बेदख़ली इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ असामी को हासिल होते ॥

शिकमी पट्टों का मिट जाना

नाजायज़ शिक़मी पट्टों और दूसरे नाजायज़ इन्तक़ालों के निस्बत चारह कार

दफ़ा ३१—(१) हर पट्टा शिक़मी या दूसरा इन्तक़ाल और हर इक़रार निस्बत काश्त शिक़मी पर देने या दूसरी तरह पर मुन्तक़िल करने के जो कोई असामी इस ऐक्ट के हुक्मों के ख़िलाफ़ दे या करे उस तौर पर जैसा कि इस ऐक्ट में आगे हुक्म है मन्सूख़ होने के लायक़ होगा॥

नाजायज़ शिक़मी पट्टों और दूसरे नाजायज़ इन्तक़ालों के निसबत चारह कार

(२) जब किसी असामी ने कोई ऐसा शिक़मी पट्टा दिया हो या दूसरा इन्तक़ाल किया हो तो ज़मींदार को जायज़ है कि उसकी मन्सूख़ी के वास्ते या उस असामी और काश्त शिक़मी पर रखने वाले या दूसरे तौर पर इन्तक़ाल कराने वाले के बेदख़ल कराने के वास्ते या इन दोनों बातों के वास्ते नालिश करे॥

(३) जब किसी असामी ने कोई ऐसा इक़रार निस्बत काश्त शिकमी पर देने या दूसरी तरह पर मुन्तक़िल करने के किया हो तो ज़मींदार को जायज़ है कि उसकी मन्सूख़ी के वास्ते नालिश करे॥

(४) ऐसी हर नालिश में लाज़िम होगा कि काश्त शिक़मी पर लेने वाला या दूसरे तौर पर इन्तक़ाल लेने वाला या वह शख़्स जिसने पट्टा शिक़मी पर लेने या दूसरे इन्तक़ाल कराने का इक़रार किया हो नालिश का एक फ़रीक़ बनाया जाय।

हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की बांट

दफ़ा ३२—(१) जोत की कोई बांट या उस लगान की जो उसकी बाबत अदा होता हो कोई फांट जो उसके हिस्सेदार करें ज़मींदार पर क़ाबिल पाबन्दी के न होगी सिवाय उस सूरत के कि वह उसकी रज़ामन्दी से की गई हो॥

हक़ूक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की बांट और लगान की फांट नाफ़िज़ कसने के क़ाबिल न होगी॥

(८) कोई नालिश या और कार्रवाई वास्ते बांट किसी जोत के या वास्ते उसके लगान को फांट के किसी अदालत दीवानी या माल में सुनी न जायगी ॥

बाब ४

तक़र्रुर और इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़ लगान

अहकाम आम

इन्तिदाई लगान असामी का

दफ़ा ३३—असामी अराज़ी का दख़ल पाने पर उस लगान के अदा करने का ज़िम्मेदार होगा जो उसके और उसके ज़मींदार के दर्मियान में क़रार पाये ॥

लगान जो बहालत न होने इक़रारनामा के क़ाबिल अदा होगा

दफ़ा ३४—जिस शख़्स ने अराज़ी पर बग़ैर रज़ामन्दी ज़मींदार के दख़ल कर लिया हो वह उस अराज़ी के बाबत लगान का उस पर्ता से ज़िम्मेदार होगा जो पिछले साल में दिये जाने के क़ाबिल था या अगर पिछले साल में कुल लगान दिये जाने के क़ाबिल न था तो ऐसे पर्ता से जो अदालत मुनासिब और वाजबी क़रार दे—लेकिन उस आदमी की निसबत जब तक कि वह उस अराज़ी का लगान अदा करना शुरू न करे यह न समझा जायगा कि वह मुताबिक़ मंशाय दफ़ा ११ उस अराज़ी पर क़बज़ा रखता है ॥

क़यास निसबत लगान के

दफ़ा ३५—जो लगान या पर्ता लगान किसी असामी से क़ाबिल अदा हो उसकी निसबत यह क़यास करना लाज़िम होगा कि वह वह लगान या पर्ता लगान है जो पहिले उससे क़ाबिल

अदा था—जब तक कोई रजिस्टरी किया हुआ इक़रारनामा या डिगरी या हुक्म अदालत का जिसकी रू से उस लगान या पर्ती लगान में कमी या बेशी की गई हो साबित न किया जाय॥

मुआविज़ा बाबत ऐसे लगान के जो ज़बरदस्ती से ज़ियादा ले लिया गया हो

दफ़ा ३६—ऐसा असामी जिससे कोई रक़म या पैदावार उस का ज़मींदार उस तादाद से ज़ियादा ज़बरदस्ती लेले जो उस असामी से बतौर बक़ाया लगान मुताबिक़ इस ऐक्ट के या किसी और ऐक्ट या क़ानून के जो उस वक़्त जारी हो वसूल होने के क़ाबिल हो—मुस्तहक़ इस का होगा कि अलावा उस रक़म या मालियत पैदावार के जो इस तरह ज़बरदस्ती ली गई हो उस ज़मींदार से उतना मुआविज़ा वसूल करे जो इस तौर पर ज़बरदस्ती लेली हुई रक़म या पैदावार की दोगुनी रक़म या दोगुनी मालियत से ज़ियादा न हो और जिसकी बाबत अदालत डिगरी करना मुनासिब समझे॥

लगान मुक़र्रर करने में असामी की ज़ात और क़िस्म का लिहाज़ किया जाना

दफ़ा ३७—जब किसी अदालत को किसी असामी का लगान मुक़र्रर करना हो अगर यह साबित हो जाय कि उस जगह की रस्म या बर्ताव से—

(क) उस लगान के मुक़र्रर करने में जो असामियों को देना होता है ज़ात का लिहाज़ किया जाता है—या

(ख) किसी [illegible] के लोग अराज़ी पर लगान के रियायती पर्ती प[illegible]ने हैं—

तो लगान ऐसी रस्म या वर्ताव पर लिहाज़ कर के मुक़र्रर किया जायगा—लेकिन किसी सूरत में लगान उस तादाद से कम मुक़र्रर न होगा जो तादाद उस मालगुज़ारी पर जो बाबत उस जोत के अदा होनी चाहिये—बोस रुपया सैकड़ा बढ़ाने से निकले ॥

इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ की बाबत नालिशें किस वक़्त दायर की जानी चाहियें

दफ़ा ३८—लाज़िम है कि कुल नालिशें वास्ते इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ लगान के जून की तीसवीं तारीख़ और अक्तूबर की पहिली तारीख़ के दर्मियान में दायर की जायें ॥

ऐसी नालिशों की डिगरियों का किस वक़्त से अमल दरआमद होगा

दफ़ा ३६—इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ की हर डिगरी का उस जुलाई की पहिली तारीख़ से अमल दरआमद होगा जो उस डिगरी की तारीख़ के ठीक पीछे पड़े सिवाय उस सूरत के कि किसी वजह से जो लिखी जानी चाहिये अदालत यह हुक्म देना मुनासिब समझे कि उसका किसी पहिली तारीख़ से अमल दरआमद होगा ॥

असामियान शरह मुअय्यन

असामियान शरह मुअय्यन के लगान में इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़

दफ़ा ४०—(१)—ज़मींदार को जायज़ है कि असामी शरह मुअय्यन के लगान में इज़ाफ़ा के वास्ते नालिश सिर्फ़ इस बिनाय पर करे कि ऐसे असामी की जोत की अराज़ी का रक़बा बवजह दरिया बरआमद के या बवजह इसके कि उस असामी ने ज़मीन दबाली है बढ़ गया है ॥

(२) असामी शरह मुअय्यन को जायज़ है कि अपने लगान में तख़फ़ीफ़ के वास्ते नालिश सिर्फ़ इस बिनाय पर दायर करे कि उस को जोत की अराज़ी का रक़बा बवजह दरिया बुर्द के या किसी सरकारी काम या फ़ायदा आम के किसी काम के वास्ते ज़मीन के लिये जाने की वजह से घट गया है॥

असामियान साक़ितुल मिल्कियत और असामियान दख़ीलकार

इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़ की निस्बत अहकाम

दफ़ा ४१—(१)—असामी साक़ितुल मिल्कियत या असामी दख़ीलकार का लगान इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ के क़ाबिल होगा सिर्फ़—

(क) रजिस्टरी किये हुए इक़रारनामा के ज़रिये से—या

(ख) डिगरी या हुक्म अदालत माल के ज़रिये से—

और जब इस तरह उसमे इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ हो जाय तो फिर क़ाबिल इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ के न होगा जब तक या सिवाय इसके कि—

(ग) दस बरस की या ऐसी और जियादा मुद्दत जिसकी निस्बत आपस में इक़रार हुआ हो या डिगरी या हुक्म हुआ हो गुज़र जाय—या

(घ) महाल की तशख़ीस जमा की मंज़ूरी से पहिले लोकल गवर्नमेन्ट के हुक्म से नज़रसानी हो जाय—या

(ङ) उस रक़बा मुक़ामी की जिसके अन्दर महाल हो बन्दोबस्त की मियाद ख़तम हो जाय—

मगर—

(च) इन वजहों की बिनाय पर जो फ़िक़रा हाय (ख) व (ग) व (घ) व (च) दफ़ा ४२ में—या फ़िक़रा हाय (ग) व (घ) व (ङ) व (छ) दफ़ा ४३ मे—जैसी कि सूरत हो—दर्ज है—या

(छ) उस तौर पर जिस की निस्बत शिमाली हिन्दुस्तान की नहरों और पानी के निज़ाम के ऐक्ट सन् १६०३ ईस्वी की दफ़ात ११ व १२ मे हुक्म है—

ऐक्ट नम्बर ८ सन् १८८३ ई०

(२) जब लगान में बेशी या कमी सिर्फ़ ब वजह बढ़ जाने या घट जाने रक़बा के बमूजिब फ़िक़रा (ग) या फ़िक़रा (ङ) दफ़ा ४२ या फ़िक़रा (घ) या फ़िक़रा (छ) दफ़ा ४३ के किया गया हो तो ऐसी दस बरस की मुद्दत के हिसाब लगाने मे ऐसी बेशी या कमी का लिहाज़ नहीं किया जायगा ॥

(३) वह मियाद जिसके वास्ते असामी साक़ितुल मिल्कियत या असामी दख़ीलकार का लगान डिगरी या हुक्म अदालत माल के ज़रिये से मुक़र्रर किया जायगा दस बरस से कम न होगी—मगर दस बरस से ज़ियादा कोई मियाद इस तरह मुक़र्रर न की जायगी सिवाय इस के कि फ़रीक़ैन रज़ामन्द हों ॥

दफ़ा ४२—(१) किसी असामी साक़ितुल मिल्कियत के ज़मींदार को जायज़ है कि नीचे लिखी हुई वजहों में से एक या ज़ियादा वजहो की बिनाय पर और न किसी और वजहों की बिनाय पर इज़ाफ़ा लगान के वास्ते नालिश करे ॥

असामियान साक़ितुल मिल्कियत के लगान में इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़

(क) यह कि वह पर्ता लगान का जो ऐसा असामी अदा करता है बनिस्बत उस पर्ता लगान के रुपया में चार आने से ज़ियादा कम है जो आम तौर पर असामियान ग़ैर दख़ीलकार से आस पास की वैसीही क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों की अराज़ी की बाबत् अदा होता है—या—

(ख) यह कि उस अराज़ी की क़ुव्वत पैदावार जो उस असामी के क़ब्ज़ा में है बवजह ऐसी तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के जो उस लगान के क़ायम रहने की मुद्दत के अन्दर जो अब दिया जाता हो असामी के ज़रिया या ख़र्च के सिवाय और तरह पर की गई—बढ़गई है—या—

(ग) यह कि असामी की जोत का रक़बा बवजह दरिया बरआमद के या बवजह इसके कि उस असामी ने ज़मीन दबाली है बढ़ गया है ॥

(२) किसी ऐसे असामी को जायज़ है कि एक या दोनों नीचे लिखी हुई वजूह की बिनाय पर—और न किसी और वजह की बिनाय पर—तख़फ़ीफ़ लगान के वास्ते नालिश करे ॥

(च) यह कि उस अराज़ी की क़ुव्वत पैदावार जो उस असामी के क़ब्ज़ा में है उस लगान के क़ायम रहने की मुद्दत के अंदर जो अब दिया जाता है किसी ऐसे सबब से जो उसके इख़्तियार से बाहर था घट गई है—या—

(ङ) यह कि उसकी जोत का रक़बा बवजह दरियाबुर्द के या ज़मीन दबा लिये जाने के या किसी सर्कारी काम

या फ़ायदा आम के किसी काम के वास्ते ज़मीन दिये जाने की वजह से घट गया हो ॥

असामियान दख़ीलकार के लगान में इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़

दफ़ा ४३—(१) किसी असामी दख़ीलकार के ज़मींदार को जायज़ है कि नीचे लिखी हुई वजूह में से एक या ज़ियादा की बिनाय पर और न किसी और वजहों की बिनाय पर-इज़ाफ़ा लगान के वास्ते नालिश करे ॥

(क) यह कि वह पर्ता लगान जो ऐसा असामी अदा करता है उस आम पर्ता से कम है जो असामियान दख़ीलकार वैसी ही क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों की अराज़ी की बावत् अदा करते हैं—या

(ख) यह कि उस लगान के क़ायम रहने की मुद्दत के अन्दर जोकि अब दिया जाता है औसत क़ीमतें उन आल जिन्सों की जो खाई जाती हैं उस ख़ास जगह मे बढ़गई है—या

(ग) यह कि उस अराज़ी की क़ुव्वत पैदावार जो असामी के क़बज़ा में है बवजह ऐसी तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के जोकि उस लगान के क़ायम रहने की मुद्दत के अन्दर जो अब दिया जाता है--असामी के ज़रिये या ख़र्च के सिवाय और तौर पर की गई—बढ़ गई है—या

(घ) यह कि असामी की जोत का रक़बा बवजह दरिया-बरआमद के या बवजह इसके कि असामी ने ज़मीन दबा ली है—बढ़ गया है—

(२) किसी ऐसे असामी को जायज़ है कि नीचे लिखी हुई वजूह में से एक या ज़ियादह वजूह की बिनाय पर—और न किसी और वजूह की बिनाय पर—तख़फ़ीफ़ लगान के वास्ते नालिश करे—

(ङ) यह कि उस लगान के क़ायम रहने की मुद्दत के अन्दर जोकि अब दिया जाता है औसत क़ीमतें उन अस्ल जिन्सों की जो खाई जाती हैं उस ख़ास जगह में घट गई हैं—या

(च) यह कि उस अराज़ी की क़ुव्वत पैदावार जो असामी के क़ब्ज़ा में है उस लगान के क़ायम रहने की मुद्दत के अन्दर जोकि अब दिया जाता है किसी ऐसी वजह से जो उस के इख़्तियार से बाहर थी घट गई है—या

(छ) यह कि उसकी जोत का रक़बा बवजह दरियाबुर्द के या बवजह ज़मीन दबा लिये जाने के या किसी सरकारी काम या फ़ायदा आम के किसी काम के वास्ते ज़मीन लिये जाने की वजह से घट गया है॥

दफ़ा ४४—जिस अराज़ी की निस्बत कोई नालिश इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ लगान मुताबिक़ दफ़ा ४३ दायर की गई हो उसका मुक़ाबिला उस दफ़ा के फ़िक़रा (क) की ग़रज़ों के वास्ते किया जायगा—

इन्तख़ाब अराज़ी का मुक़ाबिला के वास्ते

(क) जब उस रक़बा मुक़ामी को जिसके अन्दर वह अराज़ी है मुहतमिम बन्दोबस्त ने एकसी हैसियत और एकसी ज़मीन के हलक़ों (चकों) में तक़सीम कर दिया हो—तो ऐसी ही क़िस्म और उसी तरह के

फ़ायदों को अराज़ी के साथ जो उसी हलक़ा के अन्दर हो ॥

(ख) जब मुहतमिम बन्दोबस्त ने ऐसे रक़बा मुक़ामी को इस तरह तक़सीम न किया हो-तो वैसीही क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों को ऐसी अराज़ी के साथ जो उसी परगना मे या हम सरहद्दी परगना मे वाक़े हो ॥

दफ़ा ४५—(१) जायज़ है कि किसी तादाद असामियान मा-क़ितुल मिल्कियत या असामियान दख़ील-कार पर यकजाई नालिश बाबत इज़ाफ़ा लगान के दायर की जाय या कोई तादाद ऐसे असामियान को यकजाई नालिश बग़रज़ तख़फ़ीफ़ लगान दायर करे—मगर शर्त यह है कि वह कुल आसमी यकही ज़मींदार को असामी हों और वह कुल जोतें जिनको निस्बत नालिश दायर कीगई हो यकही महाल के अन्दर हो ॥

नालिशात इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ लगान में असामियों का शामिल होना

(२) कोई डिगरी जिससे किसी शख़्स के हक़ पर असर पहुंचे किसी ऐसी नालिश मे न दी जायगी—जब तक कि अदालत का यह इतमीनान न हो जाय कि ऐसे शख़्स को हाज़िर होने और उसके सुने जाने का मौक़ा मिल चुका है ॥

(३) लाज़िम है कि डिगरी में सराहत इस अमर की करदी जाय कि उन (सब) असामियों में से हर एक पर किस किस क़दर असर उसका पहुंचता है ॥

दफ़ा ४६—असामी साक़ितुल मिल्कियत या असामी दख़ील-कार के लगान में इज़ाफ़ा की डिगरी करने में अगर वह इज़ाफ़ा उस लगान को एक चौथाई से कम न हो और अगर अदालत

लगान के ऐसे इज़ाफ़े जो कई बरस मे पूरे हो

यह समझे कि अगर फ़ौरन पूरी डिगरी का अमल दरामद करा दिया जायगा तो उसकी वजह से असामी पर सख़्ती होगी—अदालत को जायज़ है कि यह हिदायत करे कि (रक़म) इज़ाफ़ा का अमल दरामद सालाना वेशी से इतने वर्सों तक किया जाय जिनकी तादाद पांच से ज़ियादा न हो ॥

असामियान ग़ैर दख़ीलकार

असामियान ग़ैर दख़ीलकार के लगान में इज़ाफ़ा इक़रार के ज़रिये से

दफ़ा ४७—ऐसे असामी ग़ैर दख़ीलकार के लगान में जो असामी अराज़ी सीर या असामी शिकमी या ठेकेदार न हो इज़ाफ़ा बज़रिये ऐसे इक़रार के जो दर्मियान उस असामी और उसके ज़मींदार के हो नीचे लिखी हुई शर्तों पर हो सकता है—

(क) जो इक़रार वास्ते अदा करने इज़ाफ़ा किये हुये लगान के हो बज़रिये ऐसी दस्तावेज़ के होगा जिसकी रजिस्टरी की गई हो—और

(ख) असामी मुस्तहक़ होगा कि अराज़ी को उस इज़ाफ़ा किये हुये लगान पर ऐसी मियाद तक अपने क़ब्ज़ा में रक्खे कि जो पांच बरस से कम न हो ॥

असामी ग़ैर दख़ील-कार के लगान में इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़ बज़रिये नालिश

दफ़ा ४८—चाहे कुछ हो फ़िक़रा (ख) दफ़ा ४७ में लिखा हो असामी ग़ैर दख़ीलकार के लगान में इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ की नालिश दायर की जासकती है—

(क) उन वजहों की बिनाय पर जो फ़िक़रा हाय (घ) व (ङ) दफ़ा ४३ में निस्बत इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ लगान असामी दख़ीलकार के दर्ज हैं—या

(ख) मुताबिक़ अहकाम दफ़ात ११ व १० शिमाली ऐक्ट नं० ८ सन् १८७३ ई० हिन्दुस्तान की नहरों और पानी के निकास के ऐक्ट सन् १८७३ ई० के ॥ (ऐक्ट नं० ८ सन् १८७३ ईस्वी)

इस्तिस्नाई अहकाम

दफ़ा ४६—(१) चाहे कुछ हो इस्से पहिले इस ऐक्ट में दर्ज हो जब कोई ऐसा ज़मींदार जिसने अपनी अराज़ी की बाबत सरकार के साथ मुआहिदा किया हो कोई पट्टा दे या इक़रार करे जिसके बमूजिब किसी अराज़ी का लगान किसी ऐसी मुद्दत के लिये मुक़र्रर कर दिया जाय जो उस मियाद में आगे तक हो जिस के लिये उस का मुआहिदा सरकार से हुआ हो और ऐसे मुआहिदा की मियाद गुज़र जाय तो ऐसा पट्टा या इक़रार—

(कमी या बेशी उस लगान की जो ऐसे पट्टे की रू से मुक़र्रर किया गया हो जो उस मुद्दत के वास्ते दिया जाये जो ज़मींदार के मुआहिदा की मियाद से आगे तक हो)

(क) उस सूरत में कि उस मियाद के गुज़रने पर उस मालगुज़ारी में जो उस अराज़ी की बाबत क़ाबिल अदा हो इज़ाफ़ा किया जाय—अगर ज़मींदार चाहे मन्सूख़ होने के लायक़ होगा—सिवाय इसके कि असामी उस क़दर लगान देना क़बूल करे जो कलेक्टर ज़मींदार की नालिश पर मुनासिब और वाजिबी तजवीज़ करे—और

(ख) उस सूरत में कि उस मियाद के गुज़रने पर उस मालगुज़ारी अराज़ी में तख़फ़ीफ़ की जाय—अगर असामी चाहे मन्सूख़ होने के लायक़ होगा—सिवाय इसके कि ज़मींदार उस क़दर लगान लेना क़बूल करे जो कलेक्टर असामी की नालिश पर मुनासिब और वाजिबी तजवीज़ करे—

(२) जब उस रक़बा मुक़ामी का जिस के अन्दर अराज़ी हो बन्दोबस्त होरहा हो तो मुहतमिम बन्दोबस्त कलेक्टर के इख़्तियारात जिनका इस दफ़ा में हुक्म है काम में लायेगा॥

माफ़ किया जाना लगान का ऐसी अदालत के हुक्म से जो बक़ाया लगान की डिगरी करे

दफ़ा ५०—(१) चाहे कुछही इस ऐक्ट में इस्से पहिले लिखा हो अगर बक़ाया लगान की नालिश में डिगरी करने के वक़्त अदालत को यह मालूम हो कि उस मुद्दत के अन्दर जिस की बाबत् बक़ाया लगान का दावा किया गया है जोत का रक़बा बवजह दरियाबुर्द या और किसी वजह से इस क़दर घटगया या पैदावार उस जोत की बवजह सूखा पड़ने या ज़ाला ज़िदगी (ओला पड़ने) या रेत पड़जाने के या इसी क़िस्म की और आफ़त से इस क़दर कम हो गई कि उस पूरी तादाद लगान की जो असामी को उस मुद्दत की बाबत् देना चाहिये वाजिबी तौर से डिगरी नहीं दीजा सकती है तो अदालत को जायज़ है कि कलेक्टर की मंज़ूरी पहिले हासिल कर के उस लगान में से जो असामी को उस मुद्दत की बाबत् देना चाहिये उस क़दर माफ़ करदे जिस क़दर अदालत को वाजिब मालूम हो॥

(२) कलेक्टर के हुक्म मुताबिक़ दफ़ा ज़िमनी (१) पर जिस की रू से माफ़ी लगान मंज़ूर या ना मंज़ूर की जाय किसी अदालत दीवानी या माल में एतराज़ न किया जायगा ॥

(३) इस दफ़ा के किसी मज़मून की निस्बत यह न समझा जायगा कि उसकी रू से उस लगान में कोई माफ़ी करने की इजाज़त दी गई है जो किसी हक़दार क़ब्ज़ा मुस्तक़िल या असामी शरह मुअय्यन या ठेकेदार से वाजिबुल अदा हो ॥

(४) किसी ऐसी माफ़ी से जो इस दफ़ा के हुक्मों के बमू-जिब की जाय यह न समझा जायगा कि जो लगान असामी से क़ाबिल अदा है उसमें सिवाय उस मुद्दत के जिसकी बाबत वह माफ़ी की गई हो किसी और तरह तबदीली की गई है ॥

(५) जब लगान में ऐसी माफ़ी से जो इस दफ़ा के अह-काम के बमूजिब की जाय किसी महाल या पट्टी की निकासी में क़ाबिल लिहाज़ कमी हो जाय तो हुक्काम माल को लाज़िम होगा कि किसी ऐसे दावे पर जो मालिक उस मालगुज़ारी में से माफ़ी के वास्ते करे जो उस महाल या पट्टी की बाबत अदा होने वाली हो लिहाज़ करे और उसकी निसबत ऐसा हुक्म दें जो मुक़-द्दमा के हालात पर लिहाज़ कर के मुनासिब हो ॥

(६) इस दफ़ा के अहकाम लगान की ऐसी माफ़ियों से मुतअल्लिक़ न होंगे जिनका दावा दरिया बर आमद वाले क़ितओं में किसी ऐसे मुक़ामी रिवाज के मुताबिक़ किया जाय जिसकी रू से लगान में ऐसी माफ़ी उन जोतों की निस्बत की जाती हो जिनका रक़बा क़ाबिल ज़राअत बवजह दरिया बुर्द या रेत पड़ने या इसी क़िस्म की और वजूह के घट गया हो ॥

इख़्तियार लगान के माफ़ करने या उसके अदा के मुल्तवी करने का जब मालगुज़ारी माफ़ की जाय या उसका अदा करना मुल्तवी किया जाय

दफ़ा ५१—(१) जब किसी वजह से लोकल गवर्नमेंट कुल या किसी हिस्सा मालगुज़ारी को जो किसी अराज़ी की बाबत अदा होती हो किसी मुद्दत के लिये माफ़ करे या उसका अदा करना मुल्तवी करे तो उस कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जा अव्वल को जिसको लोकल गवर्नमेंट इस बात का इख़्तियार दे जायज़ है कि यह हुक्म दे कि लगान उन असामियों के कि जो उस अराज़ी पर या उसके किसी हिस्से पर दर्मियानी के ज़रिये से या बिला दर्मियानी के मालिक की तरफ़ से क़ाबिज़ हैं उस मुद्दत की बाबत माफ़ किये जायें या मुल्तवी किये जायें जिसकी बाबत मालगुज़ारी का अदा करना जैसा कि ऊपर लिखा गया माफ़ किया गया या मुल्तवी किया गया हो—जैसी कि सूरत हो—जिनकी तादाद उस तादाद मालगुज़ारी के दुचन्द के बराबर होगी जिसका अदा किया जाना इस तरह माफ़ किया गया या मुल्तवी किया गया है—या जिनकी तादाद उस अराज़ी के कुल लगान के साथ वही निस्बत रक्खेगी जो वह तादाद मालगुज़ारी जिसका अदा किया जाना इस तरह माफ़ किया गया या मुल्तवी किया गया हो उस कुल मालगुज़ारी से रखती है जो उस अराज़ी की निस्बत अदा होने वाली हो ॥

(२) जो हुक्म दफ़ा ज़िमनी (१) के बमूजिब दिया जाय उस पर किसी अदालत दीवानी या माल में पूछ गछ न की जायगी ॥

(३) कोई नालिश वास्ते वसूल पाने किसी ऐसे लगान के जिसका अदा करना माफ़ कर दिया गया हो—या उस मुद्दत

के अन्दर जिसके वास्ते अदा करना मुल्तवी किया गया हो—वास्ते वसूल पाने किसी ऐसे लगान के जिस का अदा करना मुल्तवी किया गया हो दायर न की जायेगी॥

(४) जब लगान का अदा करना मुल्तवी किया गया हो वह मुद्दत जिस में वह इल्तवा क़ायम रहे उस मियाद समाअत के हिसाब लगाने में निकाल दी जायगी जो वास्ते नालिश दिला पाने लगान के मुक़र्रर की गई है॥

(५) अगर कोई मालिक या और ज़मींदार कोई ऐसा लगान तहसील करले जिस का अदा करना माफ़ कर दिया गया हो या इल्तवा की मुद्दत गुज़रने से पहिले कोई ऐसा लगान तहसील करले जिसका अदा करना मुल्तवी कर दिया गया हो तो वह कुल मालगुज़ारी या लगान—जैसी कि सूरत हो—जो उस के हक़ में माफ़ या मुल्तवी की गई या किया गया हो फ़ौरन उस से लिये जाने के लायक़ हो जायगी या हो जायगा॥

दफ़ा ५२—(१) लोकल गवर्नमेन्ट को जायज़ है कि जब उस का यह इतमीनान हो जाय कि किसी रक़बे में जिस की तसरीह की गई हो अमन आम की ग़रज़ से उन इख़्तियारात का जो नीचे लिखे हैं बर्ता जाना ज़रूरी है तो पहिले नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की मंज़ूरी लेकर इश्तिहार गज़ट में छाप कर किसी कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल को नीचे लिखे हुए इख़्तियारात या उन में से कोई इख़्तियारात उस रक़बा के अन्दर दे—यानी—

ओहदेदार को यह इख़्तियार दिया जाना कि लगानकी (तादाद) ते करे और उस में तख़फ़ीफ़ करे और लगान (ग़ल्लई) का मुबादिला करे

(क) कुल लगानों के तै करने का इख़्तियार—

(ख) लगानों के तै करने के वक़्त लगानों में कमी करने का इख़्तियार अगर उस ओहदेदार की राय में उन लगानों का क़ायम रखना जो उस वक़्त दिये जाते हों किसी वजह से चाहे वह वजह उस रेक्ट में दर्ज हो या न हो—नामुनासिब या ग़ैर वाजिबी हो—

(ग) ग़ल्लई लगानों को नक़दी लगानों में बदलने का इख़्तियार—

(२) जायज़ है कि जिस ओहदेदार को इस दफ़ा के बमूजिब इख़्तियारात दिये जायें उस को ऐसे इख़्तियारात चाहे आम तौर पर चाहे ऐसे मुक़द्दमों या मुक़द्दमों की क़िस्मों के हवाला से जिनकी सराहत करदी जाय दिये जायें और उस ओहदेदार को कुल इख़्तियारात मुहतमिम तरतीब काग़ज़ात मुताल्लिक़ बाब ४ रेक्ट मालगुज़ारी अराज़ी मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवध सन् १९०१ ईस्वी के हासिल होंगे॥

(३) इस दफ़ा की कोई बात उन लगानों से मुतअल्लिक़ न होगी जो हक़दारान क़ब्ज़ा मुस्तक़िल या असामियान शरह मुअय्यन से क़ाबिल अदा हों॥

(४) हर हुक्म [illegible] दफ़ा के बमूजिब लगान तै [illegible] जाय आइन्दा उस [illegible] ओ- हदेदा [illegible]

इस है-

लेकिन इस दफ़ा के बमूजिब दिये हुये किसी हुक्म की निस्बत किसी अदालत दीवानी या माल में और तरह पर पूछ गछ न होगी ॥

इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ ते किये हुये लगानों में

दफ़ा ५३—जब ठीक पिछली दफ़ा के बमूजिब किसी जोत का लगान ते किया गया हो या बदला गया हो तो वह—

(क) जोत साक़ितुलमिल्कियत या दख़ीलकारी की सूरत में उस तारीख़ में जिसमें कि ते किये हुए या बदले हुए लगान का अमल दरामद हो दस बरस तक क़ाबिल इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ न होगा मगर उन वजूह की बिनाय पर जो फ़िक़राहाय (च) व (छ) दफ़ा ४१ में दर्ज है—और

(ख) ऐसी जोत ग़ैर दख़ीलकारी की सूरत में जो ठेकेदार की जोत न हो और इस ऐक्ट के उन हुक्मों की पाबन्दी के साथ जो काश्तहाय शिकमी की बाबत हैं उस तारीख़ में जिसमें कि इस तरह ते किये हुये या बदले हुए लगान का अमल दरामद हो सात बरस तक-सिवाय उन वजूह की बिनाय पर जो दफ़ा ४८ में दर्ज हैं और तरह-क़ाबिल इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ न होगा—

सिवाय इसके कि उस महाल की जिसके अन्दर यह जोत हो ——— इससे पहिले ख़तम हो जाय ॥

बाब ५

बेदख़ली और इस्तीफ़ा और छोड़देना (जोत का)

बेदख़ली की वजूह

बेदख़ली क़ानून के मुताबिक़ होनी चाहिये

दफ़ा ५६—कोई असामी इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय किसी और तौर पर बेदख़ल न किया जायगा ॥

बेदख़ल किये जाने की वजूह

दफ़ा ५७—हर असामी जो हक़दार क़ब्ज़ा मुस्तक़िल न हो अपनी जोत से नीचे लिखी हुई वजूह में से एक या ज़ियादा की बिनाय पर बेदख़ल हो सकेगा—यानी—

(क) इस बिनाय पर कि उस पर या ऐसे शख़्स पर जो उससे पहिले उस हक़ का रखनेवाला था कोई डिगरी वक़ाया लगान की निस्बत उस जोत के बाबत् किसी साल ज़राअती के उस साल के ख़तम होने पर अदा होने को बाक़ी रही है ॥

(ख) किसी ऐसे काम के करने या न करने के बिनाय पर जो उस जोत की अराज़ी को नुक़सान पहुंचाये या उस ग़रज़ के ख़िलाफ़ हो जिसके वास्ते यह अराज़ी उठाई गई थी ॥

(ग) इस बिनाय पर कि उसने या किसी शख़्स ने जो उस की तरफ़ से क़ब्ज़ा रखता हो ऐसी शर्त तोड़ दी है जो इस ऐक्ट के अहकाम के ख़िलाफ़ न थी—और जिसके तोड़ने से वह बमूजिब मुआहिदा ख़ास के

जो उसके ज़मींदार के साथ हुआ है बेदख़ल किये जाने के लायक़ है ॥

(घ) इस बिनाय पर कि उसने अपनी कुल जोत या उस का कोई हिस्सा इस ऐक्ट के हुक्मों के ख़िलाफ़ काश्त शिकमी पर दिया या दूसरी तरह मुन्तक़िल कर दिया है—

मगर शर्त यह है कि फ़िक़रा (घ) की कोई बात असामी शरह मुअय्यन से मुतअल्लिक़ न होगी ॥

ख़ास वजूह असामियान ग़ैर दख़ीलकार के बेदख़ल किये जाने की

दफ़ा ५८—असामी ग़ैर दख़ीलकार सिवाय उन वजूह के जिनकी तफ़सील ठीक पिछली दफ़ा में की गई है नीचे लिखी हुई वजूह में से एक या ज़ियादा की बिनाय पर बेदख़ली के लायक़ होगा—यानी—

(क) इस बिनाय पर कि वह सिर्फ़ बतौर ऐसे असामी के जो साल बसाल के लिये हो अराज़ी पर क़ब्ज़ा रखता है॥

(ख) इस बिनाय पर कि वह ऐसे पट्टे के ज़रिये से अराज़ी पर क़ब्ज़ा रखता है जिसकी मियाद गुज़र चुकी है या चलते हुये साल ज़राअती के ख़तम होने पर या उससे पहिले गुज़र जायगी ॥

(ग) इस बिनाय पर कि उसने ऐसा पट्टा लेने से जिसमें उसकी जोत की उस वक़्त की तफ़सीलें दफ़ा ६६ के हुक्मों के मुताबिक़ दर्ज थीं और उसकी क़बूलियत देने से इन्कार किया ॥

ज़ाबिता

(क) दरबारा बेदख़ली बक़ाया की इल्लत में

दफ़ा ५६—जब कोई ज़मींदार किसी असामी को उस वजह को विनाय पर जो फ़िकरा (क) दफ़ा ५० में दर्ज है बेदख़ल करना चाहे तो ज़मींदार को लाज़िम होगा कि उसी तरीक़ा के मुताबिक़ जो डिगरी के इजराय के वास्ते हो उस अदालत में दरख़्वास्त करे जिसको उस वक़्त उसके जारी करने का इख़्तियार हो॥

कार्रवाई दरबारा बेदख़ली उस वक़ाया की इल्लत में जिसकी डिगरी हो गई

दफ़ा ६०—दरख़्वास्त के पहुंचने पर अदालत असामी पर एक इत्तिलानामा की तामील करायेगी जिसमें वह रक़म लिखी होगी जो बमूजिब उस डिगरी के जिसकी बाबत वह बेदख़ली के लायक़ है वसूल होनी चाहिये और असामी को यह हुक्म होगा कि उस इत्तिलानामा की तामील से पन्द्रह दिन के अन्दर वह रक़म अदालत में अदा करे या यह वजह ज़ाहिर करे कि वह अपनी जोत से बेदख़ल क्यों न किया जाय॥

असामी पर इत्तिलानामा जारी किया जायगा

दफ़ा ६१—अगर ऐसे वक़्त के अन्दर या ऐसे ज़ियादा वक़्त के अन्दर जिसका देना ऐसी वजूह की विनाय पर जो लिखी जानी चाहियें अदालत मुनासिब समझे वह रक़म इस तरह अदा न की जाय या उस के अदा किये जाने की इत्तिला अदालत में मुताबिक़ अहकाम दफ़ा २५८ मजमूआ ज़ाबिता दीवानी के न की जाय—या अगर असामी

वक़ाया के अदा न किये जाने की हालत में बेदख़ली

वजूह इस बात को कि ऐसा हुक्म क्यों न दिया जाना चाहिये ज़ाहर न करसके तो अदालत को लाज़िम होगा कि उस असामी को बेदख़ली का हुक्म दे—

मगर शर्त यह है कि अगर असामी कोई दावा बाबत त॰ रक़्क़ियात हैसियत अराज़ी के करे तो उस दावा की तहक़ीक़ात की जायेगी और अदालत को लाज़िम होगा कि निस्वत तादाद उस मुआविज़ा के जो तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी की बाबत असामी को मिलना चाहिये अपनी तजवीज़ लिखे—अगर उस रक़म से जो असामी से बतौर बक़ाया लगान बाबत उसकी जोत के—चाहे उसकी निस्वत डिगरी हो चुकी हो या न हो चुकी हो—वसूल के क़ाबिल हो और ख़र्चा को मिलाकर (अगर कुछ हो)—मुआविज़ा ज़ियादा हो तो उसकी बेदख़ली का हुक्म इस शर्त पर दिया जायगा कि ज़मींदार बाक़ी रुपया जो असामी को पाना हो उस मुद्दत के अन्दर जिसको अदालत हिदायत करे अदा करदे ॥

अगर मुआविज़ा उस रक़म से ज़ियादा न हो जो असामी से मुताबिक़ उस सराहत के जो ऊपर को गई वसूल के क़ाबिल हो तो असामी बेदख़ल किया जायगा लेकिन वह मुस्तहक़ इस का होगा कि उस मुआविज़ा को जो उसका पाना तजवीज़ किया जाय किसी ऐसे दावा बक़ाया लगान--मय ख़र्चा में (अगर कुछ हो) मुजरा करे जो उसके ऊपर ज़मींदार ने किया हो--

यह भी शर्त है कि अगर ऐसा दावा असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जे दोयम की अदालत में किया जाय तो उसको लाज़िम होगा कि उस दरख़्वास्त बेदख़ली को असिस्टेन्ट कलेक्टर मुहतमिम हिस्सा ज़िला या कलेक्टर के पास फ़ैसला के वास्ते भेज दे ॥

दफ़ा ६२—दफ़ा ७१ से लेकर दफ़ा ७८ तक के हुक्म जहां तक होसके कुल ऐसी कार्रवाइयों मे मुतअल्लिक़ होंगे जो दफ़ा ५६ के बमूजिब हों—

दफ़ात ७१ से ७८ तक ऐसी कार्रवाइयो से लगाई जा सकेंगी

(ख) दूसरे वजूह की बिनाय पर बेदख़ली के बारे में

दफ़ा ६३—(१) जब कोई ज़मींदार यह चाहे कि किसी असामी को सिवाय उस वजह के जो फ़िक़रा (क) दफ़ा ५० में लिखी है किसी और वजह की बिनाय पर बेदख़ल करे तो उसको लाज़िम होगा कि नालिश की कार्रवाई करे—लेकिन कोई नालिश वास्ते बेदख़ली असामी ग़ैर दख़ीलकार के उन वजूह की बिनाय पर जो दफ़ा ५८ में लिखी हैं दायर न की जायगी सिवाय दर्मियान तारीख़ तीसवीं जून और पहिली तारीख़ अक्टूबर के—

बेदख़ली की नालिशें कब दायर की जायेंगी

(२) चाहे कुछही दफ़ा ज़िम्नी (१) में लिखा हो जायज़ है कि कोई नालिश बेदख़ली दर्मियान इकतीसवीं तारीख़ दिसम्बर सन् १९०१ ईस्वी और पहिली तारीख़ अप्रैल सन् १९०२ ईस्वी के दायर की जाय ॥

दफ़ा ६४—(१) किसी नालिश में जो बेदख़ली के वास्ते हो—

काश्त शिकमी पर रखने वाले और दूसरे इन्तक़ाल के लेनेवाले कब मुद्दाअलेह बनाये जावेंगे

(क) उस सूरत में जब कि असामी की बेदख़ली के वास्ते नालिश काश्त शिकमी लेने वाले या दूसरे इन्तक़ाल लेनेवाले के किसी ऐसे काम के करने या न करने या ऐसे मुआमले की बिनाय पर की जाय जिस से असामी की बेदख़ली लाज़िम आती है—या

(ख) उस सूरत में जब कि असामी की बेदख़ली के वास्ते नालिश उन वजूह की बिनाय पर जो फ़िक़रा (घ) दफ़ा ५० में लिखी हैं की जाय—

लाज़िम होगा कि काश्त शिकमी पर लेने वाला या दूसरा इन्तक़ाल लेनेवाला बतौर फ़रीक़ मुक़द्दमा शामिल किया जाय—

(५) कुल दूसरी नालिशों में जो बेदख़ली के वास्ते हों जायज़ है कि कोई शख़्स क़ब्ज़ा रखने वाला जो असामी के ज़रिये से दावा रखता हो बतौर फ़रीक़ मुक़द्दमा शामिल किया जाय ॥

शर्तों के तोड़ने की सूरत में बेदख़ली की कार्रवाई

दफ़ा ६१—(१) जब कोई असामी उन वजूह की बिनाय पर जो फ़िक़रा (ख) या फ़िक़रा (ग) दफ़ा ५० में लिखी हैं बेदख़ली के लायक़ तजवीज़ किया जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि उस असामी की बेदख़ली के वास्ते डिगरी दे मगर अदालत को जायज़ होगा कि अपनी डिगरी में यह हिदायत करे कि अगर असामी तारीख़ डिगरी से एक महीना के अन्दर या इस से और ज़ियादा मुहलत के अन्दर जो अदालत ऐसी वजूह की बिनाय पर जो लिखी जानी चाहियें—दे उस नुक़सान को रफ़ा करदेगा या ऐसा मुआविज़ा जो अदालत मुनासिब समझे अदा करदेगा तो डिगरी जारी न की जायगी मगर सिर्फ़ ख़र्चा की बाबत—

(२) चाहे कुछही इस दफ़ा मे लिखा हो ज़मींदार को जायज़ होगा कि अलावा या वजाय नालिश बेदख़ली के मुआविज़ा की नालिश करे—या हुक्म इम्तनाई के वास्ते—या बिगाड़ या नुक़सान के रफ़ा कराने के वास्ते नालिश मय मुआविज़ा या बिला मुआविज़ा करे—

कार्रवाई बेदख़ली व वजूह नाजायज़ पट्टा शिकमी के या दूसरे इन्तक़ाल नाजायज़ के

दफ़ा ६६—(१) जब कोई असामी उस वजह की बिनाय पर जो फ़िक़रा (घ) दफ़ा ५० में लिखी है बेदख़ली के लायक़ तजवीज़ किया जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि वास्ते बेदख़ली दोनों असामी और काश्त शिकमी पर लेनेवाले या दूसरे इन्तक़ाल लेने वाले के—या तो (कुल) जोत की निस्बत या उस के उतने हिस्से की निस्बत जिसको अदालत कुल हालात मुक़द्दमा पर लिहाज़ कर के हिदायत करे—डिगरी दे—अगर वह असमी असामी शिकमी न हो तो अदालत को जायज़ होगा कि अपनी डिगरी में यह हिदायत करे कि डिगरी का इजराय काश्त शिकमी पर लेनेवाले या दूसरे इन्तक़ाल लेनेवाले पर सिर्फ़ असामी की दरख़ास्त पर होसकता है—और यह कि अगर असामी उस तौर पर काश्त शिकमी पर लेनेवाले या दूसरे इन्तक़ाल लेनेवाले को बेदख़ल करदे और उस अर्से के अन्दर और ऐसी शर्तों पर जो अदालत मुनासिब समझे उस अराज़ी का दख़ल फ़िर हासिल करले जिस से कि काश्त शिकमी पर लेनेवाला या दूसरा इन्तक़ाल लेनेवाला बेदख़ल किया गया हो तो डिगरी का इजराय असामी पर न किया जायगा मगर सिर्फ़ ख़र्चे की बाबत—

(२) अगर असामी बज़रिये इजराय डिगरी के अपनी जोत के सिर्फ़ एक हिस्से से बेदख़ल किया जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि बाद करने मुनासिब कमी के बाबत् उस हिस्सा जोत के जिस्से असामी बेदख़ल किया गया हो वह लगान मुक़र्रर करे जो बची हुई जोत की बाबत् क़ाबिल अदा हो ॥

दफ़ा ६७—(१) जब कोई ज़मींदार बमूजिब दफ़ा ५८ के किसी ऐसे असामी की बेदख़ली के वास्ते नालिश करे जो बमूजिब ऐसे रजिस्टरी किये हुये पट्टे के क़ाबिज़ हो जिसकी मीयाद सात साल से कम नहो या जो बाद गुज़र जाने मियाद ऐसे पट्टे के क़ाबिज़ चला आता हो—

कार्रवाई बसूरत नालिश बेदख़ली ऐसे असामी के जो बमूजिब रजिस्टरी किये हुये पट्टे के जिसकी मियाद सात साल से कम नहो क़ाबिज़ हो ॥

तो अगर असामी यह उज़्र करे कि बेदख़ली की नालिश अस्ल में इस वजह से की गई कि उसने अपने लगान के इज़ाफ़ा पर रज़ामंद होने से इन्कार किया है और (अगर) फ़ैसला इस झगड़े का उसके मुआफ़िक़ किया जाय ॥

तो अदालत को लाज़िम होगा कि यह तहक़ीक़ात करने की कार्रवाई करे कि आया—उन लगानों का लिहाज़ करके जो असामियान ग़ैर दख़ीलकार वैसी ही क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों की आसपास की अराज़ी की बाबत् अदा करते हैं-इज़ाफ़ा लगान का दावा मुनासिब और वाजिबी तौर पर किया जा सक्ता है या नहीं ॥

(२) अगर अदालत यह तजवीज़ करदे कि इज़ाफ़ा लगान का दावा मुनासिब और वाजिबी तौर पर किया जा सक्ता है तो अदालत को लाज़िम होगा कि ऐसे इज़ाफ़ा की तादाद मुक़र्रर कर दे और ऐसी सूरत में अदालत असामी की बेदख़ली के वास्ते डिगरी सादिर करेगी मगर अपनी डिगरी में यह हिदायत करेगी कि अगर असामी तारीख़ डिगरी से पन्द्रह दिन के अन्दर अदालत में इस बात की इत्तिला करे कि वह इस तौर के मुक़र्रर किये हुवे इज़ाफ़ा लगान के अदा करने पर रज़ामन्द है तो डिगरी जारी नहीं की जायगी मगर सिर्फ़ ख़र्चा की बाबत्—

(३) अगर अदालत यह तजवीज़ करे कि इज़ाफ़ा लगान का दावा मुनासिब और वाजिबी तौर पर नहीं किया जा सक्ता है तो उसको लाज़िम होगा कि उस नालिश बेदख़ली को ख़ारिज करदे॥

ऐसी नालिश में डिगरी का असर

दफ़ा ६८—जब दफ़ा ६० के हुक्म के बमूजिब इज़ाफ़ा लगान मुक़र्रर कर दिया गया हो और असामी उस पर रज़ामन्द हो गया हो या बेदख़ली की नालिश ख़ारिज कर दी गई हो तो असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि उस लगान पर जिसमें इस तरह इज़ाफ़ा कर दिया गया हो या उस लगान पर जो उस वक़्त तक क़ाबिल अदा था—जैसी कि सूरत हो—मुद्दत सात साल तक उस जुलाई की पहिली तारीख़ से जो नालिश दायर करने की तारीख़ से ठीक पीछे आवे या इससे और ज़ियादा ऐसी मुद्दत तक जिस पर फ़रीक़ैन रज़ामन्द हों अपनी जोत पर क़ाबिज़ रहे और दफ़ा ११ की ग़रज़ों के लिये उस असामी की निस्बत यह समझा जायगा कि वह ऐसे रजिस्टरी किये हुवे पट्टे के बमूजिब जो ऐसी मियाद के लिये है क़ाबिज़ है॥

दफ़ा ६६—जब कोई असामी उस वजह की बिनाय पर जो फ़िक़रा (ग) दफ़ा ५८ में लिखी है वे द़खली के लायक़ तजवीज़ किया जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि उस असामी की वेदख़ली के वास्ते डिगरी दे मगर अपनी डिगरी में यह हिदायत करे कि अगर तारीख़ डिगरी से पन्द्रह दिन के अन्दर या ऐसी और ज़ियादह मोहलत के अन्दर जो अदालत दे असामी पट्टा ले लेगा और उसको क़बूलियत हवाला करदेगा तो डिगरी जारी न की जायगी मगर सिर्फ़ ख़र्चा की बाबत ॥

कार्रवाई बे दख़ली ब वजह न क़बूल करने पट्टा और न हवाला करने क़बूलियत के

दफ़ा ७०—(१) चाहे पहिले कुछहो इस ऐक्ट में लिखा गया हो किसी नालिश में असामी की वेदख़ली की डिगरी नहीं कीजायगी जबतक ऐसे दावा की जो उसने बाबत तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के किया हो तहक़ीक़ात न हो जाय और अदालत उस मुआविज़ा की रक़म की निस्बत (अगर कुछ हो) जो असामी को उसकी बाबत मिलना चाहिये तजवीज़ न लिखदे ॥

तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी का दावा बे दख़ली से पहिले फ़ैसल किया जायगा

(२) अगर मुआविज़ा उस रक़म से ज़ियादा हो जो ज़मींदार को बाबत बक़ाया लगान के मय ख़र्चा के (अगर कुछ हो) असामी से पानी हो तो डिगरी वेदख़ली इस शर्त से दीजावेगी कि वह बची हुई रक़म जो असामी को पानी हो उस मुद्दत के अन्दर जिसको अदालत हिदायत करे अदा कर दी जाय ॥

(३) अगर मुआविज़ा उस रक़म से ज़ियादा न हो जो ऊपर की हुई सराहत के मुताबिक़ असामी से क़ाबिल वसूल हो तो

असामी वेदख़ल करदिया जायगा मगर यह मुन्हसर इस बात का होगा कि उस मुआविज़ा को जो उसका पाना तजवीज़ किया गया हो किसी येसे दावा वक़ाया लगान मय ख़र्चा में (अगर कुछ हो) मुजरा करे जो उस पर ज़मींदार ने किया हो ॥

वेदख़ली का किया जाना

कब्ज़ा का दिलाया जाना

दफ़ा ७१—(१) हर डिगरी या हुक्म वेदख़ली का इजराय इस तरह किया जायगा कि ज़मींदार को अराज़ी का क़ब्ज़ा दिलाया जायगा और कोई शख़्स जो असामी के ज़रिये से दावा रखता हो मुस्तहक़ इस का न होगा कि अराज़ी पर दख़ल रक्खे सिवाय इसके कि उसका दख़ल रखना इस ऐक्ट के अहकाम के ख़िलाफ़ न हो—

(२) अगर क़ब्ज़ा दिलाने में कोई ऐसा शख़्स जो डिगरी या हुक्म वेदख़ली का पावन्द हो रोक टोक करे तो मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला को लाज़िम होगा कि अदालत की दरख़्वास्त पर क़ब्ज़ा दिला दे ॥

डिगरी किस सूरत में जारी नहीं की जायगी

दफ़ा ७२—अगर ज़मींदार असामी को अराज़ी पर दख़ल क़ायम रखने की साफ़ तौर पर लिखकर इजाज़त दे दे तो डिगरी जारी नहीं की जायगी—और जो ओहदेदार असामी को वेदख़ल करने के वास्ते तैनात किया गया हो उसको लाज़िम होगा कि अपने नाम के वारन्ट को विला तामील मय ऐसे इजाज़तनामा के वारन्ट जारी करने वाली अदालत के पास वापिस करदे ॥

दफ़ा ७३—(१) हर बेदख़ली का जो बेदख़ली की डिगरी के इजराय में हो उस जुलाई महीने की पहिली तारीख़ से असर होगा जो नालिश दायर करने की तारीख़ के ठीक पीछे आवे—

बेदख़ली का किस वक़्त से असर होगा

मगर शर्त यह है कि अगर डिगरी ऐसी पहिली जुलाई से पहिले न दी गई हो तो बेदख़ली का उस तारीख़ से असर होगा—जिस पर डिगरी का इजराय किया जाय—

(२) हर बेदख़ली का जो दफ़ा ६१ के किसी हुक्म के इज-राय में हो उस तारीख़ से असर होगा जिस पर हुक्म का इज-राय किया जाय ॥

दफ़ा ७४—जब तक बेदख़ली का असर न हो जाय असामी को बग़रज़ पैदा करने और हिफ़ाज़त करने और जमा करने और उठा लेजाने फ़स्ल या ज़मीन की और पैदावारों के अराज़ी को काम में लाने का हक़ रहेगा—लेकिन वह दर सूरत न होने किसी ऐसे मुआहिदा या रिवाज मुक़ामी के जो ख़िलाफ़ इसके हो मुस्तहक़ इस बात का न होगा कि कोई दरख़्त जो उसकी जोत पर हों काटे या उठा लेजाय ॥

असामी का हक़ जोत के इस्तेमाल की बाबत

दफ़ा ७५—(१) अगर उस तारीख़ पर जिस पर कि बेदख़ली का असर हो अराज़ी पर ऐसी फ़स्ल या और पैदावारें हों जो जमा न की गई हों तो ज़मींदार अगर चाहे उनको ख़रीद सकेगा और जब वह उनकी क़ीमत असामी को देने के वास्ते

हक़ निस्बत फ़स्ल के जब बेदख़ली हो जाय

फ़ौरन पेश करे तो असामी का हक़ निस्वत उस फ़स्ल या और पैदावारी के और इस्तेमाल करने अराज़ी के बग़रज़ उनकी हिफ़ाज़त और जमा करने और उठा लेजाने के जाता रहेगा—

(२) अगर ज़मींदार उसको खरीदना न चाहे तो असामी इस बात का मुस्तहक़ होगा कि उस अराज़ी को जैसा कि ऊपर कहा गया और ज़ियादा मुद्दत के वास्ते उस वक़्त तक इस्तेमाल करे जबतक कि वह फ़स्ल या दूसरी पैदावार जमा न करली जाय और उठा न ली जाय और उसकी बाबत मुनासिब लगान अदा करे ॥

फ़स्ल की क़ीमत की बाबत तनाज़ा का फ़ैसला

दफ़ा ७८—(१) हर सूरत तनाज़ा के निस्बत क़ीमत फ़स्ल या और पैदावारी के जिनका ख़रीदना ज़मींदार बमूजिब दफ़ा ज़िम्नी (१) दफ़ा ७७ के चाहे—ज़मींदार या असामी को जायज़ है कि उसकी निस्वत तस्फ़िया हो जाने के वास्ते नालिश करे—

(२) अदालत को लाज़िम होगा कि या तो जो क़ीमत पेश की गई हो बहाल रक्खे या उस क़दर क़ीमत तजवीज़ करे जो अदालत मुनासिब और वाजिबी समझे और उस रक़म के अदा करने के वास्ते डिगरी दे—

(३) जायज़ है कि अगर कुछ लगान बाबत उस जोत के जिस से असामी बेदख़ल किया गया है उस असामी से क़ाबिल वसूल हो तो उस को ज़मींदार उस क़ीमत में से घटा दे जो मुवाफ़िक़ दफ़ा ७७ देने के वास्ते पेश की जाय या अदालत उस रक़म में से घटा दे जिसकी इस दफ़ा के मुवाफ़िक़ डिगरी की गई हो ॥

दफ़ा १७—ऐसी नालिश में जो वास्ते ऐसे बक़ाया लगान के हो जो बमूजिब दफ़ा ज़िम्नी (२) दफ़ा १५ के पानी हो अगर तादाद लगान क़ाबिल अदा की निस्बत तनाज़ा हो तो अदालत लगान मुनासिब और वाजिबी मुक़र्रर करके उसी के मुताबिक़ डिगरी देगी॥

लगान क़ाबिल अदा की निस्बत तनाज़ा किस तरह तै किया जायगा

दफ़ा १८—उस मुद्दत का जिसमें असामी अराज़ी पर मुताबिक़ अहकाम दफ़ात १३ व १४ व १५ के दख़ल रक्खे—किसी नालिश या और कार्रवाई में उस मियाद के हिसाब लेजाने में जो मुताबिक़ दफ़ा ११ वास्ते हासिल करने हक़ दख़ीलकारी के मुक़र्रर की गई है—लिहाज़ नहीं किया जायगा॥

बेदख़ली के बाद की मुद्दत हक़ दख़ीलकारी के वास्ते जोड़ी न जायगी

नाजायज़ बेदख़ली की निस्बत चारहकार

दफ़ा १९—(१) जो असामी इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय किसी और तौर पर बेदख़ल किया जाय उसको जायज़ है कि अपने ज़मींदार पर नालिश करे—

नाजयज़ बेदख़ली की निस्बत चारहकार

(क) वास्ते दिला पाने अपनी जोत के क़ब्ज़ा के—और

(ख) वास्ते मुआविज़ा के बाबत् नाजायज़ तौर पर क़ब्ज़ा उठा दिये जाने के—और

(ग) वास्ते मुआविज़ा के बाबत् किसी तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के जो उसने की हो—

मगर शर्त यह है कि अगर असामी उस माल गुज़ारी के गुज़र जाने के बाद जिसमें डिगरी दी जाय काबिज़ रहने का हक़ रखने वाला न हो तो अदालत की डिगरी -चाहे पहिली अदालत की या अपील की—क़ब्ज़ा वापिस पाने के वास्ते न होगी बल्कि सिर्फ़ ख़र्चे की बाबत् होगी—या अगर मुआविज़ा का दावा किया गया और मुआविज़ा दिया जाना तजवीज़ किया गया हो तो डिगरी सिर्फ़ मुआविज़ा और ख़र्चा की बाबत् होगी—

(२) अगर डिगरी क़ब्ज़ा वापिस पाने की बाबत् हो तो कुछ मुआविज़ा बाबत् तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के नहीं दिलाया जायगा—

(३) जब डिगरी नाजायज़ तौर पर क़ब्ज़ा उठाये जाने के मुआविज़ा की बाबत् दी जाय—मगर क़ब्ज़ा वापस न दिलाया जाय तो जो मुआविज़ा दिलाया जायगा वह उस कुल मुद्दत की बाबत् होगा जिसमें कि असामी काबिज़ रहने का मुस्तहक़ था—

(४) जिस असामी ने सिर्फ़ क़ब्ज़ा वापिस पाने की नालिश की हो वह मुस्तहक़ इसका न होगा कि उसी बिनाय दावा के तअल्लुक़ में अलेहदा नालिश नाजायज़ तौर पर क़ब्ज़ा उठाये जाने के मुआविज़ा की बाबत् दायर करे—

(५) इस दफ़ा की कोई बात ऐसे असामी को जिसने क़ब्ज़ा वापिस पाने की नालिश की हो मगर जो अपनी जोत पर फिर क़ब्ज़ा पाने की डिगरी न पा सका हो इस बात से न रोकेगी कि

बाबत् मुआविज़ा किसो ऐसो तरक्क़ी हैसियत अराज़ी के जो उसने की हो अलग नालिश करे ॥

दफ़ा ८०—(१) जब कोई अदालत अपील या निगरानी किसी असामी की बेदख़ली की डिगरी या हुक्म को उलट दे और असामी बाद गुज़र जाने उस साल ज़राअती के जिसमें अदालत अपील या निगरानी की डिगरी या हुक्म दी गई या दिया गया हो क़ब्ज़ा रखने का हक़ रखने वाला न हो तो ऐसी डिगरी या हुक्म क़ब्ज़ा वापिस पाने के वास्ते न होगी या न होगा बल्कि सिर्फ़ ख़र्चा के वास्ते होगी या होगा—

चारहकार उस सूरत में जब डिगरी या हुक्म बेदख़ली उलट दी जाय या उलट दिया जाय

(२) जब बेदख़ली की किसी डिगरी या हुक्म को कोई अदालत अपील या निगरानी उलट दे तो—

(क) अगर वह अपील के या निगरानी के सीग़े की डिगरी या हुक्म वास्ते वापिस पाने क़ब्ज़ा के हो—

तो असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि अपने ज़मींदार पर वास्ते मुआविज़ा के बाबत् उस मुद्दत के जिसमें वह क़ाबिज़ नहीं रहा नालिश करे—

(ख) अगर अपील या निगरानी के सीग़े की डिगरी या हुक्म वास्ते वापिस पाने क़ब्ज़ा के न हो—

तो असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि अपने ज़मींदार पर वास्ते मुआविज़ा के बाबत् उस [illegible] मुद्दत के जिसमें वह क़ब्ज़ा रखने का मुस्तहक़ था नालिश करे ॥

दफ़ा ८१—जब कोई असामी क़ब्ज़ा वापिस पाने की नालिश मुताबिक़ दफ़ा ७६ के करे तो उसको लाज़िम होगा कि बतौर मुद्दाअलेह नालिश में हर ऐसे क़ब्ज़ा रखने वाले आदमी को शामिल करे जो ज़मींदार के ज़रिये से दावा रखता हो ॥

हस्ब दफ़ा ७६ की नालिश में किसको शामिल करना चाहिये ॥

दफ़ा ८२—दफ़ा ७१ के अहकाम ज़रूरी तब्दीली के साथ ऐसी डिगरी के इजराय से मुतअल्लिक़ होंगे जो किसी असामी को उस की जोत पर फिर क़ब्ज़ा दिलाने के लिये हो ॥

क़ब्ज़ा दिलाया जाना चाहिये

इस्तेफ़ा

दफ़ा ८३—(१) ऐसे असामी को जो किसी ऐसे पट्टा या और इक़रार का पाबन्द न हो जो किसी मुक़र्रर की हुई मियाद के लिये हो जायज़ है कि किसी साल ज़राअती के ख़ातम होने पर अपनी जोत से इस्तेफ़ा दे—लेकिन वह असामी इस अमर का मुस्तहक़ न होगा कि अपनी जोत के सिर्फ़ एक हिस्सा से इस्तेफ़ा दे—

असामी का जोत से इस्तेफ़ा देना

(२) बावजूद ऐसे इस्तेफ़ा देने के सिवाय उस सूरत के कि असामी अप्रैल के महीने की पहिली तारीख़ से पहिले ज़मींदार को लिखी हुई इत्तिला अपने इस्तेफ़ा देने के इरादा की देदे असामी ज़िम्मेदार इस बात का होगा कि ज़मींदार को उस जोत का लगान बाबत उस साल ज़राअती के जो तारीख़ इस्तेफ़ा से ठीक पीछे पड़े अदा करे—

मगर शर्त यह है कि असामी इस तौर पर ज़िम्मेदार किसी ऐसी मुद्दत के बाबत् न होगा जिसमें ज़मींदार ने जोत किसी और असामी को उठादी हो या ख़ुद अपनीही काश्त या इस्तेमाल में लेला हो—

(३) इस दफ़ा की किसी बात से किसी ऐसे इन्तिज़ाम पर असर न पहुंचेगा जिसके ज़रिये से असामी और उसका ज़मींदार किसी कुल जोत से या उसके किसी हिस्सा से इस्तेफ़ा दिये जाने की निस्बत बाहम रज़ामन्द हो जायें ॥

इज़ाफ़ा लगान होने पर इस्तेफ़ा देना ॥

दफ़ा ८४—बावजूद किसी बात के जो ठीक पिछली दफ़ा में लिखी है जब किसी जोत के इज़ाफ़ा लगान के वास्ते डिगरी या हुक्म दीजाय या दिया जाय और उस जोत का असामी उस डिगरी या हुक्म की तारीख़ से पन्द्रह दिन के अन्दर ज़मींदार को लिखी हुई इत्तिला इस बात की दे कि वह उस जोत से उस मुद्दत के शुरू में इस्तेफ़ा देना चाहता है जिसकी बाबत् इज़ाफ़ा का अमल दरामद होगा और इसी के मुताबिक़ उस जोत से इस्तेफ़ा देदे तो वह उस जोत के उस लगान का ज़िम्मेदार न होगा जो उस इस्तेफ़ा के बाद की किसी मुद्दत की बाबत क़ाबिल अदा हो ॥

इस्तेफ़ा के इत्तिलानामा की तामील मार्फ़त तहसीलदार के

दफ़ा ८५—(१) अगर ज़मींदार किसी ऐसे इत्तिलानामा के लेने से जो बमूजिब दफ़ा ८३ या दफ़ा ८४ के हो इन्कार करे तो असामी को जायज़ है कि उस मियाद के गुज़रने से पहिले जो ऐसी इत्तिला के [illegible] लिये [illegible]र की गई है तहसीलदार को दरख़्वास्त दे इ[illegible]

दार उस इत्तिलानामा की तामील उस ज़मींदार पर करादेगा और तामील का ख़र्चा असामी के। देना होगा—

(२) हर ऐसे इत्तिलानामा की निस्बत यह समझा जायगा कि वह उस वक़ ले लिया गया जब पहिली मर्तबा वह (देने के लिये) पेश किया गया ॥

ज़मींदार की नालिश वास्ते मन्सूख़ी इत्तिला-नामा के

दफ़ा ८६—(१) जब किसी ऐसे इत्तिलानामा के ज़मींदार ले ले या उस पर उसकी तामील हो जाय तो उसको जायज़ है कि उस इत्तिलानामा के नाजायज़ क़रार दिये जाने के वास्ते नालिश दायर करे और नालिश दायर होने पर अदालत को लाज़िम होगा कि दोनों फ़रीक़ के इस झगड़े के। ते करदे—

(२) अगर ज़मींदार ऐसी नालिश दायर न करे तो उसकी निस्बत यह समझा जायगा कि उसने इस्तेफ़ा मंज़ूर करलिया ॥

(जोत का) छोड़ देना

असामी का जोत के। छोड़ देना.

दफ़ा ८०—(१) जब किसी असामी ने अपनी जोत को या तो ख़ुद या किसी दूसरे शख़्स के ज़रिये से काश्त करना छोड़ दिया हो और बग़ैर इसके कि इसका इन्तिज़ाम करदिया हो कि उसका लगान वाजिबुल अदा हो जाने के वक़ अदा कर दिया जाय और बग़ैर इसके कि उस इन्तिज़ाम की इत्तिला ज़मींदार के। देदी हो गांव और उसके आस पास से चला गया हो तो ज़मींदार को जायज़ होगा कि किसी वक़ बाद पन्द्रहवीं

तारीख़ (माह) मई के उस जोत पर दाख़िल हो और उसको किसी दूसरे असामी को उठादे या ख़ुद अपनी क़ाश्त में ले ले ॥

(२) पहिले इसके कि ज़मींदार इस दफ़ा के बमूजिब (जोतपर) दाख़िल हो उसको लाज़िम होगा कि तहसीलदार के दफ़्तर में एक इत्तिलानामा असामी पर तामील होने के वास्ते दाख़िल करे जिसमें यह दर्ज हो कि उसने जोत छोड़ी हुई समझी है और इसी लिहाज़ से वह उस पर दाख़िल होने वाला है—और तहसीलदार को लाज़िम होगा कि एक इत्तिलानामा उस तरीक़ा से मुश्तहर करे जिसकी निस्बत लोकल गवर्नमेन्ट बज़रिये क़ायदा हिदायत करे ॥

(३) जब कोई असामी क़ब्ज़ा पाने के लिये बमूजिब दफ़ा ७६ के नालिश करे तो अगर ज़मींदार यह साबित करे कि वह इस दफ़ा की दफ़ा ज़िम्नी (१) के हुक्मों के बमूजिब जोत पर दख़ल करने का मुस्तहक़ था तो बहालत न होने ऐसी शहादत के जो ख़िलाफ़ इसके हो अदालत को यह क़यास कर लेना लाज़िम होगा कि असामी ने अपनी जोत छोड़ दी थी ॥

(४) अगर असामी ऐसे क़यास को इस तरह रद करे कि अदालत का इतमीनान इस अमर की निस्बत करदे कि अस्ल में उस का इरादा अपनी जोत के छोड़ देने का नहीं था तो वह इसका मुस्तहक़ होगा कि अहकाम दफ़ा ज़िम्नी (१) दफ़ा ७६ की पाबन्दी के साथ उसको फिर क़ब्ज़ा ऐसी शर्तों पर दिया जाय जो अदालत मुनासिब समझे ॥

बाब ६

तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी

दफ़ा ८८—हर असामी जो असामी ग़ैर दख़ीलकार न हो (अराज़ी की हैसियत में) तरक़्क़ी करने का मुस्तहक़ होगा—मगर शर्त यह है कि किसी रिवाज मुक़ामी के न होने की सूरत में जो ख़िलाफ़ इसके हो—कोई असामी सिवाय हक़दार क़ब्ज़ा मुस्तक़िल या असामी शरह मुअय्यन के इस बात का मुस्तहक़ न होगा कि बग़ैर लिखी हुई रज़ामन्दी ज़मींदार के दरख़्त लगाये ॥

असामियान हक़दार दख़ीलकारी का हक़ तरक़्क़ी करने की निस्बत

दफ़ा ८६—असामी ग़ैरदख़ीलकार इस बात का मुस्तहक़ होगा कि अपनी जोत के सींचने के लिये कोई कुआं मय कुल उसके मुतअल्लिक़ा कामों के बनाये और उनको क़ायम रक्खे और उनकी मरम्मत करे—लेकिन यह मुस्तहक़ इसका न होगा कि बग़ैर लिखी हुई रज़ामन्दी अपने ज़मींदार के अपनी जोत की निस्बत कोई और तरक़्क़ी का काम करे—

असामियान ग़ैर दख़ीलकार का हक़ कुवें बनाने की निस्बत

मगर शर्त यह है कि अगर ज़मींदार यह चाहे कि वह ख़ुद कुआं बनाये तो उसका कुआं बनाने का हक़ पहिला होगा—

और यह भी शर्त है कि—

(१) कोई असामी अराज़ी सीर का मुस्तहक़ इसका न होगा कि बग़ैर लिखी हुई रज़ामन्दी अपने ज़मींदार के कोई तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी अपनी जोत की निस्बत करे—और

(१) कोई असामी शिकमी मुस्तहक़ इसका न होगा कि बग़ैर लिखी हुई रज़ामन्दी मालिक के कोई तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी अपनी जोत की निस्वत करे ॥

मुआविज़ा बावत् तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी के

दफ़ा ६०—हर ऐसा असामी जिसने कोई ऐसी तरक़्क़ी की हो जिसके करने का वह मुस्तहक़ हो ऐसी तरक़्क़ी की बावत् नीचे लिखी हुई सूरतों में मुआविज़ा पाने का मुस्तहक़ होगा—

(क) जब उसकी बेदख़ली का हुक्म मुताबिक़ दफ़ा ६१ दिया जाय—और

(ख) जब उसकी बेदख़ली की बाबत् डिगरी मुताबिक़ दफ़ा ६३ दीजाय—और

(ग) जब उसके ज़मींदार ने उसका क़ब्ज़ा उसकी जोत से बेजा तौर से उठा दिया हो और उसने अपनी जोत का क़ब्ज़ा वापिस न पालिया हो ॥

मुआविज़ा की तादाद का क़रार दिया जाना

दफ़ा ६१—उस मुआविज़ा की तादाद का तख़मीना करने में जो असामी को बाबत् ऐसी तरक़्क़ी के जो उसने की हो वाजिब हो अदालत (नीचे लिखी हुई बातों पर) लिहाज़ करेगी—

(क) उस मिक़दार पर जितनी कि जोत की मालियत व लगान या जोत की पैदावार या उस पैदावार की मालियत ब वजह उस तरक़्क़ी के बढ़ गई हो—और

(ख) उस तरक़्क़ी की हाजत पर और इस अमर पर कि उसका असर ग़ालिबन् कब तक रहेगा—

(ग) उस मेहनत और रुपया पर जो ऐसी तरक्क़ी के करने में दरकार हुई और हुआ (नीचे लिखी हुई बातों का) लिहाज़ रख कर—

(अव्वल) किसी ऐसी कमी या माफ़ी लगान या किसी और रियायत पर जो ज़मींदार ने उस तरक्क़ी के बदले में असामी के हक़ में की हो और—

(दोम) किसी ऐसी मदद पर जो ज़मींदार ने असामी को रुपया या सामान या मेहनत की शक्ल में दी हो—और

(सोम) अराज़ी के बनाने (खेती के लायक़ करने) या अराज़ी ग़ैर आबपाशी को अराज़ी आबपाशी की हालत में लाने की सूरत मे—उस मुद्दत पर जिसमें असामी उस तरक्क़ी से फ़ायदा उठा चुका हो ॥

ऐसी तरक्क़ी जिसका नफ़ा उस अराज़ी को पहुंचे जिससे असामी बेदख़ल न किया जाय

दफ़ा ६२—(१) जब तरक्क़ी से उस अराज़ी को जिससे असामी बेदख़ल किया जाने वाला हो और दूसरी ऐसी अराज़ी को भी जो उसी असामी के दख़ल में हो फ़ायदा पहुंचे तो उस मुआविज़ा का जो उस असामी को क़ाबिल अदा हो तख़मीना इस लिहाज़ से किया जायगा कि उस तरक्क़ी से उस अराज़ी को जिससे वह असामी बेदख़ल किया जाने वाला है कितना फ़ायदा पहुंचा है—

(२) अगर तरक्क़ी का काम उस अराज़ी पर किया गया हो जिससे असामी बेदख़ल किया जाने वाला है तो ज़मींदार उस मुआविज़ा को अदा करते ही जो असामी को दिलाना तजवीज़ किया जाय उस तरक्क़ी के काम का मालिक हो जायगा—लेकिन असामी मुस्तहक़ इस का होगा कि उसको उस तरक्क़ी के काम

(२) कोई असामी शिकमी मुस्तहक़ इसका न होगा कि बग़ैर लिखी हुई रज़ामन्दी मालिक के कोई तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी अपनी जोत की निस्बत करे ॥

मुआविज़ा बाबत तरक़्क़ियात हैसियत अराज़ी के

दफ़ा ९०—हर ऐसा असामी जिसने कोई ऐसी तरक़्क़ी की हो जिसके करने का वह मुस्तहक़ हो ऐसी तरक़्क़ी की बाबत नीचे लिखी हुई सूरतों में मुआविज़ा पाने का मुस्तहक़ होगा—

(क) जब उसकी बेदख़ली का हुक्म मुताबिक़ दफ़ा ६१ दिया जाय—और

(ख) जब उसकी बेदख़ली की बाबत डिगरी मुताबिक़ दफ़ा ६३ दीजाय—और

(ग) जब उसके ज़मींदार ने उसका क़ब्ज़ा उसकी जोत से बेजा तौर से उठा दिया हो और उसने अपनी जोत का क़ब्ज़ा वापिस न पालिया हो ॥

मुआविज़ा की तादाद का क़रार दिया जाना

दफ़ा ९१—उस मुआविज़ा की तादाद का तख़मीना करने में जो असामी को बाबत ऐसी तरक़्क़ी के जो उसने की हो वाजिब हो अदालत (नीचे लिखी हुई बातों पर) लिहाज़ करेगी—

(क) [illegible]

(ख) [illegible]

(ग) उस मेहनत और रुपया पर जो ऐसी तरक़्क़ी के करने मे दरकार हुई और हुआ (नीचे लिखी हुई बातों का) लिहाज़ रख कर—

(अव्वल) किसी ऐसी कमी या माफ़ी लगान या किसी और रियायत पर जो ज़मींदार ने उस तरक़्क़ी के बदले में असामी के हक़ में की हो और—

(दोम) किसी ऐसी मदद पर जो ज़मींदार ने असामी को रुपया या सामान या मेहनत की शकल में दी हो—और

(सोम) अराज़ी के बनाने (खेती के लायक़ करने) या अराज़ी ग़ैर आबपाशी को अराज़ी आबपाशी की हालत में लाने की सूरत में—उस मुद्दत पर जिसमें असामी उस तरक़्क़ी से फ़ायदा उठा चुका हो ॥

ऐसी तरक़्क़ी जिसका नफ़ा उस अराज़ी को पहुंचे जिसमे असामी बेदख़ल न किया जाय

दफ़ा ८२—(१) जब तरक़्क़ी से उस अराज़ी को जिससे असामी बेदख़ल किया जाने वाला हो और दूसरी ऐसी अराज़ी को भी जो उसी असामी के दख़ल मे हो फ़ायदा पहुंचे तो उस मुआविज़ा का जो उस असामी को क़ाबिल अदा हो तख़मीना इस लिहाज़ से किया जायगा कि उस तरक़्क़ी से उस अराज़ी को जिससे यह असामी बेदख़ल किया जाने वाला है कितना फ़ायदा पहुंचा है—

(२) अगर तरक़्क़ी का काम उस अराज़ी पर किया गया हो जिससे असामी बेदख़ल किया जाने वाला है तो ज़मींदार उस मुआविज़ा को अदा करते ही जो असामी को दिलाना तजवीज़ किया जाय उस तरक़्क़ी के काम का मालिक हो जायगा—लेकिन असामी मुस्तहक़ इस का होगा कि उसको उस तरक़्क़ी के काम

का फ़ायदा बनिस्बत उस अराज़ी के जो उसके दख़ल में बाक़ी रहेगी—उस हद तक और उसी तरीक़ा के मुताबिक़ हासिल रहे जिस हद तक और जिस तरीक़ा से उस अराज़ी को उस वक़्त तक उस तरक़्क़ी से फ़ायदा पहुंचता रहा है—

(३) अगर तरक़्क़ी का काम उस अराज़ी पर किया गया हो जो असामी के दख़ल में बाक़ी रहे तो ज़मींदार उस मुआविज़ा के अदा करने पर जो असामी को दिलाना तजवीज़ किया जाय मुस्तहक़ इस का होगा कि उसको उस तरक़्क़ी के काम का फ़ायदा उस अराज़ी की बाबत जिससे असामी बेदख़ल किया गया है उसी हद तक और उसी तरीक़ा के मुताबिक़ हासिल रहे जिस हद तक और जिस तरीक़ा से उस अराज़ी को उस वक़्त तक उस तरक़्क़ी से फ़ायदा पहुंचता रहा है॥

ज़मींदार का हक़ ऐसे मुआविज़ा के देने का जो ज़र नक़्द न हो

दफ़ा ६३—(१) जिस सूरत में कि असामी को मुआविज़े का मुताबिक़ दफ़ा ७० या दफ़ा ६१ अदा किया जाना तजवीज़ हो जाय तो ज़मींदार को जायज़ है कि अदालत से दरख़ास्त करे कि उसको उस रक़म क़ाबिल अदा के बदले में या ऐसी रक़म के एक हिस्सा के बदले में उस जोत या किसी और जोत का रिआयती पट्टा देदेने या किसी और तरह से मुआविज़ा कर देने की इजाज़त दी जाय—

(२) अगर असामी ऐसे रिआयती पट्टे या और तरह के मुआविज़े के क़बूल करने पर रज़ामन्द हो तो डिगरी या हुक्म मुताबिक़ दफ़ा ७० या दफ़ा ६१ की उसी के मुताबिक़ तरमीम कर दी जायगी—

(३) अगर असामी रिआयती पट्टे के क़बूल करने से इन्कार करे और अगर असामी का इज़हार लेने और ऐसी और ज़ियादा तहक़ीक़ात करने के बाद जो अदालत ज़रूरी समझे अदालत की यह राय हो कि ऐसा पट्टा असामी के हालात के मुनासिब है और उससे असामी को काफ़ी बदला तरक़्क़ी का निस्बत कुल या हिस्सा मुआविज़ा के जिसकी डिगरी हुई—जैसा कि अदालत तजवीज़ करे—मिल जायगा और यह भी राय हो कि असामी कोई जायज़ वजह उस पट्टे के लेने से इन्कार करने की नहीं रखता है—तो अदालत को लाज़िम होगा कि असामी को एक महीना की मोहलत ज़मींदार से सुलह करने के लिये दे और अगर उस मियाद के अन्दर या ऐसी और ज़ियादा मियाद के अन्दर (अगर कुछ हो) जिस का देना अदालत मुनासिब समझे असामी उस पट्टे को क़बूल करले और वह इस क़बूल करने की इत्तिला अदालत को कर दे तो अदालत वह कार्रवाई करेगी जिसकी निस्बत दफ़ा ज़िम्नी (२) में हुक्म है—

और अगर असामी उस पट्टे की ऐसी मियाद के अन्दर क़बूल न करे तो उसका हक़ उस क़दर अदा होने वाले मुआविज़ा में से उतने की बाबत जो पट्टा रिआयती के ज़रिये से अदा हो जाता जाता रहेगा—

(४) लाज़िम है कि नक़द रुपया की जगह सिवाय रिआयती पट्टे के किसी और तरह के मुआविज़े की डिगरी या हुक्म बग़ैर रज़ामन्दी असामी के न दी या न दिया जाय—

(५) लाज़िम है कि हर दरख़्वास्त जो बमूजिब दफ़ा ज़िम्नी (१) के दो तारीख़ डिगरी या हुक्म मुताबिक़ दफ़ा ७७ या दफ़ा ६१ से एक महीने के अन्दर दीजाय—

दफ़ा ६४—अगर असामी और उसके ज़मींदार के दर्मियान में कोई तनाज़ा पैदा हो—

तरक़्क़ी करने के हक़ वग़ैरह की निस्बत तनाज़ा

(क) निस्बत हक़ करने तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के—या

(ख) निस्बत इस बात के कि आया कोई ख़ास काम तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी का काम है या नहीं—

तो असिस्टेन्ट कलेक्टर मुहतमिम हिस्सा ज़िला को जायज़ है कि (फ़रीक़ैन में से) किसी फ़रीक़ की दरख़्वास्त पर उस तनाज़ा का फ़ैसला कर दे और उसका फ़ैसला क़तई होगा ॥

बाब ७

मुतफ़र्रिक़ अहकाम निस्बत क़ब्ज़ा हाय अराज़ी के

दफ़ा ६५—जायज़ है कि हक़ क़ब्ज़ा अराज़ी के क़ायम रहने के दौरान में ज़मींदार या असामी किसी वक़्त नीचे लिखी हुई बातों में से किसी के क़रार दिये जाने के वास्ते नालिश दायर करे—यानी

नालिशात निस्बत हक़ूक़ मुतअल्लिक़ा क़ब्ज़ाहाय अराज़ी के

(क) जोत के असामी का नाम और तफ़सील—और

(ख) क़िस्म जिसमें वह असामी दाख़िल है—और

(ग) मौक़ा या रक़बा या नम्बरहाय खेत या हदूद जोत की—और

(घ) लगान जो बाबत् जोत के दिया जाता हो और यह कि आया वह नक़द रुपया मे या जिन्स में क़ाबिल अदा है—और

(ङ) वक्त और मुक़ाम और तरीक़ा दानकूत या बटाई या देने फ़स्ल का बाबत् लगान के—और

(च) वह तारीख़ें जिन पर और वह क़िस्तें जिन में लगान क़ाबिल अदा है ॥

हक़ वास्ते लिखे हुये पट्टों और क़बूलियतों के

दफ़ा ६६—(१) असामी ग़ैर दख़ीलकार को इस्तेहक़ाक़ है कि अपने ज़मींदार से एक लिखा हुआ पट्टा पाये और ज़मींदार असामी ग़ैर दख़ीलकार को ऐसा पट्टा हवाला करने या हवाला करने के वास्ते पेश करने पर जो इस ऐक्ट के हुक्मों के मुताबिक़ हो मुस्तहक़ होगा कि उस से एक क़बूलियत उस पट्टे की पाये—

(२) यह काफ़ी होगा कि ऐसे पट्टे या क़बूलियत में वह तफ़सीलें जो दफ़ा ६४ में लिखी हैं और अलावा उनके वह मियाद जिसमें असामी अराज़ी पर क़ब्ज़ा रखने का मुस्तहक़ है दर्ज हों—

(३) जायज़ है कि ऐसा पट्टा या क़बूलियत उस नमूना के मुताबिक़ हो जो तीसरी फ़ेहरिस्त मे दर्ज है—

(४) किसी ऐसे पट्टे में किसी ऐसे क़ौल व क़रार या शर्तों का न दर्ज होना जो ऊपर लिखी हुई तफ़सीलों में से किसी के ख़िलाफ़ न हो उसके फ़रीक़ैन में से किसी फ़रीक़ को इस बात से न रोकेगा कि वह ऐसे क़ौल व क़रार या शर्तों से फ़ायदा उठाने का दावा करे ॥

ऐ० नं० ३ सन् १८०० ई०

तसदीक़ बजाय रजिस्टरी के

दफ़ा ८०—(१) जब बमूजिब अहकाम इस ऐक्ट या ऐक्ट रजिस्टरी हिन्द सन् १८०० ईस्वी या किसी और ऐक्ट या क़ानून के जो उस वक़्त जारी हो किसी पट्टा या क़बूलियत या क़रारदाद मतअल्लिक़ा क़ब्ज़ा अराज़ी की निस्बत यह हुक्म हो कि वह बज़रिये रजिस्टरी की हुई दस्तावेज़ के किया जाय और वह पट्टा या क़बूलियत या क़रार दाद—

(क) ऐसी मियाद के वास्ते हो जो दस बरस से ज़ियादा न हो—और

(ख) ऐसे लगान के वास्ते हो जो एक सौ रुपया सालाना से ज़ियादा न हो तो ऐसे पट्टे या क़बूलियत या क़रारदाद के फ़रीक़ैन को जायज़ है कि उसकी रजिस्टरी कराने के बदले—किसी अदालत माल या और ओहदेदार माल से जो रुतबा में क़ानूनगो से कम न हो या ऐसे और शख़्स से जिसको लोकल गवर्नमेन्ट इस बारे में हुक्म आम या ख़ास के ज़रिये से मुक़र्रर करे—और ऐसी शर्तों की पाबन्दी के साथ (अगर कोई हों) जिनकी लोकल गवर्नमेन्ट बज़रिये उन क़ायदों के जो इस ऐक्ट के बमूजिब बनाये जायें हिदायत करे उसकी तसदीक़ करायें ॥

(२) उस अदालत या ओहदेदार या और शख़्स को लाज़िम होगा कि निस्बत फ़रीक़ैन की पहिचान के और इस बात के कि वह उस पट्टे या क़बूलियत या क़रारदाद की शर्तों को जानते हैं और उन पर रज़ामन्द हैं अपना इतमीनान करके उसकी पुश्त

पर इबारत इस मज़मून की लिखे कि उसने इस तरह अपना इतमीनान करलिया है और उस पर अपने दस्तख़त करदे और तारीख़ लिख दे ॥

(३) ऐसी दस्तावेज़ इस तरह तसदीक़ हो जाने पर ऐसी जायज़ हो जायगी कि गोया मुताबिक़ उस क़ानून के जो दस्तावेज़ों की रजिस्टरी के वास्ते उस वक़्त जारी हो उसकी रजिस्टरी हो गई है ॥

ज़मींदार का हक़ बाबत् पैमायश अराज़ी के

दफ़ा ९८—जब कोई मुआहिदा ख़िलाफ़ इसके न हो ज़मींदार मुस्तहक़ होगा कि अपने असामी की जोत पर दाख़िल हो और उसकी पैमायश करे ॥

बाब ८

दिया जाना और वसूल किया जाना लगान का

दिया जाना लगान का और बक़ाया लगान

लगान की क़िस्तें.

दफ़ा ९९—असामी का लगान ऐसी क़िस्तों में क़ाबिल अदा होगा जो मुताबिक़ क़रारदाद के हों या जब कोई क़रारदाद न हो तो ऐसी क़िस्तों में और ऐसी तारीख़ों पर क़ाबिल अदा होगा जो लोकल गवर्नमेन्ट बज़रिये उन क़ायदों के जो इस ऐक्ट के मुताबिक़ बनाये जायें मुक़र्रर करे ॥

दफ़ा १००—जायज़ है कि लगान असामी (खुद) या बज़रिये अपने एजन्ट (कारिन्दा) के या बज़रिये मनीआर्डर डाकख़ाना के या मुताबिक़ दफ़ा १११ अदालत में दाख़िल करने के ज़रिये से अदा करे॥

लगान किस तरह क़ाबिल अदा होगा

दफ़ा १०१—जो क़िस्त लगान की उस तारीख़ पर अदा न की जाय जिस पर वह वाजिब हो वह उससे अगली तारीख़ पर बक़ाया लगान हो जायगी और असामी ऐसी बक़ाया पर सूद बशरह एक रुपया सैकड़ा माहवारी के अदा करने का मुस्तोजिब होगा॥

लगान किस वक़्त बक़ाया लगान हो जायगा

दफ़ा १०२—(१) बक़ाया लगान बज़रिये नालिश के या बज़रिये क़ुर्क़ी इख़्तियारी मुताबिक़ अहकाम इस ऐक्ट के या इन दोनों तरीक़ों से वसूल की जा सकेगी॥

वसूल किया जाना बक़ाया का

(२) ऐक्ट कोर्ट आफ़ वार्डस ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध सन् १८९९ ई० की दफ़ात ३६ लग़ायत ३९ के अहकाम ज़रूरी तब्दीली के साथ इस हुक्म के ज़रिये से कुल सरकारी जायदादों में लगान के वसूल किये जाने से मुतअल्लिक़ किये जाते हैं—

कौंसिल ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध का ऐक्ट नंबर ३ सन् १८९९

दफ़ा १०३—(१) अगर किसी असामी से हिरासत बेजा या और तरह की सख़्ती के ज़रिये से लगान ज़बरदस्ती वसूल किया जाय चाहे वह क़ानूनन वाजिब हो या न हो तो असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि उस शख़्स से जो इस तरह ज़बरदस्ती वसूल करने

सख़्ती के ज़रिये से ज़बरदस्ती लगान वसूल करने की बाबत मुआविज़ा

का मुजरिम हो उस क़दर मुआविज़ा वसूल करे जो दो सौ रुपया से ज़ियादा न हो और जिसको अदालत डिगरी करना मुनासिब समझे—

(२) इस दफ़ा के बमूजिब मुआविज़ा के दिलाये जाने से किसी ऐसे तावान या सज़ा की रोक न हो जायगी न उस पर कुछ असर पहुंचेगा जिसका कि वह शख़्स जो ऐसे ज़बरदस्ती वसूल करने का मुजरिम हो मजमुआ ताज़ीरातहिन्द के बमूजिब मुस्तोजिब हो ॥

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०

लगान बज़रिये पैदावार

दफ़ा १०४—(१) जिस हालत में कि लगान बज़रिये तख़मीना या कनकूत खड़ी फ़स्ल के लिया जाता हो असामी मुस्तहक़ इस का होगा कि फ़स्ल पर ख़ुद अपना क़ब्ज़ा रक्खे ॥

पैदावार की निस्बत हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियां

(२) जब लगान बज़रिये बटाई पैदावार के लिया जाता हो तो असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि कुल पैदावार पर उस वक़्त तक बिला किसी की शिरकत के क़ब्ज़ा रक्खे जब तक कि उस की बटाई न हो जाय लेकिन वह मुस्तहक़ इसका न होगा कि कोई हिस्सा पैदावार या खलियान से ऐसे वक़्त या ऐसे तरीक़ा पर ले जाय कि वक़्त मुनासिब पर उसकी बटाई वाजिबी तौर पर न हो सके ॥

(३) दोनों सूरतों में असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि बग़ैर किसी क़िस्म की ज़मींदार की तरफ़ से रोक टोक के—पैदावार को काश्तकारी के मामूली तरीक़ा पर काटे और जमा करे ॥

(४) अगर असामी फ़स्ल या पैदावार के किसी हिस्से को ऐसे वक़्त या ऐसे तरीक़ा पर ले जाय कि उसका मुनासिब तख़मीना या कनकूत या बटाई न हो सके या उसकी निस्बत ऐसे तौर पर अमल करे जो रिवाज मुक़ामी के ख़िलाफ़ हो तो जायज़ है कि पैदावार की निस्बत यह समझा जाय कि वह उस क़दर ज़ियादा और उम्दा थी जैसी कि उस फ़स्ल में आस पास की वैसी ही अराज़ी पर की सब से ज़ियादा और उम्दा पैदावार उसी क़िस्म की हो ॥

दरख़्वास्त वास्ते तैनात किये जाने ओहदेदार के बग़रज़ बटाई या तख़मीना या कनकूत के

दफ़ा १०५—जिस हालत में कि लगान बज़रिये बटाई पैदावार के जिन्स में या बज़रिये तख़मीना या कनकूत खड़ी फ़स्ल के लिया जाता हो—

(क) अगर ज़मींदार या असामी मुनासिब वक़्त पर हाज़िर होने में ग़फ़लत करे—या

(ख) अगर पैदावार की मिक़दार या मालियत या बटाई की बाबत कोई तनाज़ा हो—

तो जायज़ है कि कोई फ़रीक़ अदालत में इस अमर की दरख़्वास्त पेश करे कि उस बटाई या तख़मीना या कनकूत के वास्ते कोई ओहदेदार तैनात किया जाय—

दरख़्वास्त देने वाले को लाज़िम होगा कि दरख़्वास्त के साथ उस क़दर फ़ीस दाख़िल करे जो लोकल गवर्नमेन्ट ने उन क़ायदों में जो इस बारे में बनाये जायें मुक़र्रर की हो ॥

दफ़ा १०६—(१) ऐसी दरख़्वास्त के पहुंचने पर अदालत को लाज़िम होगा कि लिखा हुआ इत्तिलानामा दूसरे फ़रीक़ के नाम इस ग़रज़ से जारी करे कि वह उस तारीख़ और वक़्त पर जो इत्तिलानामा में मुक़र्रर हो हाज़िर हो और किसी ओहदेदार को तैनात करे जो बटाई या तख़मीना या कनकूत करेगा॥

ज़ाबिता ऐसी दरख़्वास्त के गुज़रने पर

(२) अगर दूसरा फ़रीक़ यह उज़्र करे कि लगान बज़रिये बटाई या तख़मीना या कनकूत के नहीं लिया जाता है या यह कि कुछ लगान क़ाबिल अदा नहीं है तो उस ओहदेदार को जो तैनात हुआ हो लाज़िम होगा कि इस उज़्र को लिखले लेकिन वह कार्रवाई जिसका आगे इस सेक्‌ में हुक्म है करे—

(३) अगर मुक़र्रर की हुई तारीख पर या उससे पहिले उस तनाज़ा का तसफ़िया न हो जाय तो ऐसे ओहदेदार को लाज़िम होगा कि हर फ़रीक़ को यह हिदायत करे कि आस पास के एक एक रहने वाले को बतौर पंच के मुक़र्रर करे और वह आप भी एक आस पास के रहने वाले को पंच मुक़र्रर करे ताकि वह पैदावार की बटाई या फ़स्ल के तख़मीना या कनकूत में मदद दें॥

(४) अगर कोई फ़रीक़ हाज़िर न हो या पंच मुक़र्रर करने से इन्कार करे तो उस ओहदेदार को जो तैनात हुआ हो लाज़िम होगा कि एक पंच उसकी तरफ़ से खुद मुक़र्रर करदे—

(५) उस ओहदेदार को जो तैनात हुआ हो लाज़िम होगा कि पंचों की रायों को लिखले और अपना फ़ैसला करने में उन रायों पर लिहाज़ करे—

(६) पैदावार की बटाई की सूरत में अगर फ़रीक़ैन उस फ़ैसला से रज़ामन्द हो जायें तो उसके मुताबिक़ बटाई करदो

लगान की बाबत रसीदें

दफ़ा १०७—हर असामी जो अपने ज़मींदार को लगान की बाबत कुछ अदा करे मुस्तहक़ इस का होगा कि फ़ौरन् ज़मींदार से एक लिखी हुई रसीद जिस पर उस ज़मींदार के दस्तख़त हों उस रक़म की पाये जो इस तरह दी जाय॥

असामी का हक़ लगान की बाबत् रसीद पाने का

दफ़ा १०८—(१) लाज़िम है कि रसीद में नीचे लिखी हुई तफ़सीलों में से ऐसी तफ़सीलें दर्ज की जायें जिनको सराहत ज़मींदार अदा होने के वक़्त कर सकता हो—यानी

जायज़ रसीद के मज़ामीन

(क) नाम अदा करने वाले और पाने वाले के—

(ख) नाम मौज़ा का मय महाल या पट्टी के—

(ग) तादाद जो अदा की गई—

(घ) तफ़सील उस जोत की जिसकी बाबत् लगान अदा किया गया है—

(ङ) साल और क़िस्त जिसको बाबत् अदा की हुई रक़म जमा की गई—

(च) यह कि आया अदा की हुई रक़म बतौर मतालिबे की बेबाक़ी के क़ुबूल की गई या सिर्फ़ हिसाब में—और

(छ) तारीख़ जिस पर लगान अदा किया गया—

(२) अगर रसीद में दर असल वह तफ़सीलें न हों जिनका इस दफ़ा में हुक्म है तो लाज़िम होगा कि जब तक ख़िलाफ़

लगान की बावत रसीदें

दफ़ा १००—हर असामी जो अपने ज़मींदार को लगान की बावत कुछ अदा करे मुस्तहक़ इस का होगा कि फ़ौरन् ज़मींदार से एक लिखी हुई रसीद जिस पर उस ज़मींदार के दस्तख़त हों उस रक़म की पाये जो इस तरह दी जाय ॥

असामी का हक़ लगान की बावत् रसीद पाने का

दफ़ा १०८—(१) लाज़िम है कि रसीद मे नीचे लिखी हुई तफ़सीलों में से ऐसी तफ़सीलें दर्ज की जायें जिनको सराहत ज़मींदार अदा होने के वक़्त कर सकता हो—यानी

जायज़ रसीद के मज़ामीन

(क) नाम अदा करने वाले और पाने वाले के—

(ख) नाम मौज़ा का मय महाल या पट्टी के—

(ग) तादाद जो अदा की गई—

(घ) तफ़सील उस जोत की जिसकी बावत् लगान अदा किया गया है—

(ङ) साल और क़िस्त जिसकी बावत् अदा की हुई रक़म जमा की गई—

(च) यह कि आया अदा की हुई रक़म बतौर मतालिबे की बेबाक़ी के क़बूल की गई या सिर्फ़ हिसाब में—और

(छ) तारीख़ जिस पर लगान अदा किया गया—

(२) अगर रसीद में दर असल वह तफ़सीलें न हों जिनका इस दफ़ा में हुक्म है तो लाज़िम होगा कि जब तक ख़िलाफ़

इसके साबित न किया जाय उस रसीद की निस्बत यह क़यास कर लिया जाय कि वह पूरी फ़ारिग़ख़ती उस तारीख़ तक के लगान के कुल मतालिबों की है जिस पर कि रसीद दी गई ॥

दफ़ा १०६—(१) जब असामी लगान की बाबत् कुछ अदा करे तो उसको जायज़ है कि वह साल या वह साल और वह क़िस्त ज़ाहिर करदे जिसकी बाबत् वह अदा की हुई रक़म को जमा कराना चाहता है—और लाज़िम होगा कि वह अदा की हुई रक़म उसी के मुताबिक़ जमा की जाय—

अदा किया जाना बाबत् क़िस्तों के

(२) अगर असामी कोई ऐसा इज़हार न करे तो जायज़ है कि वह अदा की हुई रक़म बाबत् ऐसी बक़ाया के जमा की जाय जिसकी नालिश की मियाद न गुज़र गई हो और जिसको ज़मींदार मुनासिब समझे ॥

दफ़ा ११०—अगर कोई ज़मींदार बिला वजह माक़ूल असामी को ऐसी रसीद जिसमें वह तफ़सीलें दर्ज हों जो इस ऐक्ट में इससे पहिले मुक़र्रर की गई हैं किसी ऐसे लगान की बाबत् जो उस असामी ने अदा किया हो हवाला करने से इन्कार करे—या उस लगान को जो अदा किया जाय उस साल और उस क़िस्त की बाबत् जमा करने से इन्कार करे जिसकी बाबत् उस अदा की हुई रक़म के जमा करने की उस असामी ने दरख़्वास्त की हो—तो असामी मुस्तहक़ इसका होगा कि उस ज़मींदार से उस क़दर मुआविज़ा वसूल करे जो उस अदा किये हुए लगान की तादाद या मालियत के दुगुने से ज़ियादा न हो और जिसको कि अदालत डिगरी करना मुनासिब समझे ॥

रसीद देने से या दरख़्वास्त के मुताबिक़ जमा करने से इन्कार करने की बाबत् मुआविज़ा

दाख़िल किया जाना लगान का अदालत में

दफ़ा १११—नीचे लिखी हुई सूरतों में से किसी सूरत में जब कि लगान नक़दी वाजिब हो—यानी—

दरख़्वास्त वास्ते जमा करने लगान के अदालत में

(क) जब कोई असामी ज़मींदार को पूरी रक़म उस लगान को जो उससे वाजिब हो अदा करने के वास्ते पेश करे और ज़मींदार उसके लेने से इन्कार करे या यह ज़ाहिर करे कि वह उसकी रसीद देना नहीं चाहता है—

(ख) जब लगान साझे में हिस्सेदारों को अदा होने के क़ाबिल हो और असामी को उस रक़म की बाबत हिस्सेदारों की यकजाई रसीद न मिल सके और किसी शख़्स को उनकी तरफ़ से लगान वसूल करने का इख़्तियार न दिया गया हो—

(ग) जब दो या ज़ियादा शख़्स अलग अलग लगान तहसील करने के हक़ का दावा करें या जब असामी को नेकनियती से इस अमर में शुबह हो कि कौन लगान पाने का मुस्तहक़ है—असामी को जायज़ है कि अदालत में लिखी हुई दरख़्वास्त इस बात की पेश करे कि उसको इस लगान की पूरी रक़म के अदालत में जमा करने की इजाज़त दी जाय जो उस वक़्त वाजिब हो ॥

दफ़ा ११२—(१) लाज़िम है कि दरख़्वास्त में बयान उन वजूह का हो जिनकी बिनाय पर वह की जाय और यह भी बयान हो—

दरख़्वास्त का मज़मून

सूरत (क) में नाम उस शख़्स का जिसके हक़ में जमा होने के वास्ते रुपया अमानत में दाख़िल किया जाता है—और

सूरत (ख) में नाम उन हिस्सेदारों के जिनको लगान वाजिब हो—और

सूरत (ग) में नाम उस आदमी का या उन आदमियों के जिसको या जिनको लगान पिछली मर्तबा अदा किया गया था और उस आदमी का या उन आदमियों के जो उसका अब दावा करता हो या करते हों ॥

(२) लाज़िम होगा कि दरख़्वास्त की तसदीक़ बतौर अर्ज़ी-दावा के की जाय और उसके साथ उस क़दर रसूम दाख़िल हो जिसकी लोकल गवर्नमेन्ट बज़रिये क़ायदे के हिदायत करे ॥

रसीद दी जायगी

दफ़ा ११३—अगर उस अदालत को जिसको दरख़्वास्त दफ़ा १११ के बमूजिब दी जाय यह मालूम हो कि दरख़्वास्त देनेवाला इस दफ़ा के बमूजिब उस लगान के जमा करने का मुस्तहक़ है तो अदालत को लाज़िम होगा कि उस लगान को ले ले और उसकी बाबत एक रसीद अदालत की मुहर लगाकर दे दे ॥

रसीद एक जायज़ फ़ारग़ख़ती होगी

दफ़ा ११४—जो रसीद ठीक पिछली दफ़ा के बमूजिब दी जाय उसका असर बतौर फ़ारग़ख़ती उस रक़म लगान के जो असामी से वाजिब हो और जिस तरह कि ऊपर ज़िक्र हुआ दाख़िल की गई हो उसी तौर पर और उसी हद तक होगा कि गोया वह रक़म लगान की—

दफ़ा १११ की सूरत (क) में उस शख़्स को वसूल हो गई जिसको निस्बत दरख़्वास्त में यह लिखा हो कि उसके हक़ में यह अमानत जमा की जाय—

इसी दफ़ा की सूरत (ख) में उन ज़िम्मेदारों को वसूल हो गई जिनके लगान वाजिब है—

इसी दफ़ा की सूरत (ग) में उस शख़्स को वसूल होगई जो जो उस लगान का मुस्तहक़ है॥

दफ़ा ११५—जिस अदालत में रक़म अमानत दाख़िल हो उसको लाज़िम होगा कि फ़ौरन कचेहरी की किसी जगह पर जहां सब की नज़र पड़ सके और ज़िला की देशी ज़बान में उस लगान के दाख़िल हो जाने का एक इश्तिहार लगा दे जिसमें असामी का नाम और ज़मींदार का नाम और रक़म लगान की जो दाख़िल की गई हो और कोई और ऐसी तफ़सीलें जो ज़रूरी हों दर्ज हों॥

रक़म अमानत के दाख़िल होने का इश्तिहार·

दफ़ा ११६—अगर रक़म अमानत की उस तारीख़ से जिस पर इश्तिहार इस तरह लगाया जाय ठीक अगले पन्द्रह दिन की मियाद के अन्दर ठीक अगली दफ़ा के बमूजिब अदा न हो जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि फ़ौरन—

इत्तिलानामा किसके पास भेजा जायगा

दफ़ा ११७—की सूरत (क) में अमानत में रुपया दाख़िल होने का इत्तिलानामा बिला लेने किसी ख़र्चा के उस शख़्स पर तामील कराये जिसकी निस्बत दरख़्वास्त में यह लिखा हो कि उसके हक़ में यह अमानत जमा की जाय—और

इसी दफ़ा की सूरत (ख) में अमानत में रुपया दाख़िल होने का इत्तिलानामा ज़मींदार के गांव के दफ़्तर या रहने की जगह पर या किसी ऐसे मुक़ाम पर जहां सब की नज़र पड़ सके उस गांव में जिस में जोत वाक़े हो लगवा दे—और

उसी दफ़ा की सूरत (ग) में एक इत्तिलानामा की तामील हर ऐसे शख़्स पर कराये जिसकी निस्बत उसको यह यक़ीन करने की वजह हो कि वह शख़्स उस अमानत के रुपया का दावा करता है या उसका मुस्तहक़ है॥

दफ़ा ११७—(१) अदालत को जायज़ है कि ज़र अमानत की रक़म किसी ऐसे शख़्स को जो अदालत को उसका मुस्तहक़ मालूम हो अदा कर दे या अगर वह मुनासिब समझे तो जायज़ है कि उस रक़म को उस वक़्त तक रहने दे जब तक अदालत दीवानी इस बात का फ़ैसला न करे कि कौन शख़्स उसका मुस्तहक़ है—और अगर ज़र अमानत मुताबिक़ फ़िक़रा (ग) दफ़ा १११ दाख़िल किया गया हो तो—सिवाय उस सूरत के कि तनाज़ा करने वाले फ़रीक़ मिल कर दरख़्वास्त पेश करें—अदालत को लाज़िम है कि उस रक़म को उस वक़्त तक रहने दे जब तक अदालत दीवानी निस्बत इस अमर के फ़ैसला न करे कि कौन शख़्स उसका मुस्तहक़ है—

अदा किया जाना या वापिस किया जाना ज़र अमानत का

(२) जायज़ है कि अगर अदालत इस बात की हिदायत करे तो वह रक़म बज़रिये मनीआर्डर डाकख़ाना के अदा की जाय—

(३) अगर उस तारीख़ से तीन बरस के गुज़रने के पहिले जिस पर कोई रक़म अमानत दाख़िल की गई हो उस दफ़ा के बमूजिब वह रक़म अदा न कर दी गई हो तो जायज़ है कि बहालत न होने किसी ऐसे हुक्म अदालत दीवानी या माल के जो ख़िलाफ़ इसके हो रक़म अमानत जमा करने वाले को उसके

दरख़ास्त पर और उस रसीद के वापस करने पर जो उस अदा-लत ने दी हो जिसमें लगान दाख़िल किया गया था या अमा-नत के रुपया के दाख़िल करने की निस्बत उसके ऐसी और शहादत पेश करने पर जो अदालत काफ़ी समझे वापिस कर दी जाय ॥

नालिशों की रोक

दफ़ा ११८—लाज़िम है कि कोई नालिश और कार्रवाई बमुक़ाबिला साहब सेक्रेटरी आफ़ स्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौंसिल के या बमुक़ाबिला किसी ओहदेदार गवर्नमेन्ट के निस्बत किसी बात के जो किसी अदालत ने किसी ज़र अमानत की निस्बत ऊपर लिखी हुई दफ़ों के बमूजिब की हो दायर न की जाय—लेकिन इस दफ़ा की किसी बात से किसी ऐसे शख़्स को जो ऐसे ज़र अमानत की रक़म के वसूल पाने का मुस्तहक़ हो यह रोक न होगी कि उसको किसी ऐसे शख़्स से वसूल करे जिसको वह ठीक पिछली दफ़ा के बमूजिब अदा की गई हो ॥

बाब ९

कुर्क़ी इख़्तियारी

ज़मींदार का हक़ कुर्क़ी इख़्तियारी का

वसूल किया जाना क़ाया का बज़रिये कुर्क़ी इख़्तियारी के

दफ़ा ११९—(१) पैदावार कुल अराज़ी की जो किसी असामी की क़ाश्त में हो उस लगान की बाबत जो उस अराज़ी की निस्बत उस असामी से और हर ऐसे शख़्स से जो दर्मियानी उस असामी और मालिक का हो वाजिब-उल अदा हो मकफ़ूल समझी जायगी—और जब तक वह लगान

बेबाक़ न कर दिया जाय कोई दूसरा दावा उस पैदावार की निस्बत बज़रिये नीलाम बइल्लत इजराय डिगरी अदालत दीवानी या अदालत माल के या और तौर पर जारी न किया जायगा॥

(२) जब बक़ाया लगान किसी असामी से वाजिबुल अदा हो तो ज़मींदार को जायज़ है कि बजाय या अलावह इसके कि बक़ाया की निस्बत जैसा कि आगे हुक्म दिया गया है नालिश करे उसको उस अराज़ी की पैदावार की क़ुर्क़ी इख़्तियारी और नीलाम से जिसकी बाबत् वह बक़ाया वाजिब है वसूल करे॥

(३) इस दफ़ा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि इस से क़ानून नम्बर ६ सन् १८२३ ई० की दफ़ात २ व ३ व ४ या ऐक्ट १३ सन् १८५९ ई० की दफ़ा ११ के हुक्मों पर कुछ असर पहुंचता है॥

किस सूरत में क़ुर्क़ी इख़्तियारी की इजाज़त नहीं है

दफ़ा १२० —चाहे कुछ हो पिछली दफ़ा में दर्ज हो क़ुर्क़ी इख़्तियारी—

(क) ऐसा हिस्सेदार न करेगा जो मुस्तहक़ इसका न हो कि कुल लगान असामी से तहसील करे—

(ख) ऐसा ज़मींदार न करेगा जिसने क़ुर्क़ी इख़्तियारी न करने का क़ौल व क़रार कर लिया हो—

(ग) कोई ज़मींदार किसी ऐसी पैदावार की न करेगा—जिसके कुल या किसी हिस्से की क़ुर्क़ी इख़्तियारी पहिले सह कर चुका हो—

(घ) बाबत् ऐसी बक़ाया के न की जायगी जो एक साल में ज़ियादा अरसे से वाजिबुल अदा रही हो—

(ङ) बाबत् ऐसी बक़ाया के न की जायगी जिसके वास्ते ज़मींदार ने ज़मानत क़बूल करली हो—

और कोई कुर्क़ी इख़्तियारी न करेगा—

(च) ऐसा एजेन्ट (कारिन्दः) जिसको बज़रिये मुख़्तारनामा के इस बात का साफ़ तौर से इख़्तियार न दिया गया हो—

(छ) ऐसे शख़्स का नौकर जिसको कुर्क़ी इख़्तियारी करने का इख़्तियार हो सिवाय इसके कि उसके पास लिखी हुई इजाज़त कुर्क़ी इख़्तियारी करने की हो—

क्या क्या चीज़ कुर्क़ की जा सक्ती है

दफ़ा १२१—(१) ज़मींदार मुस्तहक़ होगा कि (नीचे लिखी हुई चीज़ें) कुर्क करे—

(क) कोई फ़सल या और पैदावार जमीन की जो जोत पर खड़ी हो या जमा न की गई हो—

(ख) कोई फ़सल या और पैदावार ज़मीन की जो जोत पर पैदा की गई हो और काटली गई हो या जमा करली गई हो और जोत पर या खलियान पर या नाज के गाहने (दावने) की जगह पर या किसी और ऐसीही जगह पर चाहे खेतों में या घरों में रक्खी हो—

(२) ज़मींदार को इस्तहक़ाक़ कुर्क़ी इख़्तियारी न होगा—

(क) किसी फ़सल या और पैदावार का बाद इसके कि उसको असामी ने घर में भर लिया हो—

(ख) किसी और माल का चाहे वह कुछ ही हो ॥

ज़ाबिता

मतालिबा तहरीरी और हिसाब की तामील बाक़ीदार पर की जायगी

दफ़ा १२२—(१) कुर्क़ी इख़्तियारी किये जाने से पहिले या उस वक़्त जब कुर्क़ी इख़्तियारी की जाय कुर्क़ी करने वाले को लाज़िम है कि बाक़ीदार पर तादाद बक़ाया की बाबत एक लिखी हुई फ़र्द मतालिबा की मय ऐसे हिसाब के जिसमें वह वजूह दर्ज हों जिनकी बिनाय पर मतालिबा किया गया हो तामील कराये—

(२) इस मतालिबा और हिसाब पर कुर्क़ी करने वाला तारीख़ लिखेगा और अपने दस्तख़त करेगा और अगर हो सके बाक़ीदार की ज़ात पर उनकी तामील की जायगी—या अगर वह न मिल सके तो वह उसके मामूली रहने के मकान पर लगा दिये जांयगे ॥

कुर्क़ी इख़्तियारी व लिहाज़ मुनासिबत तादाद बक़ाया के होगी और माल की फ़ेहरिस्त की तामील मालिक पर की जायगी और नक़ल तेहसील में दाख़िल की जायगी

दफ़ा १२३—(१) बजुज़ उस सूरत के कि रक़म मतालिबा की फ़ौरन बेबाक़ करदी जाय कुर्क़ी करने वाले को जायज़ है कि उस माल को जिसका कि ऊपर ज़िक्र हुआ जो मालियत में तादाद बक़ाया और ख़र्चा कुर्क़ी इख़्तियारी के इस क़दर क़रीब क़रीब बराबर हो जिस क़दर हो सके कुर्क़ करे और उसको लाज़िम होगा कि एक फ़ेहरिस्त या तफ़सील ऐसे माल की तैयार करे और उस पर तारीख़ लिखे और

दस्तख़त करे और उस को बाक़ीदार के हवाले करे या अगर वह न मिल सके तो उसको उसके मामूली रहने के मकान पर लगादे और एक नक़ल उस फ़ेहरिस्त या तफ़सील की मय एक नक़ल मुतालिबा तहरीरी और हिसाब की फ़ौरन तहसील में दाख़िल की जायगी—

(२) अगर क़ुर्की करने वाले को इस बात की इत्तिला हो कि काश्तकार कोई और आदमी है न कि बाक़ीदार तो एक नक़ल मुतालिबा और फ़ेहरिस्त या तफ़सील माल की उसी तरह का-श्तकार को हवाले की जायगी—

(३) सूरज के निकलने और डूबने के दरमियान के सिवाय किसी वक़्त क़ुर्की इख़्तियारी नहीं की जायगी ॥

दफ़ा १२४—(१) खड़ी फ़सल और दूसरी ऐसी पैदावार की जो जमा न की गई हो क़ुर्की इख़्तियारी हो जाने पर भी काश्तकार हिफ़ाज़त कर सक्ता है और उसको काट सक्ता है और जमा कर सक्ता है और ऐसे खेतों या और जगहों में जिनको इस ग़रज़ के लिये वह आम तौर पर काम में लाता हो भर सक्ता है—

खड़ी फ़सल वग़ैरः जब क़ुर्क़ हो गई हो काटी और भरी जा सकती है।

(२) अगर काश्तकार इस बाब में ग़फ़लत करे तो क़ुर्की करने वाले को लाज़िम है कि उस फ़सल या पैदावार की काश्तकार के ख़र्चे पर हिफ़ाज़त कराये या उसको कटवाये या जमा कराये और उसको आस पास की किसी ऐसी जगह में जहां आसानी हो यकट्ठा कराये—

(३) दोनों सूरतों में क़ुर्क़ किया हुआ माल किसी ऐसे शख़्स के एहतिमाम में जिसको क़ुर्की करने वाले ने इस काम के वास्ते मुक़र्रर किया हो रक्खा जायगा ॥

दफ़ा १२५—लाज़िम है कि ऐसी फ़सल या पैदावारें जो इस क़िस्म की हों जो रखना वग़ैरः में भरी न जा सकें यह उस तरह जैसा कि इस ऐक्ट में आगे हुक्म है काटने या जमा करने से पहिले नीलाम करदी जायें—लेकिन ऐसी सूरत में लाज़िम है कि कुर्की इख़्तियारी कम से कम २० दिन पहिले उस वक़्त से की जाय जब कि फ़सल या पैदावारें या कोई हिस्सा उनका लायक़ काटने या जमा करने के हो॥

ऐसी पैदावारों का नीलाम जो इकट्ठी न की जा सकें

दफ़ा १२६—अगर कुर्की करने वाले का मुक़ाबिला किया जाय या उसको रोक टोक का डर हो तो उस को इख़्तियार है कि अदालत से दरख़्वास्त करे और अदालत को लाज़िम होगा कि अगर यह बात ज़रूरी मालूम हो तो किसी ओहदेदार को कुर्की इख़्तियारी करने में कुर्की करने वाले की मदद देने के लिये तैनात करदे॥

मुक़ाबिला के या रोक टोक के डर की हालत में कुर्की करने वाले को मदद

दफ़ा १२७—अगर माल की कुर्की इख़्तियारी के बाद और उस तारीख़ से पहिले जो उसके नीलाम के लिये जैसा कि इस ऐक्ट में आगे हुक्म है मुक़र्रर हो किसी वक़्त बाक़ीदार या काश्तकार ज़र बक़ाया जो उससे तलब किया गया है और ख़र्चा कुर्की इख़्तियारी देने के लिये पेश करे तो कुर्की करने वाले को लाज़िम है कि उनको ले ले और फ़ौरन कुर्की इख़्तियारी उठा ले॥

नीलाम से पहिले बक़ाया और ख़र्चा पेश होने पर कुर्की इख़्तियारी उठाली जायगी

दफ़ा १२८—(१) कुर्क़ी इख़्तियारी किये जाने से पांच दिन के अन्दर कुर्क़ी करने वाले को जायज़ है कि ऐसे ओहदेदार से जिसको इख़्तियार हो जो आगे इस सेक्ट में ओहदेदार नीलाम के नाम से कहा गया है उस माल के नीलाम की दरख़्वास्त करे जो उस फ़ेहरिस्त या तख़मीन में दर्ज हो जो मुताबिक़ दफ़ा १२३ दाख़िल की गई हो॥

नीलाम की दरख़्वास्त

(२) अगर कोई ऐसी दरख़्वास्त न दी जाय तो फ़सल या पैदावार कुर्क़ी इख़्तियारी से छोड़ दी जायगी॥

दफ़ा १२९—दरख़्वास्त लिखी हुई होगी और उसमें नीचे लिखी हुई तफ़सीलें दर्ज की जायगी—यानी—

दरख़्वास्त का मज़मून

(क) नाम बाक़ीदार का और उसके रहने की जगह और उस सूरत मे जिसका दफ़ा १२३ (२) में हुक्म है क़श्तकार का भी नाम और उसके रहने की जगह—

(ख) तादाद उस रुपये की जो पाना हो—

(ग) तारीख़ कुर्क़ी इख़्तियारी करने की—और

(घ) जगह जिसमें कुर्क़ किया हुआ माल मौजूद हो॥

दफ़ा १३०—कुर्क़ी करने वाले को लाज़िम है कि दरख़्वास्त के साथ ओहदेदार नीलाम को इत्तिलानामा की तामील करने के लिये वह फ़ीस हवाले करे जिसका इस सेक्ट मे आगे हुक्म है॥

तामील इत्तिलानामा की फ़ीस

दफ़ा १७१—(१) ऐसी दरख़्वास्त और हुक्म के पहुंचने पर ओहदेदार नीलाम को लाज़िम होगा कि एक नक़ल उस दरख़्वास्त की और उस फ़ेहरिस्त या तफ़सील की जो मुताबिक़ दफ़ा १७० दाख़िल की गई हो उस अदालत में भेज दे जो कुर्क़ी डिग्रीदार की दरख़्वास्ती की नालिश के सुनने का इख़्तियार रखती हो ॥

कार्रवाई दरख़्वास्त के पहुंचने पर

और एक इत्तिलानामा की डिक्रीदार पर तामील करे और उसमें डिक्रीदार की निसबत यह हुक्म लिखे कि वह इत्तिलानामा के पहुंचने की तारीख़ से पन्द्रह दिन के अन्दर या तो मतालबा अदा करदे या दरख़्वास्ती कुर्क़ी डिग्रीदार की नालिश दायर करे ॥

(२) उस सूरत में जिसका दफ़ा १७२ (२) में हुक्म है इसी क़िस्म के इत्तिलानामा की तामील काश्तकार पर की जायगी ॥

(३) ओहदेदार नीलाम को लाज़िम होगा कि वज़रिये हुक्म के नीलाम की ऐसी तारीख़ मुक़र्रर करे जो दरख़्वास्त की तारीख़ से ३० दिन से कम फ़ासले पर न हो—और उसको उस जगह पर मुश्तहिर कराये जहां कुर्क़ किया हुआ माल मौजूद हो—और उसको यह भी लाज़िम होगा कि एक नक़ल अपने हुक्म की अदालत में इस ग़रज़ से भेज दे कि वह उसके दफ़्तर में लगा दी जाय ॥

(४) इश्तिहार में नीचे लिखी हुई तफ़सीलें भी दर्ज की जायगी—यानी—

(क) उस माल की तफ़सील जो नीलाम किया जायगा—

(ख) मतालबा जिसकी बाबत उस का नीलाम किया जायगा—और—

(ग) वह जगह जहां नीलाम किया जायगा ॥

दफ़ा १३२—अगर उस तारीख पर जो इश्तिहार नीलाम में मुक़र्रर की गई हो या उसके पहिले नालिश कुर्क़ी इख़्तियारी की उज़रदारी के दायर होने की इत्तिला ओहदेदार नीलाम को मुताबिक़ दफ़ा १४२ (२) न कर दी गई हो तो उस ओहदेदार को लाज़िम है कि अगर मतालिबा मय इस क़दर ख़र्चा कुर्क़ी इख़्तियारी के जो वह तजवीज़ करे कुल न अदा कर दिया जाय तो उस माल के या उसके उस क़दर हिस्से के जो मतालिबा और ख़र्चा कुर्क़ी इख़्तियारी और ख़र्चा नीलाम के बेबाक़ी के वास्ते ज़रूरी हो नीलाम करने की कार्रवाई मुताबिक़ उस तरीक़ा के जो इस ऐक्ट में आगे मुक़र्रर किया गया है करे ॥

जिस हालत में नीलाम की कार्रवाई की जा सक्ती है ।

दफ़ा १३३—(१) नीलाम उस जगह पर होगा जहां कुर्क़ किया हुआ माल हो या वहां से सब से क़रीब की जगह में जहां सब लोग आते जाते हो होगा ऐसी सूरत में कि ओहदेदार नीलाम की यह राय हो कि यहां ज़ियादा फ़ायदा से नीलाम हो सकेगा ॥

मुक़ाम और तरीक़ा नीलाम का

(२) माल बज़रिये नीलाम आम के एक या ज़ियादा लाट में जिस तौर पर कि ओहदेदार नीलाम मुनासिब समझे बेचा जायगा—

(३) अगर मतालिबा मय ख़र्चा कुर्क़ी इख़्तियारी व नीलाम के माल के किसी हिस्सा के नीलाम से वसूल होजाय तो बाक़ी माल की बाबत कुर्क़ी इख़्तियारी फ़ौरन् उठा ली जायगी ॥

अगर वाजिबी क़ीमत न लगाई जाय तो नीलाम मुल्तवी किया जा सक्ता है और उस के बाद नीलाम का ख़तम करना लाज़िम होगा

दफ़ा १३४—अगर माल के नीलाम के वक़्त उसकी वाजिबी क़ीमत ओहदेदार नीलाम के अन्दाज़े में न लगाई जाय और अगर वाक़ीदार या काश्तकार दूसरे दिन तक—या जिस हाल में कि नीलाम की जगह के नज़दीक बाज़ार लगता हो दूसरे बाज़ार के दिन तक—नीलाम के रोक रखने की दरख़्वास्त करे तो नीलाम उस दिन तक रोका जायगा और उस वक़्त जो क़ीमत उस माल की लगाई जाय उसी पर ख़तम कर दिया जायगा ॥

अदा किया जाना क़ीमत का

दफ़ा १३५—क़ीमत हर लाट की नक़द रुपया में नीलाम के वक़्त या उस के बाद जिस क़दर जल्द ओहदेदार नीलाम ज़रूरी समझे अदा करनी होगी ॥

क़ीमत न अदा होने की सूरत में फिर नीलाम किया जाना

दफ़ा १३६—अगर क़ीमत अदा न की जाय तो माल फिर नीलाम पर चढ़ाया जायगा—और ओहदेदार नीलाम को लाज़िम होगा कि क़ीमत में कमी (अगर कुछ हो) जो इस दूसरे नीलाम में पड़े और कुल ख़र्चा को जो इस दूसरे नीलाम में हों इत्तिला अदालत को करदे और वह [illegible] में कुर्की करने वाले या वाक़ीदार या काश्तकार की [illegible] उस ख़रीदार से जिसने क़ीमत न अदा की हो [illegible] क़वायद के जो बाब १३ [illegible] ज़ाबिता दीवानी में [illegible] डिगरी [illegible] नक़द के बारे में दर्ज हैं [illegible] की [illegible]

दफ़ा १३०—जब क़ीमत पूरी अदा करदी जाय तो ओहदेदार नीलाम को लाज़िम है कि ख़रीदार को एक सार्टीफ़िकट देदे जिसमें उस माल की जो उसने ख़रीद किया हो और कीमत की जो उसने अदा की हो सराहत हो ॥

ख़रीदार को सार्टीफ़िकट दिया जायगा

दफ़ा १३१—(१) क़ुर्क़ी किये हुए माल के हर ऐसे नीलाम की क़ीमत में जो मुताबिक़ इस ऐक्ट के किया जाय ओहदेदार नीलाम व हिसाब फ़ी रुपया एक आना बाबत ख़र्चा नीलाम के काटलेगा—और उस रक़म को जो इस तौर से काटी गई हो तहसीलदार के पास भेजदेगा—

क़ीमत क्या की जायगी

(२) इस के बाद वह ओहदेदार क़ुर्क़ी करने वाले को वह ख़र्चा जो क़ुर्क़ी इख़्तियारी करने वाले का क़ुर्क़ी करने में और इत्तिलानामा और इश्तिहार नीलाम दफ़ा १२१ के बमूजिब जारी करने में हुआ हो उस क़दर अदा करेगा जिसका अदा करना बाद जांचने कैफ़ियत ख़र्चा के जो क़ुर्क़ी करने वाले ने पेश की हो उस ओहदेदार के नज़दीक मुनासिब हो—

(३) बाक़ी रुपया नीलाम का उस बक़ाया के अदा करने में जिसकी बाबत क़ुर्क़ी इख़्तियारी की गई हो लगा दिया जायगा—

(४) अगर कुछ बचत हो तो वह उस आदमी को हवाले करदी जायगी जिसका माल नीलाम किया गया हो ॥

दफ़ा १३२—ओहदेदारान नीलाम और उन सब लोगों को जिनसे ऐसे ओहदेदारान काम लें या जो उनके मातहत हों किसी ऐसे माल के खुले खुले या आड़ से ख़रीद करने की मुमानियत है जिसको ऐसे ओहदेदारान नीलाम करें ॥

ओहदेदारान नीलाम और मुलाज़िमान नीलाम को ख़रीदने की मुमानियत है

दफ़ा १४०—अगर किसी सूरत में किसी ऐसे नीलाम के शुरू करने के वक़्त ओहदेदार नीलाम को मालूम हो कि कुर्क़ी इख़्तियारी की और नीलाम की जो तजवीज़ हुआ हो ज़ाबिता के मुताबिक़ इत्तिला नहीं दीगई है तो उसको लाज़िम होगा कि नीलाम को रोक कर इस बात की रपोर्ट अदालत को करे और इसके बाद अदालत हुक्म देगी कि दूसरा इत्तिलानामा और इश्तिहार नीलाम मुताबिक़ दफ़ा १३१ जारी किया जाय या और हुक्म जो उसके नज़दीक मुनासिब हो देगी ॥

नीलाम का रोक रखना और अदालत को रिपोर्ट का किया जाना जब कि मालिक के पास ज़ाबिता की इत्तिला न पहुंची हो

दफ़ा १४१—(१) जब ओहदेदार नीलाम किसी जगह पर मुताबिक़ इस ऐक्ट के नीलाम करने के वास्ते जाय और नीलाम इस सबब से कि मतालिबा कुर्क़ करने वाले का पहिले बेबाक़ हो गया हो मगर उस बेबाक़ी की इत्तिला कुर्क़ी करने वाले ने उस ओहदेदार को न दी हो—न होवे तो रुपया पर एक आना बतौर हक़ के ख़र्चा के वास्ते लगाया जायगा और वह कुर्क़ किये हुए माल की तख़मीनी मालियत पर जोड़ा जायगा—

जब ओहदेदार नीलाम मौक़ा पर पहुंच जाय और नीलाम न हो तो ख़र्चा का आयद किया जाना

(२) अगर कुर्क़ी करने वाले का मतालिबा उस तारीख़ तक जो नीलाम के वास्ते मुक़र्रर की गई हो बेबाक़ न किया जाय तो वह हक़ माल के मालिक़ से क़ाबिल अदा होगा—और जायज़ होगा कि वह ऐसे माल के उतने हिस्सा के नीलाम से जितना हो वसूल किया जाय ॥

(३) हर दूसरी सूरत में यह हक़ कुर्की करने वाले से क़ाबिल अदा होगा और जायज़ होगा कि उससे बतौर वक़ाया मालगुज़ारी के वसूल किया जाय—

(४) किसी सूरत में दस रुपया से ज़ियादा की कोई रक़म मुताबिक़ इस दफ़ा के वसूल के लायक़ न होगी ॥

नालिशें जिनका तअल्लुक़ कुर्की इख़्तियारी से है

दफ़ा १४२—(१) अगर मुताबिक़ दफ़ा १३० या १३६ नीलाम न हुआ हो तो किसी ऐसे शख़्स को जिसका माल कुर्क किया गया हो जायज़ है कि नालिश उज़रदारी कुर्की इख़्तियारी दायर करे—

नालिश उज़रदारी कुर्की इख़्तियारी को नीलाम के पहिले

मगर शर्त यह है कि अगर इत्तिलानामा की तामील मुद्दई पर मुताबिक़ दफ़ा ज़िमनी (१) या दफ़ा ज़िमनी (२) दफ़ा १३१ के हो गई हो तो उसको लाज़िम होगा कि अपनी नालिश उस इत्तिलानामा के पहुंचने से पन्द्रह दिन के अन्दर दायर करे ॥

(२) अगर कोई नालिश मुताबिक़ दफ़ा ज़िमनी (१) दायर की जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि एक सार्टीफ़िकिट उस नालिश के दायर हो जाने का उस ओहदेदार नीलाम के पास भेजदे—या अगर ऐसी दरख़्वास्त की जाय तो ऐसा सार्टीफ़िकिट मुद्दई को हवाले करदे—और जब ऐसा सार्टीफ़िकिट ओहदेदार नीलाम के पास नीलाम होने के पहिले पहुंच जाय या उसके रूबरू पेश किया जाय तो ओहदेदार नीलाम को लाज़िम होगा कि नीलाम रोक दे—

(३) नालिश उज़रदारी कुर्की इख़्तियारी में कुर्की करने वाले को हुक्म दिया जायगा कि उस तादाद बक़ाया को साबित करे जिसकी बाबत कुर्की इख़्तियारी की गई—

(४) अगर किसी नालिश में जो इस दफ़ा के मुताबिक़ हो मुद्दई बाक़ीदार या काश्तकार हो और कुर्की करने वाले का मतालिबा या उसका कोई हिस्सा अदा होने के लायक़ तजवीज़ किया जाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि उस तादाद की डिगरी कुर्की करने वाले को दे और वह तादाद उस माल से जैसा कि दफ़ा १४४ में हुक्म है वसूल की जायगी—

(५) अगर यह तजवीज़ किया जाय कि कुर्की इख़्तियारी तक़लीफ़ देने के लिये या बिला वजह की गई तो अदालत को जायज़ है कि कुर्क किये हुए माल के छोड़ने का हुक्म देने के अलावा—मुद्दई की दरख़्वास्त पर उसको उतना मुआविज़ा दिलाए जो मुक़द्दमा के हालात के मुनासिब हो ॥

ज़मानत देने की सूरत में कुर्की इख़्तियारी का उठा लिया जाना

दफ़ा १४३ (१) मुद्दई को जायज़ है कि किसी ऐसी नालिश के दायर करने के वक़्त या उसके पीछे किसी वक़्त किसी ऐसी रक़म की बाबत जिसका अदा करना बाक़ीदार के ज़िम्मे तजवीज़ किया जाय मय सूद व ख़र्चा नालिश अदा करने को ज़मानत दे—

(२) जब ऐसी ज़मानत देदी जाय तो अदालत मुद्दई को एक क्रिट उस मज़मून का हवाला करेगी—और अगर यह

दरख़्वास्त की जाय तो उसकी निस्बत इत्तिलानामा की तामील कुर्क़ी करने वाले पर करादेगी—

(३) जब ऐसा सार्टीफ़िकिट कुर्क़ी करने वाले के रूबरू पेश किया जाय या उस पर अदालत के हुक्म से तामील किया जाय तो लाज़िम होगा कि माल कुर्क़ी इख़्तियारी से छोड़ दिया जाय ॥

माल का नीलाम जब यह तजवीज़ किया जाय कि मतालिबा वाजिब है

दफ़ा १४४—(१) जब कुर्क़ किया हुआ माल मुताबिक़ अहकाम दफ़ा १४३ कुर्क़ी इख़्तियारी से न छोड़ा गया हो-अगर मतालिबा या उसके किसी हिस्सा का वाजिबउलअदा होना तजवीज़ किया जाय तो अदालत ओहदेदार नीलाम के पास एक हुक्म भेजेगी जिसमे यह रक़म जिसका वाजिबउलअदा होना तजवीज़ किया गया हो दर्ज की जायगी और उसको उस माल के नीलाम करने का इख़्तियार दिया जायगा ॥

(२) उस पर ओहदेदार नीलाम को लाज़िम होगा कि नीलाम के वास्ते एक ऐसी तारीख़ जो इश्तिहार की तारीख़ से कम से कम पांच दिन या ज़ियादा से ज़ियादा दस दिन आगे होनी चाहिये मुक़र्रर करे और उसको मुश्तहिर कराये और सिवाय इसके कि वह तादाद जो हुक्म अदालत मे दर्ज हो कुर्क़ी इख़्तियारी के ख़र्चे समेत अदा करदी जाय वह ओहदेदार माल का नीलाम उस तरीक़ा के मुताबिक़ करेगा जिसकी निस्बत इस ऐक्ट मे इस से पहिले हुक्म है ॥

दफ़ा १४५—अगर किसी शख़्स ने जिसका माल कुर्क़ होगया हो नालिश उज़रदारी कुर्क़ी इख़्तियारी जैसा कि दफ़ा १४२ में हुक्म है दायर न की हो और उसका माल नीलाम हो जाय तोभी उसको जायज़ है कि उस कुर्क़ी इख़्तियारी और नीलाम की बाबत मुआविज़ा दिला पाने के लिये नालिश दायर करे ॥

जो लोग ऐसे वक़्त पर नालिश न करें कि माल नीलाम से बच जाता उनको जायज़ है कि मुआविज़ा के वास्ते नालिश करें

दफ़ा १४६—अगर कोई आदमी इस ऐक्ट की आड़ में इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय किसी और तौर पर किसी माल की कुर्क़ी इख़्तियारी या नीलाम करे या उसको नीलाम कराये—

कुर्क़ी करने वाले के ख़िलाफ़ क़ानून काम

या अगर कोई कुर्क़ किया हुआ माल इस वजह से खो जाय या बिगड़ जाय या तलफ़ होजाय कि कुर्क़ी करने वाले ने उसके रखने और उसकी हिफ़ाज़त के लिये मुनासिब ख़बरदारी न की हो—

या जिस हाल में कि इस ऐक्ट के किसी हुक्म के मुताबिक़ कुर्क़ी इख़्तियारी को उठा लेना चाहिये कुर्क़ी इख़्तियारी फ़ौरन न उठा ली जाय—

तो मालिक माल को जायज़ होगा कि कुर्क़ी करने वाले पर वास्ते मुआविज़े के बाबत किसी ऐसे नुक़्सान के जो इस तरह उसको पहुंचा हो नालिश दायर करे—

अगर कुर्क़ी करने वाला कारिन्दा या नौकर हो तो जायज़ है कि उसका अस्ल मालिक नालिश में बतौर मुद्दाअलेह के शामिल किया जाय ॥

ऐक्ट अट्ठाईस

दफ़ा १४७—जिस सूरत में बक़ाया लगान किसी काश्तकार से बज़रिये कार्रवाई कुर्क़ी इख़्तियारी के किसी ऐसे शख़्स ने लिली हो जो उसका ज़मींदार बिला किसी दरमियानी के नहो तो काश्तकार इस तरह ली हुई तादाद को किसी ऐसे लगान से काट लेने का मुस्तहक़ होगा जो उस काश्तकार से उसके ज़मींदार बिना दरमियानी को पानी हो और ऐसा ज़मींदार बशर्ते कि वह बाक़ीदार न हो इसी तरह से मुस्तहक़ इसका होगा कि उसी तादाद को किसी ऐसे लगान से काट ले जो उससे उसके ज़मींदार को पाना हो और इसी तरह होता जायगा यहां तक कि बाक़ीदार की नौबत पहुंचे—

हुक़ूक़ निस्बत काश्तकार शिक़मी के

(२) असामी शिक़मी को इस्तहक़ाक़ होगा कि बजाय काट लेने किसी ऐसी तादाद के जो इस तरह लेली गई हो बाक़ीदार से उसके दिला पाने के लिये नालिश दायर करे—

(३) जिस हाल में कि अराज़ी काश्त शिक़मी पर दी गई हो और किसी ज़मींदार आला और अदना के दावों की निस्बत जिन्होंने एकही माल कुर्क़ कराया हो कोई झगड़ा पड़े तो ज़मींदार आला के दावे पहिले समझे जायंगे ॥

दफ़ा १४८—जब दरमियान हुक़ूक़ किसी माल के कुर्क़ी इख़्तियारी करने वाले के और ऐसे आदमी के जो उस माल को अदालत दीवानी या माल की किसी डिगरी के इजराय में कुर्क़ या नीलाम कराये झगड़ा पड़े तो कुर्क़ी इख़्तियारी करने वाले का हक़ पहिला

झगड़ा दर्मियान हुक़ूक़ बाबत् कुर्क़ी इख़्तियारी और कुर्क़ी बज़रिये डिगरी के

होगा लेकिन वह बचत की रक़म जो दफ़ा १३८ के बमूजिब उस आदमी को क़ाबिल अदा हो जिसके माल की कुर्क़ी इख़्तियारी की गई हो उस अदालत में जिसने कि हुक्म कुर्क़ी या नीलाम जारी किया था दाख़िल कर दी जायगी ॥

तावानात

तावानात बाबत बदियानती से कुर्क़ी इख़्तियारी करने या कुर्क़ी इख़्तियारी में रोक टोक करने के

दफ़ा १४६—(१) अगर कोई आदमी—

(क) इस ऐक्ट की आड़ में बदियानती से इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के सिवाय किसी और तौर पर किसी माल को कुर्क़ या नीलाम करे या नीलाम कराये—या

(ख) किसी ऐसी कुर्क़ी इख़्तियारी में जो इस ऐक्ट के बमूजिब बाज़ाब्ता की जाय रोक टोक करे या किसी ऐसे माल को जो मुताबिक़ इस ऐक्ट के बाज़ाबिता कुर्क़ हुआ हो ज़बरदस्ती से या चुपके से उठा ले जाय—

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०

तो उस आदमी की निस्बत यह समझा जायगा कि उसने मदाख़िलत बेजा मुजरिमाना मुताबिक़ मुराद मजमुआ ताज़ीरात हिन्द के की—

(२) जो शख़्स किसी ऐसे फ़ेल के करने में अआनत करे उस की निस्बत यह समझा जायगा कि उसने ऐसे जुर्म के करने में अआनत की ॥

बाब १०

वापसी मुआफ़ियात लगान की

दफ़ा १५०—महाल या हिस्सा महाल के मालिक को जायज़ है कि किसी ऐसी अराज़ी का जो उस महाल या हिस्सा महाल के अन्दर हो क़ब्ज़ा वापस लेने या उस पर लगान बांधने के वास्ते नालिश करे जिसकी निस्बत बतौर मुआफ़ी लगान—चाहे वज़रिये लिखे हुये अतिरण के या और तरह के—क़ब्ज़ा होना ज़ाहिर होता हो या इस ग़रज़ से नालिश करे कि उस अराज़ी का क़ाबिज़ उस मालगुज़ारी के अदा करने का ज़िम्मेदार क़रार दिया जाय जो उस अराज़ी पर लगाई गई हो ॥

अराज़ी जिस पर बतौर मुआफ़ी लगान के क़ब्ज़ा हो इस क़ाबिल होगी कि उसका क़ब्ज़ा वापस ले लिया जाय या उस पर लगान बांधा जाय या उसकी बाबत मालगुज़ारी अदा की जाय

दफ़ा १५१—कुल अराज़ी जो बतौर मुआफ़ी लगान के क़ब्ज़ा में हो वापसी के या लगान लगाने के क़ाबिल होगी या ऐसी अराज़ी का क़ाबिज़ ज़िम्मेदार अदा करने उस मालगुज़ारी का क़रार दिया जायगा जो उस अराज़ी पर लगाई गई हो सिवाय इसके कि उसका क़ाबिज़ यह साबित करे कि यह अराज़ी (२२) बाईसवीं तारीख़ दिसम्बर सन् १८०३ ई० के पहिले—

बचा रहना बाज़ अराज़ियात का जिन पर क़ब्ज़ा बतौर मुआफ़ी के हो

(क) बमूजिब फ़ैसला अदालती के बतौर मुआफ़ी लगान क़ब्ज़ा में थी-या

(ख) बतौर जोत मुआफ़ी लगान के मुआविज़ा क़ीमती के बदले हासिल की गई थी और उसकी वापसी के हक़ में दफ़ा २८ ऐक्ट १० सन् १८५६ ई० या ऐक्ट मियाद समाअत हिन्द सन् १८७१ के ज़मीमा दोम की मद १३० के मुताबिक़ तमादी हो गई थी ॥

ऐक्ट नम्बर ८ सन् १८७१ ई०

मगर शर्त यह है कि कोई अराज़ी जो बमूजिब ऐसी लिखी हुई दस्तावेज़ के क़ब्ज़ा में हो चाहे उस दस्तावेज़ की तकमील इस ऐक्ट के शुरू होने के पहिले या पीछे हुई हो जिसकी रू से मुआफ़ी देने वाले ने साफ़ २ यह इक़रार किया हो कि वह मुआफ़ी वापस न ली जायगी क़ाबिल वापसी या लगान बांधने के न होगी जब तक कि मुआफ़ी देने वाला मर न जाय या जिस रक़बा मुक़ामी के अन्दर वह मुआफ़ी हो उसके चलते बन्दोबस्त की मियाद ख़तम न हो जाय यानी इन दोनों में से जो बात पहिले हो जाय ॥

ज़ाबिता जब ज़िले में बन्दोबस्त हो रहा हो

दफ़ा १५२—(१) नालिशात मुताबिक़ दफ़ा १५० के उस सूरत में जब उस रक़बा मुक़ामी का जिसमें अराज़ी वाक़ै हो बन्दोबस्त हो रहा हो मुहतमिम बन्दोबस्त की अदालत में दायर की जायगी जिसको इख़्तियारात कलेक्टर मुताबिक़ इस बाब के हासिल होंगे ॥

(२) कोई बात जो ऐक्ट मियाद समाअत हिन्द सन् १८७७ ई० में दर्ज हो इस हक़ को न रोकेगी कि इस ऐक्ट की रू से नालिश ऐसी अराज़ी की निस्बत लगान लगाने के लिये दायर हो जाय जिस पर बतौर मुआफ़ी लगान क़ब्ज़ा हो ॥

दफ़ा १५३—(१) ऐसी नालिश में जो वास्ते वापसी क़ब्ज़ा मुआफ़ी लगान के हो अगर अदालत—सिवाय उन वजूह के जो दफ़ा १५१ में दर्ज हैं और वजूह की बिनाय पर-यह तजवीज़ करे कि वह मुआफ़ी क़ाबिल वापसी नहीं है तो अदालत को लाज़िम होगा कि मुताबिक़ दफ़ात १५६ व १५८ यह तजवीज़ करने की कार्रवाई करे कि आया अराज़ी क़ाबिल लगान बांधने के है या आया उसका क़ाबिज़ उस मालगुज़ारी के अदा करने के क़ाबिल है जो उस अराज़ी पर लगाई गई हो—

क़ाबिता वापसी क़ब्ज़ा की नालिश में

(२) ऐसी नालिश मे जो मुआफ़ी लगान पर लगान बांधने के वास्ते हो अगर अदालत—सिवाय उन वजूह के जो दफ़ा १५१ में दर्ज हैं और वजूह की बिनाय पर—यह तजवीज़ करे कि अराज़ी क़ाबिल बांधने लगान के नहीं है तो अदालत को लाज़िम होगा कि मुताबिक़ दफ़ा १५८ यह तजवीज़ करने की कार्रवाई करे कि आया उस अराज़ी का क़ाबिज़ उस मालगुज़ारी के अदा करने के क़ाबिल है जो उस अराज़ी पर लगी हुई हो ॥

दफ़ा १५४—(१) जो अराज़ी बतौर मुआफ़ी लगान क़ब्ज़ा मे हो वह सिर्फ़ उस सूरत मे क़ाबिल वापसी होगी जब मुताबिक़ अतिया की शर्तों के या उस जगह के रिवाज के उस पर क़ब्ज़ा—

अराज़ी मुआफ़ी लगान किस सूरत में क़ाबिल वापसी होगी

(क) मुआफ़ी देने वाले की ख़ुशी पर हो-या

(ख) वास्ते करने किसी ख़ास काम मज़हबी या दुनयवी के हो और मालिक उस काम को आइन्दा कराना न चाहे—या

(ग) किसी शर्त पर या किसी मियाद के वास्ते हो और वह शर्त तोड़ दी जाय या वह मियाद गुज़र जाय ॥

(२) हर नालिश वास्ते वापसी के उस तारीख़ से बारह बरस के अन्दर दायर की जायगी जिस पर कि वापस लेने का हक़ सब से पहिले पैदा हुआ है—ऐसा हक़ सब से पहिले पैदा होगा—

सूरत (क) में निस्बत उन अतियों के जो अब मौजूद हैं इस ऐक्ट के शुरू होने के वक़्त और निस्बत अतियात आइन्दा के ऐसे अतिया की तारीख़ पर ॥

सूरत (ख) में मालिक की तरफ़ से अतियादार (मुआफ़ीदार) को इस बात की लिखी हुई इत्तिलाअ होने पर कि काम करना आइन्दा नहीं चाहा जाता है—

सूरत (ग) में उस वक़्त जब शर्त तोड़ी जाय या मियाद गुज़र जाय ॥

(३) इस दफ़ा की किसी बात से मालिक को यह रोक न होगी कि ऐसी अराज़ी पर—जो इस दफ़ा के बमूजिब क़ाबिल वापसी हो उसकी वापसी के बदले—लगान बंधवाने के वास्ते नालिश दायर करे ॥

हुक्म बेदख़ली का जब अराज़ी की वापसी का हुक्म दिया जाय

दफ़ा १५५—अगर अदालत अतिया की वापसी का हुक्म दे तो उसको लाज़िम है कि उसके साथ ही उसके क़ाबिज़ की बेदख़ली के वास्ते [illegible] बपाबन्दी अहकाम दफ़आत ८३ [illegible] ८६ के होगी डिगरी दे और यह डिगरी इस तरह मुतअल्लिक़ होगी कि गोया वह क़ाबिज़ एक असामी है.

दफ़ा ११६—जो अराज़ी दफ़ा ११४ के बमूजिब क़ाबिल वापसी न हो और जिसमे दफ़ा ११८ के अहकाम मुतअल्लिक़ न हों वह क़ाबिल बांधने लगान के होगी ॥

अराज़ी मुआफ़ी लगान किस हालत में क़ाबिल बांधने लगान के होगी

दफ़ा ११७—(१) जब किसी मुआफ़ी लगान की निस्बत यह तजवीज़ किया जाय कि वह इस क़ाबिल है कि उस पर लगान बांधा जाय तो अतियादार (मुआफ़ीदार) की निस्बत समझा जायगा कि वह तारीख़ अतिया मे बहैसियत असामी रहा है और उसके हक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की क़िस्म की तजवीज़ मुताबिक़ अहकाम इस ऐक्ट के की जायगी—

हक़ क़ब्ज़ा अराज़ी की क़िस्म का और लगान का तजवीज़ किया जाना

(२) अगर अतियादार (मुआफ़ीदार) इस तरह असामी दख़ीलकार क़रार दिया जाय तो लगान की डिगरी उस परते पर जिसका रिवाज हो की जायगी जो असामियान दख़ीलकार ऐसी ही क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों के आस पास की अराज़ी की बाबत् अदा करते हों—

(३) अगर अतियादार (मुआफ़ीदार) इस तरह असामी ग़ैर दख़ीलकार क़रार दिया जाय तो लगान की डिगरी उस परते पर की जायगी जो अदालत उन लगानों का लिहाज़ कर के—जो वैसी ही क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों की आस पास की अराज़ी की बाबत् ग़ैर दख़ीलकार असामियान अदा करते हों—मुनासिब और वाजिबी तजवीज़ करे—

(४) जिस असामी ग़ैर दख़ीलकार का लगान इस तरह मुक़र्रर किया गया हो वह मुस्तहक़ इसका होगा कि उस अराज़ी पर उस लगान के परते पर सात बरस की मुद्दत तक क़ब्ज़ा रक्खे और डिगरी वही क़ुव्वत और असर रक्खेगी जैसा कि अहकाम दफ़ा ११ के बमूजिब रजिस्टरी किया हुआ पट्टा—

(५) जिस लगान की बमूजिब दफ़ा ज़िम्नी (२) या दफ़ा ज़िम्नी (३) डिगरी की जाय वह उस जूलाई की पहिली तारीख़ से जो नालिश दायर करने की तारीख़ के ठीक पीछे पड़े क़ाबिल अदा होगा ॥

किस हालत में क़ब्ज़ा अराज़ी बतौर मुआफ़ी लगान से हक़ मिल्कियत हासिल होता है

दफ़ा १५८—जो अराज़ी दफ़ा १५४ के बमूजिब क़ाबिल वापसी न हो और जिस पर बतौर मुआफ़ी लगान पचास बरस से और असल अतियादार (माफ़ीदार) के दो जानशीनों का क़ब्ज़ा रहा हो और जो अराज़ी हमेशा के लिये बग़ैर ज़ाते रहने या छोड़ दिये जाने ऐसे हक़ के जो पहिले अतियादार (मुआफ़ीदार) को हासिल था या बज़रिये लिखी हुई दस्तावेज़ के और क़ीमती मुआविज़ा देकर हासिल की गई हो उसकी निस्बत यह समझा जायगा कि उस पर क़ब्ज़ा हक़ मिल्कियत के साथ है और अदालत को लाज़िम होगा कि उस अराज़ी के क़ाबिज़ को उसका मालिक और उसकी मालगुज़ारी के अदा करने का ज़िम्मेदार क़रार दे और वह मालगुज़ारी जो उस शख़्स से क़ाबिल अदा होगी मुक़र्रर करदे ॥

बाब ११

वक़ाया मालगुज़ारी—मुनाफ़ा वग़ैरः

दफ़ा १५९—लम्बरदार को जायज़ है कि किसी हिस्सेदार पर—

नालिश वक़ाया मालगुज़ारी वग़ैरः की लम्बरदार की तरफ़ से

बाबत वक़ाया ऐसी मालगुज़ारी के जो ऐसे हिस्सेदार से लम्बरदार की मारफ़त गवर्नमेन्ट को क़ाबिल अदा हो और बाबत गांव ख़र्च और दूसरे मतालिबों के जिनके अदा करने का लम्बरदार को ऐसा हिस्सेदार ज़िम्मेदार हो—नालिश करे॥

दफ़ा १६०—जो हिस्सेदार वक़ाया मालगुज़ारी किसी दूसरे

नालिश बाबत् वक़ाया मालगुज़ारी के हिस्सेदार की तरफ़ से

हिस्सेदार की तरफ़ से जो बाक़ीदार हो अदा करे उसको जायज़ होगा कि उस हिस्सेदार पर बाबत् उस रक़म के जो इस तरह अदा की गई हो नालिश करे॥

दफ़ा १६१—माफ़ीदार या अतियादार मालगुज़ारी को जायज़

नालिश वक़ाया मालगुज़ारी माफ़ीदार वग़ैरः की तरफ़ से

है कि बाबत् ऐसी वक़ाया मालगुज़ारी के जो उसको उस हैसियत से वाजिब हो नालिश करे॥

दफ़ा १६२—तालुक़ेदार या दीगर मालिक आला को जायज़

नालिश बाबत् वक़ाया मालगुज़ारी या लगान के तालुक़ेदार वग़ैरः की तरफ़ से

है कि बाबत् वक़ाया मालगुज़ारी या लगान के जो उसको उस हैसियत से वाजिब हो नालिश करे॥

दफ़ा १६३—जबकि मुहतमिम बन्दोबस्त ने कोई तारीख़ मुक़र्रर न की हो या जबकि हिस्सेदारों के दर्मियान कोई साफ़ साफ़ इक़रारनामा न हुआ हो तो मुनाफ़े की तक़सीम उन तारीख़ों पर होगी जो लोकल गवर्नमेन्ट उन क़ायदों के ज़रिये से जो इस ऐक्ट के मुताबिक़ बनाये जांय मुक़र्रर करे॥

मुनाफ़ा कब तक़सीम होगा॥

दफ़ा १६४—(१) किसी हिस्सेदार को जायज़ है कि लम्बरदार पर बाबत् अपने हिस्सा मुनाफ़ा मय... के या उसके किसी हिस्से के नालिश करे—

नालिश बाबत् मुनाफ़े के लम्बरदार पर

(२) किसी ऐसी नालिश में अदालत को जायज़ होगा कि मुद्दई को न सिर्फ़ उस मुनाफ़े का जो अमल में तक़सीम किया गया हो हिस्सा दिलाये-बल्कि ऐसी रक़मों का हिस्सा भी दिलाये जिनकी निस्बत् मुद्दई यह साबित करे कि वह ... या बदचलनी मुद्दाअलेह के तहसील होने से रह गई॥

दफ़ा १६५—(१) किसी हिस्सेदार को जायज़ है कि दूसरे हिस्सेदार पर वास्ते ... और वास्ते अपने हिस्से ... के या उसके किसी हिस्से के नालिश ...

नालिश बाबत् मुनाफ़े के हिस्सेदार पर

(२) किसी ऐसी नालिश में मुद्दई को जायज़ है कि हिस्से... दारों की किसी तादाद पर एक साथ नालिश ... में लाज़िम होगा कि डिग्री में यह ... अलेहम में से हर एक पर उसका ...

दफ़ा १६६—इस बाब में अलफ़ाज़ "लम्बरदार" व "हिस्सेदार" व "माफ़ीदार" व "अतियादार मालगुज़ारी" व "तालुक़ेदार" व "मालिक आला" में ऐसे अशख़ास के वारिसान और क़ायम मुक़ामान क़ानूनी और वसीयत के बमूजिब इन्तिज़ाम करने वाले और तरफ़: का इन्तिज़ाम करने वाले और वह लोग जिनके हक़ में इन्तक़ाल किया जाय भी दाख़िल हैं ॥

अलफ़ाज़ "लम्बरदार" वग़ैर: में वरसाय वग़ैर: दाख़िल हैं

बाब १२

अदालतों का इख़्तियार समाअत—नालिशें और दरख़्वास्तें

दफ़ा १६७—माल की अदालतें उस क़िस्म की कुल नालिशों और दरख़्वास्तों को जिनकी सराहत चौथी फ़ेहरिस्त में हुई है सुनेंगी और तजवीज़ करेंगी—और सिवाय बतौर अपील के जिस तरह कि इस ऐक्ट में आगे हुक्म है कोई अदालत जो अदालत माल न हो किसी ऐसे झगड़े या मामले को न सुनेगी जिसकी निस्बत कोई ऐसी नालिश या दरख़्वास्त दायर या पेश की जा सक्ती हो ॥

नालिशें और दरख़्वास्तें सिर्फ़ अदालत हाय माल के क़ाबिल समाअत होंगी

दफ़ा १६८—इस ऐक्ट के हुक्मों की पाबन्दी के साथ—ऐक्ट मियाद समाअत हिन्द सन् १८७७ ई० के अहकाम उस ऐक्ट की दफ़ात (७) व (८) व (६) व (१६) व (२०) व (२१) को छोड़ कर—कुल नालिशों और दूसरी कार्रवाइयों से जो इस ऐक्ट के मुताबिक़ हो मुतअल्लिक़ होंगे ॥

मुतअल्लिक़ किया जाना ऐक्ट मियाद समाअत का

मियाद समाअत मुक़द्दमात हस्ब ऐक्ट हाज़ा में

दफ़ा १६९—नालिशें और दूसरी कार्रवाइयां जिनकी सराहत चौथी फ़ेहरिस्त में की गई है उस मियाद के अन्दर दायर होंगी जो उनके वास्ते अलग अलग उस फ़ेहरिस्त में मुक़र्रर की गई है—

ऐक्ट नम्बर ७ सन् १८७० ई०

रसूम अदालत जो नालिशों और दरख़ास्तों की बावत् वाजिबउल अदा होगी

दफ़ा १७०—ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ईसवी के कामों के लिये उस रसूम की तादाद जो उन नालिशों और दूसरी कार्रवाइयों में जिन की सराहत चौथी फ़ेहरिस्त में की गई है अदा होनी चाहिये हिसाब में उसी तरह लगाई जायगी जिस तरह उस फ़ेहरिस्त के छठे ख़ाने में सराहत है ॥

अदालतों के दर्जे

इख़्तियारात असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः दोम

दफ़ा १७१—असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः दोम को उन कुल नालिशों के फ़ैसला करने का इख़्तियार होगा जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (क) में दाख़िल हैं और जिनमें मालियत उस शै की जिस पर झगड़ा है एक सौ रुपये से ज़ियादा न हो—और उन कुल दरख़ास्तों के फ़ैसला करने का इख़्तियार होगा जो उस फ़ेहरिस्त की जमाअत (च) में दाख़िल हैं—सिवाय उस दरख़ास्त के जो मुताबिक़ दफ़ा ६४ के हो ॥

इख़्तियारात असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल

दफ़ा १७२—असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल को उन कुल नालिशों और दरख़ास्तों के फ़ैसला करने का इख़्तियार होगा जो चौथी फ़ेहरिस्त में दर्ज हैं—

मगर शर्त यह है कि किसी असिस्टेन्ट कलेक्टर को यह इख़्तियार न होगा कि नालिशें मुताबिक़ दफ़ात (४०) व (४२) व (४३) व (४८) की तजवीज़ करे सिवाय इसके कि उसको लोकल गवर्नमेन्ट ने इस बारह में इख़्तियार दिया हो ॥

दफ़ा १०३—कलेक्टर को वह कुल इख़्तियारात हासिल होंगे जो इस ऐक्ट की रू से असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल और कलेक्टर को दिये गये हैं ॥

इख़्तियारात कलेक्टर

दफ़ा १०४—चाहे कुछहो दफ़ा १५ मजमूरे ज़ाबिता दीवानी में दर्ज हो—

अदालतें जिन में कार्रवाइयां दायर की जांयगी

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(क) कुल नालिशें जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (क) में दाख़िल हैं और जिनमें मालियत उस शै की जिस पर झगड़ा है एक सौ रुपये से ज़ियादा न हो और कुल दरख़्वास्तें जो उस फ़ेहरिस्त की जमाअत (घ) में दाखिल हैं उन सूरतों को छोड़ कर जिनका दफ़ा (५९) व दफ़ा (६४) में हुक्म है—अदालत तहसीलदार में दाख़िल की जांयगी—

(ख) कुल नालिशें जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (क) में दाख़िल हैं और जिनमें मालियत उस शै की जिस पर झगड़ा है एक सौ रुपये से ज़ियादा हो और कुल नालिशें जो उस फ़ेहरिस्त की जमाअत (ख) व जमाअत (ग) में दाख़िल हैं और कुल दरख़्वास्तें मुताबिक़ दफ़ा (६४)—अदालत असिस्टेन्ट कलेक्टर, मुहतमिम हिस्सा ज़िला में, दाख़िल की जांयगी—मगर शर्त

यह है कि अगर कोई असिस्टेन्ट कलेक्टर हिस्सा ज़िला न हो तो कुल ऐसी नालिशें अदालत कलेक्टर में दाख़िल की जायगी ॥

अदालतों का अपील सुनने का इख़्तियार

दफ़ा १०५—कोई अपील बनाराज़ी ऐसी डिगरी या हुक्म के जो किसी अदालत ने मुताबिक़ इस ऐक्ट के दी हो या दिया हो दायर न हो सकेगा मगर उस तरह जिस तरह कि आगे इस ऐक्ट में हुक्म है ॥

अपील उस तौर पर होना चाहिये जिसकी इस ऐक्ट में इजाज़त है

अपील बनाराज़ी (डिगरियात या अहकाम) असिस्टेन्ट कलेक्टरान दर्जः दोम

दफ़ा १०६—नीचे लिखी हुई सूरतों में अपील असिस्टेन्ट कलेक्टर दरजः दोम की डिगरी या हुक्म की नाराज़ी से बहुज़ूर कलेक्टर दायर हो सकेगा—

अपील बनाराज़ी डिगरियात या अहकाम असिस्टेन्ट कलेक्टरान दर्जः दोम

(क) ऐसी डिगरी की नाराज़ी से जो उन नालिशों में से जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (क) में दाख़िल हैं किसी नालिश में दी गई हो—

(ख) किसी ऐसे हुक्म की नाराज़ी से जो उन दरख़ास्तों में से जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (घ) में दाख़िल हैं किसी दरख़ास्त पर दिया गया हो—

(ग) किसी हुक्म की नाराज़ी से जो किसी नालिश या दरख़ास्त की तजवीज़ से तअल्लुक़ रखता हो ॥

अपील बनाराज़ी (डिगरियात या अहकाम) असिस्टेन्ट कलेक्टरान दरजः अव्वल

अपील बअदालत जज ज़िला व अदालत हाईकोर्ट

दफ़ा १००—असिस्टन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल की ऐसी डिगरी के नाराज़ी से अपील बहुज़ूर जज ज़िला दायर हो सकेगा—यानी—

इन नालिशों में से जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (क) और जमाअत (ख) में दाख़िल हैं किसी ऐसी नालिश में जिसमें—

(क) तादाद या मालियत उस शै की जिस पर झगड़ा है एक सौ रुपये से ज़ियादा हो—या

(ख) उस लगान पर जो किसी असामी से सालाना क़ाबिल अदा हो अदालत इब्तिदाई में तनाज़ा रहा हो और अपील में भी उस पर तनाज़ा हो-या

(ग) लगान की तादाद पर जो कई हिस्सेदारान में से एक या ज़ियादा हिस्सेदारान को अलग अलग क़ाबिल अदा है अदालत इब्तिदाई में तनाज़ा रहा हो और अपील में भी उस पर तनाज़ा हो—

और किसी ऐसी नालिश में जो मुताबिक़ दफ़ात (१५९) और (१६०) और (१६१) और (१६२) और (१६४) और (१६५) हो और जिसमें—

(घ) तादाद मालगुज़ारी पर जो सालाना क़ाबिल अदा हो अदालत इब्तिदाई में तनाज़ा रहा हो और अदालत अपील में भी उस पर तनाज़ा हो—

और कुल ऐसी नालिशों में जिनमें—

(ङ) बहस इस्तहक़ाक़ मिल्कियत पर अदालत इब्तिदाई में तनाज़ा रहा हो—और अपील में भी उस पर तनाज़ा हो—या—

(च) बहस इख़्तियार समाअत का फ़ैसला किया गया हो—

मगर शर्त यह है कि जब नालिश में उस शै की तादाद या मालियत जिस पर झगड़ा हो पांच हज़ार रुपये से ज़ियादा हो तो अपील बहज़ूर हाईकोर्ट हो सकेगा ॥

अपील बहज़ूर बोर्ड

दफ़ा १७८—असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल के हुक्म की नाराज़ी से मुताबिक़ दफ़ा (५२) के अपील बहज़ूर बोर्ड दायर हो सकेगा ॥

अपील बहज़ूर कमिश्नर

दफ़ा १७९—असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल की ऐसी डिगरी की नाराज़ी से जो उन नालिशों में से जो चौथी फ़ेहरिस्त की जमाअत (ग) में दाख़िल हैं किसी नालिश में दी गई हो—और ऐसे हुक्म की नाराज़ी से जिसकी रू से कोई दरख़्वास्त मुताबिक़ दफ़ा (५८) नामंज़ूर की गई हो या मुताबिक़ दफ़ा (६१) ज़ियादा वक़्त दिया गया हो अपील बहज़ूर कमिश्नर दायर हो सकेगा ॥

अपील बनाराज़ी (डिगरियात व अहकाम) कलेक्टरान

अपील बनाराज़ी डिगरियात व अहकाम कलेक्टर

दफ़ा १८०—(१) कलेक्टर की डिगरी या हुक्म इब्तिदाई से अपील उसी तरीक़े से और उन्हीं शर्तों के बमूजिब हो सकेगा जिस तरीक़े से और जिन शर्तों के बमूजिब असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः अव्वल की डिगरी या हुक्म की नाराज़ी से (अपील हो सकता है)—

(२) कलेक्टर को ऐसी डिगरी बसीग़े अपील से अपील व अदालत जज ज़िला दायर हो सकेगा जो उन नालिशों में से जो ऐसी फ़ेहरिस्त की जमाअत (क) में दाख़िल हैं किसी नालिश में दीगई हो और जिसमें—

(क) वहस इस्तहक़ाक़ मिल्कियत पर अपील अव्वल की अदालत में झगड़ा रहा हो और अपील में भी उस पर झगड़ा हो—या

(ख) वहस इख़्तियार समाअत का फ़ैसला किया गया हो॥

अपील बनाराज़ी (डिगरियात) कमिश्नरान

दफ़ा १८१—कमिश्नर की किसी ऐसी डिगरी के ख़िलाफ़ जो किसी ऐसे मुक़द्दमा में दी गई हो जिसमें उसने उस डिगरी को जिसके ख़िलाफ़ अपील हुआ हो—ख़र्चा के सिवाय और तौर पर मन्सूख़ या तरमीम कर दिया हो—दूसरा अपील व हज़ूर बोर्ड उन वजूह में से जो दफ़ा (५८४) मजमूआ ज़ाबिता दीवानी में दर्ज हैं किसी वजह की बिनाय पर दायर हो सकेगा—

अपील बनाराज़ी डिगरियात कमिश्नर

अपील बनाराज़ी (डिगरियात)

साहिबान जज ज़िला के

दफ़ा १८२—अपील को डिगरी की नाराज़ी से जो जज ज़िला ने दी हो दूसरा अपील व हज़ूर हाईकोर्ट मुताबिक़ अहकाम बाब (४२) मजमूआ ज़ाबिता दीवानी के दायर हो सकेगा॥

अपील बनाराज़ी डिगरियात जज ज़िला के

नज़रसानी

दफ़ा १८३—बोर्ड को जायज़ है कि किसी फ़रीक़ मुक़द्दमा को दरख़्वास्त पर किसी ऐसे डिगरी या हुक्म को जो उसने खुद या उस के किसी एक मेम्बर ने दी हो या दिया हो नज़रसानी करे और जायज़ है कि उसको मन्सूख़ या तबदील करे या बहाल रक्खे ॥

बोर्ड का नज़रसानी करना

दफ़ा १८४—हर दूसरी अदालत को इख़्तियार होगा कि अपनी तजवीज़ की नज़रसानी मजमूआ ज़ाबिता दीवानी के बाब (४७) के हुक्मों के बमूजिब करे ॥

दीगर अदालतों का नज़रसानी करना

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

दफ़ा १८५—बोर्ड को जाइज़ है कि किसी फ़रीक़ मुक़द्दमा की दरख़्वास्त पर या रपोर्ट की बिनाय पर जो की गई हो या अपने ही इख़्तियार से सिवाय ऐसी नालिश के जिसमें डिगरी दफ़ा (१७७) के बमूजिब क़ाबिल अपील हो—किसी और ऐसे मुक़द्दमे की मिसिल तलब करे जो किसी मातहत अदालत माल के रूबरू पेश हुआ हो जिसमें यह मालूम होता हो कि अदालत ने ऐसा इख़्तियार समाअत बरता है जो उस को क़ानून की रू से नहीं दिया गया है या ऐसा इख़्तियार समाअत बरतने में क़ासिर रही है जो उसको क़ानून की रू से दिया गया है या उसने अपने इख़्तियार समाअत के बरतने में क़ानून के ख़िलाफ़ या भारी बेज़ाब्तगी से काम किया है—और बोर्ड को जायज़ है कि उस पर ऐसा हुक्म दे जो वह मुनासिब समझे ॥

बोर्ड का इख़्तियार निसबत तलब करने मुक़द्दमात के

मुक़द्दमात का मुन्तक़िल किया जाना

दफ़ा १८६—मजमूआ ज़ाबिता दीवानी की दफ़ा (२२) उन अपीलों के-जिनका इस ऐक्ट में हुक्म है—सिर्फ़ ऐसे इन्तक़ाल से मुतअल्लिक़ होगी जो इन्तक़ाल हाईकोर्ट एक जज ज़िला की अदालत से दूसरे जज ज़िला की अदालत में करे ॥

हाईकोर्ट का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

दफ़ा १८७—बोर्ड को जायज़ है कि काफ़ी वजह ज़ाहिर किये जाने पर किसी नालिश या दरख़्वास्त या अपील को या किसी क़िस्म की नालिशों या दरख़्वास्तों या अपीलों को किसी अदालत माल से किसी और अदालत माल में जो उसको या उनकी निस्बत कारखाई करने का इख़्तियार रखती हो मुन्तक़िल करदे ॥

बोर्ड का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना

दफ़ा १८८—कमिश्नर को जायज़ है कि अपनी क़िस्मत की हुदूद के अन्दर वही इख़्तियारात बरते जो बोर्ड ठीक पिछली दफ़ा के बमूजिब बरत सकता है ॥

कमिश्नर का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना

दफ़ा १८६—(१) कमिश्नर को जायज़ है कि लोकल गवर्नमेन्ट की मंज़ूरी पहिले हासिल करके किसी अपील को या किसी क़िस्म के अपीलों को जो उसके रूबरू दायर हो या हों अपनी क़िस्मत के अन्दर किसी कलेक्टर के पास मुन्तक़िल करदे ॥

कमिश्नर का अपीलों को कलेक्टर के पास मुन्तक़िल कर देना

(२) जो हुक्म कलेक्टर ऐसी अपील पर सादिर करे जिसको उसके पास कमिश्नर ने बमूजिब दफ़ा ज़िम्नी (१) के मुन्तक़िल किया हो वह क़ाबिल अपील व निगरानी उसी तरह होगा कि गोया उसको कमिश्नर ने सादिर किया था ॥

(३) लोकल गवर्नमेन्ट को जायज़ है कि बज़रिये हुक्म के किसी अपील या किसी क़िस्म के अपीलों को जो बमूजिब दफ़ा ज़िम्नी (१) किसी कलेक्टर के पास मुन्तक़िल किया गया या किये गये हों वापस मंगाले और उसको या उनको फ़ैसले के वास्ते कमिश्नर को सुपुर्द करे ॥

कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर का मुक़द्दमात को मुन्तक़िल करना

दफ़ा १९०—कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर मुहतमिम हिस्सा ज़िला को जायज़ है कि किसी मुक़द्दमा या मुक़द्दमों की क़िस्म को जो उसके रूबरू दायर हो या हों किसी अदालत मातहत में जो उसकी निस्बत कारवाई करने का इख़्तियार रखती हो मुन्तक़िल करदे ॥

कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर का मुक़द्दमात को उठा मंगाना

दफ़ा १९१—कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर मुहतमिम हिस्सा ज़िला को जायज़ है कि किसी मुक़द्दमा या मुक़द्दमों की क़िस्म को अपनी मातहत किसी अदालत से उठा मंगाये और जायज़ है कि उस मुक़द्दमा या मुक़द्दमों की क़िस्म की ख़ुद तजवीज़ करे या उसको फ़ैसला के वास्ते किसी और अदालत मातहत को मुन्तक़िल करे जो उसकी निस्बत काररवाई करने का इख़्तियार रखती हो ॥

बाब १३

ज़ाबिता

दफ़ा १९२—(१) बोर्ड को जायज़ है कि इस ऐक्ट के मुताबिक़ मुक़द्दमा के फ़ैसला के लिये ममालिक मग़रबी व शिमाली में किसी ज़िला के सदर मुक़ाम में इजलास करे ॥

अदालत हाय माल का मुक़ाम इजलास

(२) हर दूसरी अदालत माल वास्ते फ़ैसला ऐसे मुक़द्दमात के उस तौर पर इजलास करेगी जिसकी निस्बत ऐक्ट मालगुज़ारी ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध सन् १९०१ ई० की दफ़ा (१०६) में हुक्म है ॥

ऐक्ट नम्बर (३) सन् १९०१ ई०

दफ़ा १९३—मजमूआ ज़ाबिता दीवानी के अहकाम इस ऐक्ट की कुल नालिशों और दूसरी कार्रवाइयों के ज़ाबिता से उस हद्द तक जहां तक कि वह अहकाम इस ऐक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं और नीचे लिखी हुई तबदीलियों और इज़ाफ़ों की पाबन्दी के साथ मुतअल्लिक़ होंगे—

मजमूआ ज़ाबिता दीवानी का मुतअल्लिक़ किया जाना

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(क) दफ़ा (२६६) की दूसरी शर्त का फ़िक़रा (क) और दफ़ात (३२०) से (३२६) तक (जिसमें दोनों शामिल हैं) और बाब २० और दफ़ा ६०० और बाबहाय २६ व ३३ व ३६ व ४० व ४३ व ४४ मजमूआ ज़ाबिता दीवानी के किसी ऐसी नालिश या कार्रवाई से मुतअल्लिक़ न होंगे ॥

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

और दफ़ा २५ उस मजमूआ की सिर्फ़ उस हद्द तक मुतअल्लिक़ होगी जिसकी सराहत इस ऐक्ट की दफ़ा १८६ में है—

(ख) जायज़ है कि दफ़ात ८५ व १०५ व १११ व ११० व १२६ की दरख़्वास्तों को यकतरफ़ा फ़ैसला किया जाय—

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(ग) उस मजमूआ के फ़िक़रात (क) व (ग) दफ़ा ३० में बजाय अलफ़ाज़ "सकूनत न रखते हों" के यह अलफ़ाज़ क़ायम किये जायंगे—"चाहे सकूनत रखते हों या न रखते हों"—

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(घ) अलावा उन तफ़सीलों (मरातिब) के जिनका हुक्म उस मजमूआ की दफ़ा ५० में है अर्ज़ीदावो में नाम उस मौज़ा या महाल का और उस परगना या और हिस्सा मुक़ामी का जिसके अन्दर वह अराज़ी हो जिससे ऐसी नालिश या और कार्रवाई तअल्लुक़ रखती हो दर्ज होना लाज़िम है और (सिवाय उस सूरत के कि अराज़ी मुतअल्लिक़: की और तरह काफ़ी तफ़सील ज़ाहिर की जा सके) हर खेत का नम्बर मुताबिक़ पैमायश गवर्नमेन्ट के दर्ज होना लाज़िम है—और अगर नालिश बक़ाया लगान के वास्ते हो तो लाज़िम होगा कि अर्ज़ी दावी में एक तफ़सील हिसाब की दर्ज हो-जिससे सालाना मतालिबा बाबत् हर ऐसी मुद्दत के जिस से नालिश मुतअल्लिक़ हो और तादाद जो वसूल हुई हो—अगर कुछ हो—और वह तादाद जिसके दिलापाने का दावी किया जाय ज़ाहिर हो—

और अगर नालिश वास्ते बेदख़ली असामी के हो तो लाज़िम होगा कि अर्ज़ी दावी में वह वजह या वजूह दर्ज की जायें जिन की बिनाय पर बेदख़ली की नालिश की जाय—

(ङ) इस ऐक्ट् की कुल नालिशों में समन बनाम मुद्दाअलेह वास्ते अख़ीर फ़ैसला नालिश के होगा सिवाय उस सूरत के कि अदालत की यह राय हो कि समन सिर्फ़ वास्ते क़रार पाने अमूर तनक़ीह तलब के होना चाहिये—

(च) जायज़ है कि किसी समन या इत्तिलानामा को तामील अगर लोकल गवर्नमेन्ट बज़रिये क़ायदा के चाहे आम तौर पर या किसी रक़बा मुक़ामी के वास्ते ख़ास तौर पर ऐसी हिदायत करे—अलावा या बजाय किसी और तरीक़ा तामील के इस तरह को जाय कि वह समन या इत्तिलानामा बज़रिये डाक ऐसे लिफ़ाफ़े में जिसकी रजिस्टरी हिन्द के सीग़ा डाकख़ाना के ऐक्ट् सन् १८६८ के बमूजिब की गई हो रवाना कर दिया जाय—और जब कोई समन या इत्तिलानामा इस तरह रवाना किया गया हो और यह साबित किया जाय कि लिफ़ाफ़ः ज़ाबिता के मुताबिक़ रजिस्टरी करा कर बज़रिये डाक रवाना किया गया था तो अदालत को यह क़यास कर लेना जायज़ है कि उस समन या इत्तिलानामा की हस्ब ज़ाबिता तामील करदी गई—

ऐक्ट् नम्बर ६ सन् १८६८ ई०

(छ) मुताबिक़ इस ऐक्ट् के किसी नालिश में कोई रक़म मुजरा नहीं दिलाई जायगी सिवाय ऐसी रक़म के जो मुद्दाअलेह को बाबत ऐसी डिगरी के पानी हो

जो अदा न हुई हो और जो इस ऐक्ट के बमूजिब या किसी ऐसे ऐक्ट या क़ानून के बमूजिब जो इस ऐक्ट की रू से मनसूख़ किया गया दी गई हो—

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(ज) बाद जुमला (२) दफ़ा २०६ उस मजमूआ के नीचे लिखे हुए अलफ़ाज़ दाख़िल किये जांयगे—"अगर डिगरी बक़ाया लगान की बाबत हो तो लाज़िम होगा कि उसमें वह तादाद रुपये की भी (सूद मिला कर) दर्ज की जाय जो बाबत हर ऐसे साल ज़िरा-अती के पानी हो जिसकी निस्बत दादरसी की गई हो" ॥

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(झ) चाहें कोई बात उस मजमूए की दफ़ा २३२ में दर्ज हो लाज़िम है कि दरख़ास्त इजराय डिगरी उस डिगरी का कोई इन्तक़ाल लेने वाला न करे सिवाय उस सूरत के कि इन्तक़ाल करने वाले का इस्तेहक़ाक़ उस अराज़ी में जिससे वह मुतअल्लिक़ हो ऐसे इन्तक़ाल लेने वाले को हासिल हो गया हो और (उस वक़्त) हासिल हो—

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

(ञ) उन चीज़ों में जो उस मजमूए की दफ़ा २६६ के मुताबिक़ कुर्क़ी या नीलाम के क़ाबिल नहीं हैं यह बढ़ाया जायगा—"खाद (पांस) जो किसी किसान ने इकट्ठी कर रक्खी हो"—

(ट) ऐसे खड़े हुए दरख़्त जिनकी लकड़ी इमारत और उसी क़िस्म के दूसरे कामों में इस्तेमाल होती हो या उगी हुई फ़सल या और ज़मीन की पैदावार उसी तरह बइल्लत इजराय डिगरी कुर्क़ और नीलाम की जा

सकती है जिस तरह कि जायदाद मनकूला और अगर कुर्क की हुई-जायदाद उगी हुई फ़सल या और पैदावार ज़मीन की हो तो मदयून डिगरी और डिगरीदार को वही हुकूक़ निस्बत उस की हिफ़ाज़त करने और उसके जमा करने और भरने के हासिल होंगे जो तरतीबवार काश्तकार और कुर्की करने वाले को मुताबिक़ दफ़ा १२४ उस हालत में होते कि उस फ़सल या पैदावार की बाबत् बक़ाया लगान के कुर्की बख़्तियारी की जाती—

(ठ) अगर वह जायदाद जिस पर डिगरी के जारी किये जाने की दरख़्वास्त की जाय कोई महाल या महाल का हिस्सा हो या किसी हक़दार क़ब्ज़ा मुस्तक़िल की जोत हो तो डिगरी कलेक्टर के पास भेजी जायगी और कलेक्टर को लाज़िम होगा कि उसका उसी तरह इजराय करे कि गोया वह ख़ुद उसी की अदालत की डिगरी थी—

(ड) चाहे कोई बात उस मजमुए की दफ़ा ३४१ में दर्ज हो अगर मदयून डिगरी जेलख़ाने से छोड़ दिया गया हो और वह रक़म जो बमूजिब डिगरी के वाजिब हो एक सौ रुपये से ज़ियादा न हो तो अदालत को जायज़ है कि उसको उस डिगरी की आयन्दा ज़िम्मेदारी से बरी कर दे और बाद इस हुक्म के वह ज़िम्मेदारी जारी रहेगी॥

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

दफ़ा १६४—(१) जिस हालत में कि किसी हक़ या इस्तहक़ाक़ या मराफ़िक़ में दो या ज़ियादा हिस्सेदार हों तो लाज़िम होगा कि वह कुल बातें जिनके करने का हुक्म या इजाज़त हक़्क़ वग़ैरः मज़कूर के क़ाबिज़ को है वह लोग मिल कर करें सिवाय उस सूरत के कि उन्होंने कोई कारिन्दा अपने सब की तरफ़ से कार्रवाई करने के वास्ते मुक़र्रर किया हो ॥

नालिशें वग़ैरः बिला बटी जायदाद के हिस्सेदारों की तरफ़ से

(२) दफ़ा ज़िमनी (१) की किसी बात से किसी ऐसे रिवाज मुक़ामी या ख़ास मुआहिदा पर असर न पहुंचेगा जिसके मुताबिक़ कोई हिस्सेदार बिला बटी हुई जायदाद का इस अमर का मुस्तहक़ हो कि उस लगान में से जो किसी असामी से क़ाबिल अदा हो अपना हिस्सा अलेहदा पाये ॥

(३) जब दो या ज़ियादा हिस्सेदारों में से एक हिस्सेदार अकेला नालिश करने का मुस्तहक़ न हो और बाक़ी हिस्सेदार ऐसी नालिश में जो ऐसी रक़म की बाबत् हों जो उन सब को मिलकर क़ाबिल वसूल हो बतौर मुद्दइयान शामिल होने से इन्कार करें तो ऐसे हिस्सेदार को जायज़ है कि उस रक़म में से अपने हिस्से की बाबत् अलेहदा नालिश करे और बाक़ी हिस्सेदारों को मुद्दाअलेहुम की जमाअत में शामिल करे ॥

बाब १४

इख़्तियार समाअत का तनाज़ा और बहसें निस्बत इस्तहक़ाक़ (मिल्कियत) के

इख़्तियार समाअत का तनाज़ा

दफ़ा १२५—(१) अगर किसी ऐसी नालिश या दरख़्वास्त या अपील में जो किसी अदालत दीवानी या माल में दाख़िल की गई हो अदालत को यह शुबहा हो कि आया नालिश या दरख़्वास्त या अपील मज़कूर अदालत दीवानी में दाख़िल होनी चाहिये या अदालत माल में तो अदालत को जायज़ है कि मिसिल मुक़द्दमा को मय बयान उन वजूह के जिनकी बिनाय पर अदालत मज़कूर को यह शुबहा पैदा हुआ हो हाईकोर्ट के हुज़ूर में इरसाल करे ॥

बहस मुतअल्लिक़े इख़्तियार समाअत की निस्बत हाईकोर्ट से इस्तिसवाब का इख़्तियार

(२) अगर वह अदालत माल मातहत कलेक्टर के हो तो कोई ऐसा इस्तिसवाब सिवाय मंज़ूरी कलेक्टर के जो पहिले हासिल कर ली जायगी नहीं किया जायगा ॥

(३) किसी ऐसे इस्तिसवाब के किये जाने पर हाईकोर्ट को जायज़ है कि अदालत को या तो यह हुक्म दे कि यह उस मुक़द्दमे की कार्रवाई शुरू करे या (यह हुक्म दे) कि वह अर्ज़ीदावा या दरख़्वास्त या अपील को इस ग़रज़ से वापस कर दे कि वह ऐसी दूसरी अदालत में पेश की जाय जिसकी निस्बत हाईकोर्ट यह क़रार दे कि उसको उसकी तजवीज़ करने का

(४) हाईकोर्ट का हुक्म जो किसी ऐसे इस्तिसवाब पर हो क़तई होगा ॥

निसबत इस उज़्र के अपील में कि नालिश ऐसी अदालत में दायर की गई जिसमें उसका दायर होना न चाहिये था

दफ़ा १६६—जिस सूरत में कि किसी ऐसी नालिश का जो अदालत दीवानी या माल में दायर की जाय अपील जज ज़िला या हाईकोर्ट के हुज़ूर में हो सकता हो तो (उसकी निसबत) अदालत अपील इस उज़्र को न सुनेगी कि नालिश ऐसी अदालत में दायर की गई जिसमें उसका दायर होना न चाहिये था सिवाय उस हाल में कि वह उज़्र अदालत इब्तिदाई में पेशकर दिया गया हो बल्कि अदालत अपील फ़ैसला उस अपील का उसी तरह पर करेगी कि गोया वह नालिश ऐसी अदालत में दायर की गई थी जिसमें उसका दायर होना चाहिये था ॥

ज़ाबिता जब ऐसा उज़्र अदालत इब्तिदाई में पेश किया गया हो

दफ़ा १६७—(१) अगर किसी ऐसी नालिश में ऐसा उज़्र अदालत इब्तिदाई में पेश किया गया हो लेकिन अदालत अपील के सामने तमाम मवाद ज़रूरी वास्ते फ़ैसला करने नालिश के मौजूद हो तो अदालत अपील अपील को इस तरह फ़ैसल करेगी कि गोया वह नालिश ऐसी अदालत में दायर की गई थी जिसमें उसका दायर होना चाहिये था ॥

(२) अगर अदालत अपील के सामने तमाम ऐसा मवाद मौजूद न हो और वह मुक़द्दमा को वापस करे या अमूर तनक़ीह तलब क़ायम करके वास्ते तजवीज़ के भेजे या ज़ियादा शहादत

लेने की हिदायत करे तो उसे जायज़ है कि अपना हुक्म या तो उस अदालत के नाम जारी करे जिसमें नालिश दायर की गई थी या उस अदालत के नाम जारी करे जिसको वह उस मुक़द्दमा को तजवीज़ करने की मजाज़ क़रार दे ॥

(३) अपील में या और तरह पर कोई उज़्र निस्बत किसी ऐसे हुक्म के इस वजह की बिनाय पर पेश या पैदा न किया जायगा कि वह हुक्म ऐसी अदालत के नाम जारी किया गया है जो उस नालिश को तजवीज़ करने की मजाज़ नहीं है ॥

इस्तेहक़ाक़ मिल्कियत की बहसें अदालत माल में

ज़ाबिता जब असामी यह उज़्र करे कि मुद्दई उसका ज़मींदार नहीं है

दफ़ा १८८—(१)—जब किसी ऐसी नालिश में जो मुताबिक़ इस ऐक्ट के किसी असामी पर हो मुद्दाअलेह यह उज़्र कि मुद्दई के और उसके दर्मियान तअल्लुक़ ज़मींदार और असामी का नहीं है—इस बिनाय पर करे कि वह असल में और नेक नीयती से अपनी जोत का लगान किसी तीसरे शख़्स को अदा करता है—

तो ऐसे तीसरे शख़्स को उस लगान के अदा किये जाने की बहस की तहक़ीक़ात की जायगी और अगर वह बहस मुद्दाअलेह के मुआफ़िक़ फ़ैसल हो तो नालिश डिसमिस कर दी जायगी ॥

(२) अदालत के उस फ़ैसला से जो ऐसी बहस की निस्बत होगा किसी ऐसे शख़्स के जो उस जोत का लगान पाने का मुस्तहक़ हो इस हक़ पर कुछ असर न पहुंचेगा कि अपने इस्तेहक़ाक़ को बज़रिये नालिश अदालत दीवानी के साबित करे ॥

ज़ाबिता जब मुद्दा-अलेह यह उज़्र करे कि वह असामी नहीं है

दफ़ा १९९—(१)—अगर किसी ऐसी नालिश या दरख़्वास्त में जो अदालत माल में ऐसे शख़्स के ख़िलाफ़ दाख़िल की जाय जिसकी निस्बत यह बयान किया जाय कि वह मुद्दई का असामी है मुद्दाअलेह यह उज़्र करे कि वह असामी नहीं है बल्कि अराज़ी में हक़ मिल्कियत रखता है और इस इस्तहक़ाक़ की बहस का फ़ैसला पहिले से बहुक्म अदालत मजाज़ न हो चुका हो-तो अदालत को जायज़ है कि याती—

(क) बज़रिये हुक्म तहरीरी के मुद्दाअलेह को यह हिदायत करे कि तीन महीने के अन्दर अदालत दीवानी में नालिश वास्ते फ़ैसला उस इस्तेहक़ाक़ की बहस के दायर करे—या

(ख) उस इस्तहक़ाक़ की बहस का फ़ैसला ख़ुद करदे ॥

(२) जब मुताबिक़ फ़िक़रा (क) दफ़ा ज़िम्नी (१) कोई हुक्म दिया जाय—तो अगर मुद्दाअलेह उस हुक्म की तामील न करे तो अदालत को लाज़िम है कि उस इस्तेहक़ाक़ की बहस का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ करदे—अगर मुद्दाअलेह बतामील हुक्म मज़कूर नालिश दायर करदे तो अदालत माल को लाज़िम होगा कि उस नालिश या दरख़्वास्त का फ़ैसला जो उसके रूबरू ज़ेर तजवीज़ हो उस फ़ैसला आख़ीर के मुताबिक़ करदे जो उस इस्तेहक़ाक़ की बहस की निस्बत अदालत दीवानी ने बसीग़ै इब्तिदाई या अपील—या जैसी कि सूरत हो—किया हो—

(३) अगर अदालत माल यह तै करे कि वह ख़ुद उस इस्तहक़ाक़ की बहस का फ़ैसला करेगी तो उस अदालत को लाज़िम

होगा कि उस ज़ाबिता के मुताबिक़ अमल करे जो मजमूआ ज़ाबिता दीवानी में वास्ते नालिशों की तजवीज़ के मुक़र्रर किया गया है—चाहे कोई बात इस ऐक्ट की दफ़ा १६३ में दर्ज हो कुल अ-हकाम उस मजमूए के ऐसे इस्तहक़ाक़ की तजवीज़ से मुतअ-ल्लिक़ होंगे ॥

ऐक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०

दफ़ा २००—अगर किसी ऐसे इस्तहक़ाक़ की बहस का फ़ैसला अदालत माल ने किया हो और अपील में बअदालत जज ज़िला या हाईकोर्ट उसपर झगड़ा हो और उस अदालत अपील के सामने वह कुल मवाद मौजूद न हो जो वास्ते फ़ैसला उस इ-स्तहक़ाक़ की बहस के ज़रूरी हो—तो अदालत मज़कूर को जायज़ है कि या तो

ज़ाबिता ऐसे मुक़द्दमे की अपील में

(क) उस मुक़द्दमे को अदालत माल में वापस करदे—या

(ख) उस इस्तहक़ाक़ की बहस की निस्बत अमूर तनक़ीह तलब क़ायम करके उनको वास्ते तजवीज़ के किसी ऐसी मातहत अदालत दीवानी में भेज दे—जिसको (उनकी समाअत का) इख़्तियार हो ॥

दफ़ा २०१—(१) अगर किसी ऐसी नालिश में जो मुताबिक़ अहकाम बाब ११ दायर की जाय मुद्दई काग़ज़ात सरकारी में ऐसी हैसियत से दर्ज नहीं कि उसको ऐसा हक़ मिल्कियत हासिल है जिस से वह मुस्तहक़ ऐसी नालिश दायर करने का है और मुद्दाअ-लेह यह उज़्र करे कि मुद्दई को ऐसा हक़ मिल्कियत हासिल

ज़ाबिता जब मुद्दई के इस्तहक़ाक़ से ना-लिश हस्ब बाब ११ में इन्कार किया गया हो

नहीं है तो अदालत को लाज़िम होगा कि ज़रूरी तबदीलियों के साथ मुताबिक़ हुक्म दफ़ा १९९ के कार्रवाई करे--

मगर शर्त यह है कि अगर अदालत उस ज़ाबिता को इख़्तियार करे जिसकी इजाज़त उस दफ़ा के फ़िक़रा (क) दफ़ा ज़िम्नी (१) में दीगई है तो मुद्दई वह फ़रीक़ होगा जिसको अदालत दीवानी में नालिश करने की हिदायत की जायगी--

(२) अहकाम दफ़ा २०० के ज़रूरी तबदीलियों के साथ हर ऐसे अपील से मुतअल्लिक़ होंगे जो ऐसी नालिश का हो--

(३) अगर मुद्दई काग़ज़ात सरकारी में इस हैसियत से दर्ज हो कि उसको ऐसा हक़ मिल्कियत हासिल है तो अदालत को लाज़िम होगा कि यह क़यास करे कि उसको हक़ मज़कूर हासिल है--

लेकिन कोई अमर इस दफ़ा ज़िम्नी का किसी शख़्स के इस हक़ पर असर न करेगा कि वह बज़रिये नालिश अदालत दीवानी के यह साबित करे कि मुद्दई को ऐसा हक़ मिल्कियत हासिल नहीं है ॥

असामी के हक़ की बहस अदालत दीवानी में

किस हालत में अदालत दीवानी फ़रीक़ (मुक़द्दमा) को अदालत माल से रुजू करने की हिदायत करेगी

दफ़ा २०२--(१) अगर किसी ऐसी नालिश मुतअल्लिक़े जो काश्तकारी में जो अदालत दीवानी में दायर की जाय मुद्दाअलेह ये उज़्र करे कि वह उस अराज़ी पर ब हैसियत असामी मुद्दई के या ऐसे शख़्स क़ाबिज़ के क़ब्ज़ा रखता है--जो मुद्दई की तरफ़ से क़ाबिज़ है तो अदालत दीवानी को

लाज़िम होगा कि लिखे हुए हुक्म के ज़रिये से मुद्दाअलेह को हिदायत करे कि तीन महीने के अन्दर नालिश अदालत माल में इस बहस की तजवीज़ के वास्ते दायर करे—

(२) अगर मुद्दाअलेह इस हुक्म की तामील न करे तो अदालत को लाज़िम है कि उस बहस का फ़ैसला उस के ख़िलाफ़ करदे—अगर मुद्दाअलेह उस हुक्म की तामील में नालिश दायर करे तो अदालत दीवानी को लाज़िम है कि उस नालिश का फ़ैसला जो उस के रूबरू ज़ेर तजवीज़ हो—उस फ़ैसला अख़ीर के मुताबिक़ करदे जो उस बहस की निस्बत अदालत माल ने बज़रिये अपील या इब्तिदाई—जैसी कि सूरत हो—किया हो॥

बाब १५

क़ायदे बनाने का इख़्तियार

क़ायदे बनाने की निस्बत लोकल गवर्नमेन्ट का इख़्तियार

दफ़ा २०३—लोकल गवर्नमेन्ट को जायज़ है कि पहिले मुश्तहर करके ऐसे क़ायदे जो ऐक्ट के मुताबिक़ हों बनाये—

(क) वास्ते हिदायत ओहदेदारान के लगान मुक़र्रर करने और उस में इज़ाफ़ा और तख़फ़ीफ़ करने में—

(ख) वास्ते हिदायत ओहदेदारान मुताबिक़ दफ़ा ४२—

(ग) निस्बत तसदीक़ पट्टों या क़बूलियतों या इक़रारनामों के—मुताबिक़ दफ़ा ६७—

(घ) निस्बत उन तारीख़ों के जिनमें लगान की क़िस्तें वाजिब होंगो और मुनाफ़ा की तक़सीम होगी--

(ङ) निस्बत उस फ़ीस के जो मुताबिक़ इस ऐक्ट के ली जायगी—

(च) निस्बत उस ज़ाबिता के जिस के मुताबिक़ उन दरख़्वास्तों में कार्रवाई होगी जो मुताबिक़ इस ऐक्ट के हों—

(छ) निस्बत मुन्तक़िल किये जाने मुक़द्दमों के माल की अदालतों के हुक्म से—और

(ज) आम तौर पर इस ऐक्ट के हुक्मों को मुताबिक़ अमलदरामद कराने के वास्ते—

कुल ऐसे क़ायदे गज़ट में छापे जांयगे और ऐसे छापे जाने के बाद उनका ऐसाही असर होगा कि गोया वह इस ऐक्ट के दर्ज किये हुए अहकाम हैं ॥

दफ़ा २०४—बोर्ड को जायज़ है कि पहिले लोकल गवर्नमेन्ट की मंज़ूरी हासिल करके और पहिले मुश्तहर कर के वक़ वक़ पर वास्ते हिदायत कुल अशख़ास के उन बातों की निस्वत जो इस ऐक्ट के जारी करने से मुतअल्लिक़ है—ऐसे क़ायदे बनाये जो इस ऐक्ट के और उन क़ायदों के जो लोकल गवर्नमेन्ट ने इस ऐक्ट की रू से (अगर कोई हों) बनाये हों मुताबिक़ हों ॥

क़ायदे बनानेकी निस्वत बोर्ड का इख़्तियार

पहिली फ़ेहरिस्त

(देखिये दफ़ा १)

रक़बे जो पहिले पहल इस ऐक्ट के जारी होने से छोड़ दिये गये हैं

(१)—क़िस्मत कमायूं जिसमे अज़लाअ नैनीताल व अलमोड़ा व गढ़वाल शामिल हैं ॥

(२)—ज़िला मिर्ज़ापुर का वह हिस्सा जो कोह कैमूर से दक्खिन की जानिब है ॥

(३)—इलाक़ेजात ख़ान्दान महाराजा बनारस जिनमें नीचे लिखे हुये परगने हैं ॥

भदोही व खेड़ा व मंगरोर ज़िला मिर्ज़ापुर में—और कसवार राजा ज़िला बनारस में—

(४)—वह क़िता मुल्क का जो ज़िला देहरादून में जौंसार बावर के नाम से मशहूर है ॥

दूसरी फ़ेहरिस्त

(देखिये दफ़ा २)

ऐक्ट जो मन्सूख़ हो गये

नम्बर व सन्	नाम	किस हद्द तक मन्सूख़ किया गया
१२ सन् १८८१ ई०	क़ानून लगान ममालिक मग़रबी व शिमाली सन् १८८१ ई०	कुल
१४ सन् १८८६ ई०	क़ानून लगान ममालिक मग़रबी व शिमाली सन् १८८६ ई०	कुल
६ सन् १८८७ ई०	मुफ़स्सलात की अदालत हाय मतालिबा जात ख़फ़ीफ़ा का ऐक्ट सन् १८८७ ई०	पहिली फ़ेहरिस्त का उस क़दर हिस्सा जो ऐक्ट १२ सन् १८८१ ई० से मुतअ़ल्लिक़ है ॥
६ सन् १८८८ ई०	क़र्ज़दारों का ऐक्ट सन् १८८८ ई०	दफ़ा १० की दफ़ा ज़िम्नी (२) ॥
२० सन् १८९० ई०	ऐक्ट ममालिक मग़रबी व शिमाली व अवध सन् १८९० ई०	दफ़ा ६३ जिस क़दर कि वह ऐक्ट १२ सन् १८८१ ई० से मुतअ़ल्लिक़ है ॥
१२ सन् १८९१ ई०	ऐक्ट नासिख़ व मुरम्मिम सन् १८९१ ई०	पहिली फ़ेहरिस्त के हिस्सा अव्वल का उस क़दर हिस्सा जो ऐक्ट १४ सन् १८८६ ई० से मुतअ़ल्लिक़ है ॥

तीसरी फ़ेहरिस्त

नमूना (फ़ार्म) पट्टा या क़बूलयत का

(देखिये दफ़ा ६६)

मुस $\frac{क,ख}{च,छ}$ वल्द $\frac{ग,घ}{ज,झ}$ साकिन $\frac{ङ}{ञ}$ ने नीचे लिखी हुई अराज़ी

याक़ै महाल ट मौज़ा ठ $\frac{च,छ}{क,ख}$ वल्द $\frac{ज,झ}{ग,घ}$ साकिन $\frac{ञ को पट्टे पर दी}{ङ से पट्टे पर ली}$

(यहां काफ़ी तौर से जोत की तफ़सील लिखनी चाहिये)
सालाना लगान तादादी ( ) रुपया पर जो नीचे लिखे हुए क़िस्तों में नीचे लिखी हुई तारीख़ों पर क़ाबिल अदा होगा—

( ) रुपया तारीख़ ( ) माह ( ) पर—
( ) रुपया तारीख़ ( ) माह ( ) पर—
( ) रुपया तारीख़ ( ) माह ( ) पर—
( ) रुपया तारीख़ ( ) माह ( ) पर—

पट्टे की मियाद ( ) साल की है यानी (तारीख़) से (तारीख़) तक लिखा हुआ तारीख़ ( ) माह ( ) सन् १६—ई०

{ दस्तख़त या निशानी } $\frac{क,ख ज़मींदार}{च,छ असामी}$

(गवाह अगर निशानी बनाई जाय) ड—ढ—

चौथी फ़ेहरिस्त

(देखिये दफ़ात १६७ व १६८ व १७० व १७१ व १७२)

जमाअत (अ)—नालिशें

(नालिशात उस सूरत में कि उनकी मालियत एक सौ रुपया से ज़ियादा न हो क़ाबिल तजवीज़ असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जः दोम—अपील बहज़ूर कलेक्टर (और) दरसूरते कि उनकी मालियत एक सौ रुपया से ज़ियादा हो क़ाबिल तजवीज़ असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जा अव्वल—अपील ब अदालत दीवानी)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किसक़दर होनी चाहिये
१	७६	वास्ते तजवीज़ निस्बत क़ीमत फ़स्ल या दूसरी पैदावार के जिसका ख़रीदना ज़मींदार हस्ब दफ़ै ७५ चाहता हो	पन्द्रह दिन	उस वक़्त से जब सेवेद-ख़ली का असर हो	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई॰ में दर्ज है ऐज़न
२	१०२	वास्ते बक़ाया लगान के या जिस हालत में कि लगान जिन्स में अदा किया जाता हो वास्ते रुपया के जो उस लगान के बराबर हो	तीन साल	बक़ाया के वाजिब होने के वक़्त से	

चौथी फ़ेहरिस्त तितिम्मा

जमाअत (क)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानो रसूम अदालत किसक़दर होनी चाहिये
३	११०	वास्ते मुआविज़ा के बवजह इन्कार हवाला करने रसीद ऐसे लगान के जो अदा किया गया हो या बवजह इन्कार जमा करने अदा किये हुये लगान के उस तौर पर जिसकी असामी ने दरख़्वास्त की हो	तीन महीने	इन्कार की तारीख़ से	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
४	१४२	दरबारह उज़्रदारी क़ुर्की हरिस्रयारी	जैसा दफ़ा १४२ में दर्ज है	जैसा दफ़ा १४२ में दर्ज है	ऐज़न
५	१४५	वास्ते वसूल करने मुआविज़ा के बाबत क़ुर्की और नीलाम माल के	तीन महीने	उस तारीख़ से जिस पर नीलाम किया जाय	ऐज़न

चौथी फ़ेहरिस्त—तितिम्मा

जमाअत (क)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किसक़दर होनी चाहिये
६	१४६	वास्ते मुआविज़ा के बाबत् क़ुर्क़ी करने वाले के ख़िलाफ़ क़ानून काम के	तीन महीने	उस तारीख़ से जिस पर नालिश करने का हक़ पैदा हो जाय	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
७	१४७ (२)	वास्ते वसूल पाने ऐसी रक़म के जो असामी शिकमी से बज़रिये कार्रवाई क़ुर्क़ी इख़्तियारी लेली गई हो	ऐज़न	ले लिये जाने की तारीख़ से	ऐज़न
८	१५६	नम्बरदार की तरफ़ से वास्ते वसूल करने बक़ाया मालगुज़ारी व गांव ख़र्च व दूसरे मतालिबा जात के हिस्सेदार से	तीन साल	बक़ाया के वाजिब होने के वक़्त से	ऐज़न

चौथी फ़ेहरिस्त—तितिम्मा

समाअत (क)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
६	१६०	हिस्सेदार की तर्फ़ से वास्ते वसूल करने के हिस्सेदार बाक़ीदार से ऐसी बक़ाया मालगुज़ारी जो मुद्दई ने बाबत मुद्दाअलेह के अदा कर दी हो	तीन साल	उस वक़्त से जब बक़ाया अदा की जाय	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
१०	१६१	मुआफ़ीदार या अतियादार मालगुज़ारी की तर्फ़ से वास्ते ऐसी बक़ाया मालगुज़ारी के जो उसको उस हैसियत से वाजिब हो	ऐज़न	बक़ाया के वाजिब होने के वक़्त से	ऐज़न
११	१६२	तअल्लुक़ेदार या दीगर मालिक आला की तर्फ़ से वास्ते ऐसी बक़ाया मालगुज़ारी या लगान के जो उसको उस हैसियत से वाजिब हो	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

चौथी फ़िहरिस्त—(तितम्मा)

जमाअत (ख) नालिशें

(नालिशात क़ाबिल तजवीज़ असिस्टैन्ट कलेक्टर दर्जा अव्वल जिनमें अपील (अगर हो सक्ता है तो) अदालत दीवानी में होगा)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
१२	३६	वास्ते मुआविज़ा के बाबत् ऐसे लगान या पैदावार के जो उस लगान से जो क़ानून वाजिबउल अदा हो ज़बरदस्ती से ज़ियादा लेलिया गया हो या लेली गई हो ॥	तीन महीने	ज़बरदस्ती से लिये जाने की तारीख़ से	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
१३	६३	वास्ते बेदख़ली असामी के उन वजूह को बि-	एक साल	उस वक़्त से जब क़सूर	ऐज़न

चौथी फ़ेहरिस्त—(तितम्मा)

जमाअत (ख) नालिशें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
		नाय पर जिनकी तसरीह फ़िक़रा (ख) या फ़िक़रा (ग) दफ़ा ४० में की गई है ॥		(क़ाबिल ज़ब्ती जोत) अमल में आये या शर्त तोड़ दी जाय	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
१४	६५	वास्ते हुक्म इम्तनाई के या वास्ते रफ़ै करने नुक़्सान या बिगाड़ के या वास्ते मुआविज़ा के ॥	एक साल	उस वक़्त से जब नुक़सान किया जाय या बिगाड़ शुरू हो या शर्त तोड़ दी जाय	ऐज़न

चौथी फ़ेहरिस्त (सिलसिला)

समाअत (ग) नालिशें

(नालिशात क़ाबिल समाअत असिस्टेन्ट कलेक्टर दर्जा अव्वल जिनमें अपील अदालत माल में होगा)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
१८	३१ (२)	वास्ते मन्सूखी नाजायज़ निकासी पट्टे के या दीगर इन्तक़ाल नाजायज़ के या वास्ते बेदख़ली असामी और क़ाबिज़ निकासी पर लेनेवाले या दीगर इन्तक़ाल लेनेवाले के या दोनों के	एक साल	नाजायज़ क़ब्ज़ा निकासी पर दिये जाने या दीगर इन्तक़ाल नाजायज़ की तारीख़ से	जैसा ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७०ई० में दर्ज है
१९	३१ (३)	वास्ते मन्सूखी ऐसे नाजायज़ इक़रार के जो क़ाबिज़ निकासी पर दिये या और तरह मुन्तक़िल करने की निस्बत हो	ऐज़न	जब नाजायज़ इक़रार का इल्म मुद्दई को हो जाय	ऐज़न

चौथी फ़हरिस्त (तितम्मा)

समाअत (ग) नालिशें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
५४	४८	वास्ते इज़ाफ़ा लगान असामी ग़ैर दख़ीलकार के	ऐज़न	ऐज़न	वही रसूम अदालत जो बसूरत असामी दख़ीलकार के बमूजिब ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८८० ई० होनी चाहिये
५५	४८	वास्ते तख़फ़ीफ़ लगान असामी ग़ैर दख़ीलकार के	ऐज़न	ऐज़न	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है

चौथी फ़ेहरिस्त (तितम्मा)

जमाअत (ग) नालिशें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
२८	४९	वास्ते मन्सूख़ी पट्टा के जो ऐसी मुद्दत के लिये हो जो उस मियाद से आगे तक हो जिस की बाबत ज़मींदार ने लोकल गवर्नमेन्ट से मुआहिदा (अदाय माल गुज़ारी) किया हो	नदारद	उस वक़्त से जब ज़मींदार के मुआहिदे की मियाद ख़तम हो जाय	मुताबिक़ तादाद उस लगान के जो बमूजिब पट्टा के क़ाबिल अदा हो
२९	६३	वास्ते बेदख़ली असामी ग़ैर दख़ीलकार के उन वजहों की बिनाय पर जिनकी सराहत दफ़ा ५८ में लिखी है	नदारद	नदारद	मुताबिक़ तादाद उस लगान के जो असामी से क़ाबिल अदा हो
३०	७९	वास्ते वापस पाने क़ब्ज़ा जोत के या वास्ते मु-	छः महीने	उस वक़्त से जब बेजा तौ-	जैसा कि शेड्यूल रसूम

चौथी फ़ेहरिस्त (तितम्मा)

जमाअत (ग) नालिशें

		क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
		आविज़ा के या वास्ते इन दोनों के		द पर क़ब्ज़ा उठाया जाय	अदालत सन् १८८० ई० में दर्ज है
	८९	वास्ते मुआविज़ा के बाबत तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के जो बाद इस के दायर की जाय कि नालिश वापसी क़ब्ज़ा की दर बारह फिर क़ब्ज़ा पाने असामी के ख़ारिज हो गई हो.	तीन महीने	उस डिगरी की तारीख़ से जिसके ज़रिये से असामी के फिर क़ब्ज़ा पाने की निस्बत ना मंज़ूरी कर दी जाय	मुताबिक़ तादाद उस लगान के जो असामी से क़ाबिल अदा हो
	९०	वास्ते मुआविज़ा के बाबत बेदख़ली बमूजिब ऐसी डिगरी या हुक्म	छः महीने	उस तारीख़ से जिस पर डिगरी या [illegible]	जैसा कि [illegible] रसूम अदालत

चौथी फ़ेहरिस्त (तितम्मा)

जमाअत (ग) नालिशें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
		के जो बाद में मन्सूख़ हो जाय		हुक्म मन्सूख़ हो	सन् १८७० ई० में दर्ज है
३३	८८	बग़रज़ मन्सूख़ी इत्तिलानामा इस्तेफ़ा के	पन्द्रह दिन	इत्तिलानामा के लिये जाने या उसकी तामील किये जाने की तारीख़ से	आठ आना
३४	६५	वास्ते क़ायम कराने किसी अमर मुन्दर्जे दफ़ा ६५ के	नदारद	नदारद	आठ आना
३५	८६	वास्ते पट्टा या क़बूलियत के	ऐज़न	ऐज़न	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है

चौथी फ़ेहरिस्त (तितिम्मा)

जमाअत (ग) नालिशें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म नालिश	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
३६	१५० / १५४	वास्ते वापसी मुआफ़ी लगान के	हस्ब मुन्दर्जे दफ़ा १५४	हस्ब मुन्दर्जे दफ़ा १५४	मुताबिक़ सालाना मालियत लगान अराज़ी के बमूजिब तख़मीना मुद्दई के
३७	१५० / १५८	वास्ते बांधने लगान के मुआफ़ी लगान पर	नदारद	नदारद	ऐज़न
३८	१५० / १५८	वास्ते बाधने मालगुज़ारी के मुआफ़ी लगान पर	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

चौथी फ़ेहरिस्त—(तितिम्मा)

जमाअत (घ) दरख़ास्तें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म दरख़ास्त	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किसक़दर होनी चाहिये
३९	५९	वास्ते बेदख़ली असामी के उन वजहों की बिनाय पर जिसकी तसरीह फ़िक़रा (क) दफ़ा ५७ में की गई है	वह मियाद जो इजराय डिगरी मुतअल्लिक़: के वास्ते मुक़र्रर है	मुक़द्दमा मुतअल्लिक़: में अख़ीर डिगरी की तारीख़ से	आठ आना
४०	८५	वास्ते तामील इत्तिलानामा इस्तेफ़ा हस्ब दफ़ा ८३ या ८४	जैसा दफ़ा ८५ में दर्ज है	जैसा दफ़ा ८५ में दर्ज है	नदारद
४१	९३	वास्ते इजाज़त इस अमर के कि मुआविज़ा और तरह पर बजाय अदा करने ज़र नक़द के बाबत ऐसी तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी के जो असामी ने की हो दिया जाय	जैसा दफ़ा ९३ (५) में दर्ज है	जैसा दफ़ा ९३ (५) में दर्ज है	जैसा ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
४२	९४	वास्ते तजवीज़ किये जाने इस बात के कि आया	नदारद	नदारद	जैसा ऐक्ट रसूम अदा-

चौथी फ़ेहरिस्त—(तितिम्मा)

समाअत (घ) दरख़्वास्तें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट का	क़िस्म दरख़ास्त	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किसक़दर होनी चाहिये
१३	१०५	कोई काम (तामीर) तरक़्क़ी हैसियत अराज़ी का काम है या इस बात के कि आया उसके करने या बनाने का हक़्क़ हासिल है वास्ते तैनाती ओहदेदार के बग़रज़ करने बटाई या तख़मीना या कनकूत पैदावार या फ़स्ल के	नदारद	नदारद	लत सन् १८७० ई० में दर्ज है बेज़न
१४	१११	वास्ते इन्साफ़त दाख़िल करने लगान के	बेज़न	बेज़न	बेज़न
१५	११२	वास्ते अदा या वापस किये जाने लगान के जो बमूजिब दफ़ा १११ दाख़िल किया गया हो	बेज़न	बेज़न	बेज़न
१६	११६	वास्ते मदद के कुर्की करने वाले की रोक टोक या	बेज़न	बेज़न	बेज़न

चौथी फ़ेहरिस्त—तितिम्मा

जमाअत (घ) दरख़ास्तें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म दरख़ास्त	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
		अन्देशा रोक टोक की सूरत में			
४१	..	वास्ते जारी करने किसी ऐसी डिगरी ज़र नक़्द के जो बमूजिब ऐक्ट हाज़ा या बमूजिब किसी ऐसे ऐक्ट या क़ानून के हो जो बज़रिये इस ऐक्ट के मन्सूख़ हुआ और जो उस क़दर ज़र नक़्द की डिगरी न हो जो मय ख़र्चा डिगरी मज़कूर मगर किसी ऐसे सूद को छोड़ कर जो बाद डिगरी के रक़म डिगरी शुदा पर हुआ हो पांच सौ रुपया से ज़ियादा हो	तीन साल	मुक़द्दमा की अख़ीर डिगरी की तारीख़ से	जैसा ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है

चौथी फ़ेहरिस्त—(तितम्मा)

जमाअत (घ) दरख़्वास्तें

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म दरख़्वास्त	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
४८	..	वास्ते जारी होने इस क़िस्म की डिगरी के जब वह पांच सौ रुपये से ज़ियादा की हो ॥	वह मियाद जो डिगरी अदालत दीवानी के इजराय के वास्ते मुक़र्रर है	जैसा कि बसूरत डिगरी अदालत दीवानी के	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
४९	..	वास्ते जारी होने किसी ऐसी डिगरी के जो डिगरी ज़रनक़्द न हो	एक साल	मुक़द्दमा की अख़ीर डिगरी की तारीख़ से	ऐज़न
५०	१८२ व १८४	वास्ते नज़रसानी तजवीज़ के ॥	नव्वे दिन	डिगरी या हुक्म की तारीख़ से	ऐज़न
५१	१८७	वास्ते निगरानी के	नदारद	नदारद	ऐज़न

चौथी फ़ेहरिस्त—(ख़ातमः)

जमाअत (ड) अपील

(अपील अदालतहाय माल में)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म अपील	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किस क़दर होनी चाहिये
५२	..	ब हज़ूर कलेक्टर ॥	तीस (३०) दिन	उस डिगरी या हुक्म की तारीख़ से जिसका अपील किया जाय	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
५३	..	ब हज़ूर कमिश्नर ॥	साठ (६०) दिन	ऐज़न	ऐज़न
५४	..	ब हज़ूर बोर्ड ॥	नव्वे (६०) दिन	ऐज़न	ऐज़न

05565—9-8-04.—2,000—P.D.

चौथो फ़ेहरिस्त—(ख़ातमः)

जमाअत (ड) अपील

(अपील अदालतहाय माल में)

नम्बर सिलसिलेवार	दफ़ा ऐक्ट की	क़िस्म अपील	मियाद समाअत	कब से मियाद शुमार की जायगी	कोर्ट फ़ीस यानी रसूम अदालत किसक़दर होनी चाहिये
५२	..	ब हुज़ूर कलेक्टर ॥	तीस (३०) दिन	उस डिगरी या हुक्म की तारीख़ से जिसका अपील किया जाय	जैसा कि ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० में दर्ज है
५३	..	ब हुज़ूर कमिश्नर ॥	साठ (६०) दिन	ऐज़न	ऐज़न
५४	..	ब हुज़ूर बोर्ड ॥	नव्वे (९०) दिन	ऐज़न	ऐज़न

P. No. 05565—9-3-04.—2,000—P.D.